लोक-सभा

शुक्रवार,
२६ अगस्त, १९५५

वाद-विवाद

1st Lok Sabha

(भाग १--प्रश्नोत्तर)

खंड ५, १९५५

(२२ अगस्त से १६ सितम्बर, १९५५)

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
On
Parliament Library

दशम सत्र, १९५५

(खंड ५ में अंक २१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

(खंड ५, अंक २१ से ४०, दिनांक २२ अगस्त से १६ सितम्बर १९५५

अंक २१---सोमवार, २२ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--- स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ९७७, ९७८, ९८१, ९८३, ९८४, ९८६, ९८८ से ९९२, ९९४ से ९९६, ९९९ से १००१, १००३, १००४, १००८ से १०१०, ९८५, १००५ और १००७ . . . १४३९-७८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ . . . . १४७८-८३

प्रश्नों के लिखित उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या ९७६, ९७९, ९८०, ९८२, ९८७, ९९३, ९९७, ९९८, १००२ और १००६ . . . १४८३-८८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५१४ से ५३४ . . . १४८९-१५००

अंक २२---मंगलवार, २३ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या १०१३,१०१५, १०१७, १०१९ से १०२ , १०२४ से १०२८,१०३०, १०३१, १०३२,१०३४ से १०३६, १०३८, १०४१ से १०४६, १०४८, १०४९, १०५३ और १०५४ से १०५६ . . १५०१-४४

प्रश्नों के लिखित उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या १०११, १०१२, १० ४, १०१६, १०१८, १०२२, १०२३, १०२९, १०३३, १०३७, १०३९, १०४०, १०४७, १०५०, १०५१, १०५२ और १०५७ से १०६४ . . . १५४४-५७

अतारांकित प्रश्न संख्या ५३५ से ५६३ . . . १५५७-७२

अंक २३---बुधवार, २४ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या १०६५, १०६६, १०६८ से १०७२, १०७४, १०७५, १०७९, १०८१,१०८३, १०८५,१०८९ से १०९१, १०९३ से १०९५, १०९८ से ११००, ११०२ से ११०६ और ११०८ . . १५७३-२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १०६७, १०७३, १०७६ से १०७८, १०८०, १०८२, १०८४, १०८६. १०८८, १०९२, १०९६, १०९७, ११०१, ११०७ और ११०९ से ११२३ १६२१-३९

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६४ से ५८४ और ५८४ और ५८६ से ६०४ १६३९–६८

अंक २४——गुरुवार, २५ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या ११२४, ११२५, ११२९, ११३१, ११३२, ११३५, ११३७ से ११३९, ११४१, ११४५, स ११४७, ११४९, ११५०, ११५२ ११५४ से ११५६, ११५८, ११३३, ११२६, ११४८, ११४४, ११५३ ११६९–१७०९ और ११५७ १७०९–११

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८

प्रश्नों के लिखित उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या ११२७, ११२८, ११३०, ११३४, ११३६, ११४०, १७११–१६ ११४२, ११४३ और ११५१ १७१६–२२

अतारांकित प्रश्न संख्या ६०५ से ६१८

अंक २५——शुक्रवार, २६ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या ११५९ से ११६१, ११६४ ११६७, ११६८, १७२३–१७६३ ११७०, ११७१, ११७३, ११७५, ११७८, ११८१, ११८४, ११८५, ११८९, ११९०, ११९४, ११९५ और ११९६

तारांकित प्रश्न संख्या ११६४ के उत्तर में शुद्धि १७६३

प्रश्नों के लिखित उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या ११६२, ११६३, १ ६५, ११६६, ११६९, ११७२, ११७४, ११७६, ११७७, ११७९, ११८०, ११८२, ११८३, ११८६ से ११८८, ११९१ से ११९३, ११९७ से १२०३ . . १७६३–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या ६१९ से ६३६ . . . १७७८–८८

अंक २६–मंगलवार, ३० अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या १२०४ से १२०६, १२११, १२१२, १२१४ से १२१६, १२२१, १२२४ से १२२८, १२३१, १२३२, १२३४ से १२३९ और १२४१ १७८९–१८३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १२०७ से १२१०, १२१३, १२१७ से १२२०, १२२२, १२२३, १२२६, १२३०. १२३३, १२४० और १२४२ से १२५४ .... १८३२–४८

अतारांकित प्रश्न संख्या ६३७ से ६६८ . . १८४८–७०

अंक २७—बुधवार, ३१ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५५, १२५६. १२५८, १२६२ से १२६४, १२६६. १२६८ से १२७०, १२७२, १२७४; से १२७७, १२७९ से १२८३, १२८८ से १२९०, १२९२, १२९३. १२९५ से १२९९. १३०१ और १३०२ १८७१—१९१५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५७, १२५९ से १२६१, १२१५, १२६७, १२७१ १२७३, १२७८, १२८४ से १२८७, १२९१ से १२९४ और १३०० १९१५–२१

अतारांकित प्रश्न संख्या ६६९ से ६७९ १९२१-२८

अंक २८—गुरुवार १ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०३, १३०६, १३०७, १३०९, १३१० से १३१२, १३१५, १३१७, १३१८, १३२०, १३२२ से १३२४, १३२६ से १३३०, १३४१, १३३१, १३३३, १३३५ से १३३७, १३४० और १३४२... १९२९-७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०४, १३०५, १३०८, १३१३, १३१४, १३१६, १३१९, १३२१, १३२५, १३३४, १३३८, १३३९ और १३४३ से १३४५ . . . . . १९७२–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८० से ७९१ १९८०–९०

अंक २९— शुक्रवार २ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रस्न संख्या, १३४६, से १३५५, १३५९ से १३६२, १३६४, १३२५, १३६७, से १३७४, १३७६, १३७८, से १३८३ और १३८६ १९९१–२०३६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ . . . २०३६–३८

प्रश्नों क लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३५६ से १३५८, १३६३, १३६६, १३७७, १३८४, १३८५, १३८७, से १३९१ . . २०३८–४५

अता ंकित प्रश्न संख्या ७०२ स ७४० २०४५–७०

अंक ३०—शनिवार ३ सितम्बर, १९५५ — स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९४, १४०३, १३९५ से १३९७, १३९९, १४००, १४०४ से १४०७, १४०९, १४१०, १४१३, १४१४, १४१६, १४१८, १४१९, १४२३, १४२४, १४२६ से १४२८, १४३०, १३९२ और १४१२ . . . . — २०७१-२११२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९३, १३९८, १४०१, १४०२, १४०८, १४११, १४१५, १४२१, १४२२, १४२५, १४२९ और १४३१ . . — २११२-२११८

अतारांकित प्रश्न संख्या ७४१ से ७५३ . . — २११८-२१२४

अंक ३१—सोमवार ५, सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४३३, १४३६, १४३७, १४४०, १४४१, १४४३, १४४४, १४४७, १४४८, १४५० से १४५३, १४५५, १४५६, १४५८, १४५९, १४६१, १४६४, १४३८, १४४६ और १४४९ . — २१२५-२१५७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४३२, १४३४, १४३५, १४३९, १४४२, १४४५, १४५४, १४५७, १४६०, १४६२, १४६३ और १४६५ . . — २१५७-२१६२

अतारांकित प्रश्न संख्या ७५४ से ७८० — २१६२-२१७८

अंक ३२—मंगलवार, ६ सितम्बर १९५५

प्रश्नों क मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४६६, १४६७, १४६९ से १४७१, १४७४ से १४८१' १४८५' १४८६' १४८८ स १४९४, १४९६' १४९८ से १५००' ५०२' १५०३' और १५०५ से १५०७ . . — २१७९-२२२३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४६८, १४७२, १४७३, १४८२, १४८३, १४८४, १४८७, १४९५, १४९७, १५०१, १५०४ और १५०८ से १५१५ — २२२७-३६

अतारांकित प्रश्न संख्या ७८१ से ८१०, ८१२ और ८१३ — २२३६-५६

अंक ३३—बुधवार, ७ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५१६ से १५२२, १५२४ से १५२७, १५४७, १५२८ से १५३३, १५३६, १५३७ और १५३९ से १५४५ — २२५७-२३०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १५२३, १५३४, १५३५, १५३८, १५४६ और १५४८ से १५५४ — २३०४–१०

अतारांकित प्रश्न संख्या ८१४ से ८२३ — २३१०–१८

अंक ३४—गुरुवार, ८ सितम्बर १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५५५, १५५६, १५५८ से १५६०, १५६२ से १५६६, १५६८, १५७०, १५७१, १५७३ से १५७६, १५७८ से १५८३, १५८५, १५८७ से १५८९, १५९१ और १५९२ — २३१९–६४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५५७, १५६१, १५६७, १५६९, १५७२, १५७७, १५८४, १५८६, १५९०, और १५९४, से १५९६ . . — २३६४–७२

अतारांकित प्रश्न संख्या ८२४ से ८४१ — २३७२–८४

अंक ३५—शुक्रवार ९ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५९७, १५९८, १६०० से १६०६, १६१० से १६१३, १६१५, १६२०, १६२२ से १६२५, १६२७ से १६३० १६३२ से १६३९ और १६४१ . . — २३८५–२४३१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५९९, १६०७ से १६०९, १६१४, १६१६, १६१८, १६१९, १६२१, १६२६, १६३१, १६४० और १६४२ से १६५३

अतारांकित प्रश्न संख्या ८४२ से ८७४ — २४३२–४७

अंक ३६—सोमवार, १२ सितम्बर, १९५५ — २४४७–७२

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६५४ से १६५७, १६६१, १६६३, १६६६, १६६७, १६६९, १६७१, १६७३, १६७५, १६७७ से १६८०, १६८२, ६८४, १६८५, १६६८ और १६५९ . . — २४७२–२५११

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६५८, १६६०, १६६२, १६६४, १६६५, १६७० १६७२, १६७४, १६७६, १६८१, १६८३, और १६८६ से १६८८ . — २५१२–१८

अतारांकित प्रश्न संख्या ८७५ से ८८४ . — २५१८–२४

अंक ३७--मंगलवार, १३ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर-- स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १६८९ से १७१८ . . . २५२५-४२

अतारांकित प्रश्न संख्या ८८५ से ९०२, ९०४ और ९०५ . . २५४२-५६

अंक ३८--बुधवार १४ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १७१९ से १७८७ . २५५८-२६०२

अतारांकित प्रश्न संख्या ९०६ से ९४१ . . २६०२-२२

अंक ३९--गुरुवार, १५ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १७९० से १७९२, १७९४ से १८०१, १८०३ से १८११, १८१३ से १८१६, १८१९ से १८२१ और १७८८ . २६२३-७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १७८९, १७९३, १८०२, १८१२, १८१७ और १८१८ . . . २६७१-७४

अतारांकित प्रश्न संख्या ९४२ से ९५३ २६७५-८२

अंक ४०--शुक्रवार, १६ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों क मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १८२२, १८२४ से १८२६, १८२८, १८२९, १८३१, १८३२, १८३४, १८३५, १८३७, १८३८, १८४०, १८४१, १८४३ स १८५३, १८५५ और १८५७ से १८६० . . २६८३-२७२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १८२३, १८२७, १८३०, १८३३, १८३६, १८३९, १८४२, १८५४, १८५६ और १८६१ से १८६७ . . २७२८-३७

अतारांकित प्रश्न संख्या ९५४ से ९७६ और ९७८ से ९९१ २७३७-६०

अनुक्रमणिका . १-१८०

GIPND—302 LSD—N.H.S.—18—4—57.—190.

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

लोक-सभा

शुक्रवार, २६ अगस्त, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

खादी और ग्रामोद्योग

***११५९. श्री राधा रमण** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५५–५६ में अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड को दिये जाने वाले अनुदान की राशि बढ़ा दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये कुल कितनी राशि की मंजूरी दी गई है;

(ग) क्या अनुदान किन्हीं विशिष्ट मदों के लिये हैं;

(घ) यदि हां, तो वे मदें क्या हैं और प्रत्येक मद के लिये कितती राशि है; और

(ङ) अतिरिक्त खादी वाणिज्य स्थान (एम्पोरियम) खोलने के लिये, जैसे कि दिल्ली और बम्बई में हैं, कितनी राशि की मंजूरी दी गई है ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी हां ।

(ख) ५ करोड़ रुपये ।

(ग) खादी के लिये मंजूर की गई राशि को ग्रामोद्योगों के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता और न ग्रामोद्योगों के लिये मंजूर की

गई राशि को खादी के लिये प्रयोग किया जा सकता है । प्रत्येक ग्रामोद्योग के लिये विशिष्ट आवंटन नहीं किये गये हैं ।

(घ) (१) खादी—३५० लाख रुपये जिसमें १५० लाख रुपये का आवर्ती-उधार सम्मिलित है ।

(२) ग्रामोद्योग—१५० लाख रुपये जिसमें १५ लाख रुपये का आवर्ती-उधार सम्मिलित है ।

(ङ) बोर्ड अपना कारोबार उन राशियों के प्रयोग से करता है, जो आवर्ती-उधार द्वारा इसे दिये जाते हैं । वाणिज्य स्थान (एम्पोरियम) खोलने के लिये किसी राशि की पृथक् रूप से मंजूरी नहीं दी गई है । बोर्ड किसी मास विशेष में जो वसूली करता है वह सरकार के नाम पर जमा की जाती है और जिस सीमा तक पावतियों को सरकार के नाम पर जमा किया जाता है उसी सीमा तक आवर्ती-उधार की राशि आगामी मास में पूरी कर दी जाती है ।

श्री राधा रमण : क्या खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ने सरकार से अधिक अनुदान की प्रार्थना करते हुए उस राशि से अधिक मांग की थी, जितनी कि मंजूर की गई है और यदि हां, तो प्रार्थना पत्र में वस्तुतः कितनी मांग की गई थी ?

श्री सतीश चन्द्र : बोर्ड अपनी प्रस्थापनायें तैयार करके सरकार को भेजता है । वर्ष के दौरान में तैयार की गई नई योजनाओं की समय समय पर जांच की जाती है, पहले स्वयं

बोर्ड द्वारा और फिर सरकार द्वारा । बोर्ड को आश्वासन दिया गया है कि केवल धन की कमी के कारण इन योजनाओं को नहीं रोका जायेगा । तथापि जिस राशि की मंजूरी दी जा चुकी है, अब तक बोर्ड उसका प्रयोग नहीं कर सकता है ।

श्री राधा रमण : मेरा प्रश्न यह था कि वास्तविक राशि कितनी थी जिसके लिये बोर्ड ने सरकार को योजनाएं प्रस्तुत की थीं ?

श्री सतीश चन्द्र : मेरे पास आय-व्ययक प्राक्कलन मौजूद हैं जिनके अनुसार मंजूरियां दी जाती हैं । बहुत से मद हैं । मैं ब्यौरा पढ़ सकता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, वह कुल राशि जानना चाहते हैं ।

श्री राधा रमण : जी हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका योग करना पड़ेगा ।

श्री सतीश चन्द्र : मुझे मालूम नहीं कि आय-व्ययक तैयार होने से पहले बोर्ड ने कितनी मांग की थी, किन्तु उसे आश्वासन दिया गया है कि धन की कमी के कारण कोई योजना नहीं रुकेगी । बोर्ड को बताया गया है कि आय-व्ययक अनुदान के अतिरिक्त उसे २ करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि अर्थात् १ करोड़ रुपये खादी के लिये और १ करोड़ रुपये ग्रामोद्योगों के लिये और मिलेगी ।

श्री राधा रमण : ग्रामोद्योगों और खादी के लिये ५ करोड़ रुपये की उस योजना में जो बोर्ड ने प्रस्तुत की थी और जिसे सरकार ने स्वीकार किया था, क्या क्या मदें सम्मिलित हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : क्या आप चाहते हैं मैं ब्यौरा पढ़ कर सुनाऊं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक सारणी-विवरण है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या इस बोर्ड की शाखायें हर राज्य में हैं और यदि हां, तो बोर्ड द्वारा स्थानीय कुटीर उद्योगों को क्या विशेष लाभ पहुंचाये जाते हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : इस बोर्ड ने उन राज्यों में खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड स्थापित किये हैं, जिनकी सरकारों ने इसके लिये अनुमति दी है । अन्यथा यह अपना काम सुविदित ग़ैर-सरकारी अभिजात संस्थाओं द्वारा करता है ।

लोहे और इस्पात के कारखाने

*११६०. **श्री बर्मन**: क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में अब तक जो लोहा और इस्पात के कारखाने स्थापित किये गये हैं, उनमें से किसी के डिज़ाइन और आयोजन में किसी भारतीय को सम्बद्ध किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस उद्योग के डिज़ाइन और आयोजन के लिये भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) पहले इस्पात कारखानों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है । इन कारखानों के नवीनीकरण और विस्तार की योजनाओं के सम्बन्ध में, जो अब क्रियान्वित की जा रही हैं, भारतीयों को प्रत्येक मामले में परिस्थितियों के अनुसार सम्बद्ध किया जा रहा है ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

श्री बर्मन : टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी और स्टील कारपोरेशन आफ़ बंगाल की विस्तार योजनाओं के अधीन नवीनतम उत्पादन लक्ष्य क्या है और क्या इसे विदेशी इन्जीनियरों और टेक्नीशियनों की सहायता

से पूरा किया जायेगा या हमारे अपने लोगों की सहायता से ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : जहां तक टाटा का सम्बन्ध है, यदि उनकी विस्तार योजनाएं पूरी हो जायें, तो नवीनतम उत्पादन लक्ष्य २० लाख पिण्डक (इन्गौट्स) या लगभग १४ लाख टन इस्पात होगा। जहां तक इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का सम्बन्ध है, यह लगभग १ लाख पिण्डक (इन्गौट्स) या लगभग ८,००,००० टन इस्पात होगा। जो स्थिति मेरे सहयोगी ने बताई है, वह अब भी सही है। जहां तक डिज़ाइनिंग का सम्बन्ध है, यह विदेशी विशेषज्ञों द्वारा किया जाना है, किन्तु भारतीयों को भी सम्बद्ध किया जायेगा।

श्री बर्मन : क्या यह सच है कि भारत में सब से अधिक मात्रा में बढ़िया कच्चा लोहा पाया जाता है और यदि हां, तो क्या लोहा और इस्पात मंत्रालय का यह विचार है कि भविष्य में लोहे और इस्पात के कारखाने लगाये जायें और इस प्रयोजन के लिये हमारे लोगों को उन तीन विदेशी फर्मों के अतिरिक्त जो हमारी सहायता कर रही हैं, अन्य विदेशी फर्मों में भी प्रशिक्षित किया जाये ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी भारत में पाया जाने वाला कच्चा लोहा अच्छी किस्म का होता है। क्या हमारे पास यह सब से अधिक है या नहीं; यह अपनी अपनी राय का मामला है। संभवतः अन्य देशों ने अपने संसाधनों का अनुमान नहीं लगाया है, किन्तु ४५ लाख टन तैयार इस्पात या ६० लाख टन पिण्डक (इन्गौट्स) के वर्तमान लक्ष्य से आगे जाना इस समय संभव नहीं है। मैं माननीय सदस्य को और सदन को बताना चाहूंगा कि उन तीन नये कारखानों के लिये भी, उन्हें स्थापित करने का हम विचार कर रहे हैं, कर्मचारी ढूंढ़ने का काम अत्यधिक कठिन दिखाई दे रहा है—संभवतः यह मेरा अपना दोष है—और सरकार को इस अवस्था पर मैं यह सलाह दूंगा कि वर्तमान लक्ष्य से बढ़ने का प्रयत्न न किया जाये। संभवतः दो वर्ष बाद हम अपनी आवश्यकताओं के बारे में और संसाधनों के बारे में अधिक अच्छी तरह अनुमान लगा सकेंगे।

श्री सारंगधर दास : यद्यपि अगले पांच वर्षों में और विस्तार की कोई संभाव्यता न हो, तथापि क्या इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का कोई प्रयत्न किया जा रहा है, जो कि भविष्य में इन कारखानों को डिज़ाईन करेंगे या वर्तमान या प्रस्थापित कारखानों को बढ़ायेंगे ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं यह नहीं कहूंगा कि पांच वर्षों में विस्तार की गुंजाइश नहीं है। वास्तव में यदि मेरी अपनी राय पूछी जाये तो १९५८ के शुरू में हम भविष्य के बारे में अनुमान लगा सकेंगे। भविष्य में लोगों को प्रशिक्षण देने का प्रश्न इस बात पर निर्भर है कि इन तीन इस्पात कारखानों के लिये हम लोगों को किस हद तक प्रशिक्षित कर सकते हैं। संभव है कि यदि नवयुवकों को इन कारखानों के काम में लगाया जाये, तो उन्हें इतना ज्ञान हो जायेगा कि वे आवश्यकता पड़ने पर नये कारखाने डिज़ाइन कर सकें।

लाहौर मार्गस्थ शिविर (ट्रांजिट कैम्प)

*११६१. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४-५५ में लाहौर मार्गस्थ शिविर (ट्रांजिट कैम्प) पर कितना खर्च हुआ; और

(ख) यह कैम्प कब तक काम जारी रखेगा ?

पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) ४२,३७५ रुपये २ आने ।

(ख) इस अवस्था पर अनुमान लगाना संभव नहीं है ।

श्री डी० सी० शर्मा : लाहौर के इस मार्गस्थ शिविर (ट्रांजिट कैम्प) में भारत को भेजे जाने की प्रतीक्षा करने वाले कितने व्यक्ति ठहरे हुए हैं ।

श्री मेहर चन्द खन्ना : इस समय शिविर (कैम्प) में ठहरे हुए व्यक्तियों की संख्या मुझे ज्ञात नहीं है, किन्तु मेरे पास फुटकर आंकड़े हैं जिनसे पता लगता है कि पिछले पांच या छः वर्षों में १६,८४४ व्यक्तियों ने इस मार्गस्थ शिविर (ट्रांजिट कैम्प) का उपयोग किया है ।

श्री डी० सी० शर्मा : माननीय मंत्री द्वारा उल्लिखित व्यय किन किन मदों पर किया गया है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : केवल दो मुख्य मद हैं; एक संस्थापन और दूसरा आकस्मिकतायें ।

श्री कामत : जहां तक अपहृत व्यक्तियों का सम्बन्ध है क्या पुनर्वास मंत्रालय तथा निर्माण, आवास और संभरण मंत्री में सक्रिय समायोजन और सहयोग है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : यह प्रश्न इस प्रश्न से किस प्रकार उत्पन्न होता है । यहां तो हम लाहौर के एक शिविर (कैम्प) का निर्देश कर रहे हैं, जो उन अनिष्क्रमणार्थियों, जो भारत आना चाहते हैं, या उन व्यक्तियों को जिन्हें विभाजन के समय जबर्दस्ती मुसलमान बना लिया गया हो, के लिये है । यह शिविर (कैम्प) उन भारतीयों के लिये भी है जो व्यापार तथा अन्य मामलों के लिये पाकिस्तान जा रहे हों । इस शिविर (कैम्प) का उपयोग केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिये अस्थायी काल तक रहने के लिये किया जाता है जो पाकिस्तान से भारत अथवा भारत से पाकिस्तान जा रहे होते हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या पुनर्वास मंत्रालय के पास ऐसे व्यक्तियों के कोई आवेदन-पत्र लम्बित हैं जो सीमा-पार कर भारत आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और क्या भारत आने की अनुमति मांगने वाले हरिजनों की समस्या सुलझ गई है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : इस शिविर का प्रशासन हमारे लाहौर के उच्चायुक्त द्वारा किया जा रहा है । समय-समय पर आवेदन पत्र प्राप्त होते रहते हैं, लोगों को शिविर (कैम्प) में रखा जाता है, और सामान्य औपचारिकताओं के पश्चात् उन्हें भेज दिया जाता है ।

श्री गिडवानी : क्या उनके भारत भेजे जाने पर पाकिस्तान के अधिकारी उनके मार्ग में कोई रुकावटें पैदा कर रहे हैं ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : उनके भारत जाने के लिये ? मैं इसके लिये पूर्व सूचना चाहूंगा । किन्तु जहां तक मुझे ज्ञात है इन मामलों की उचित जांच की जाती है । कभी कभी कोई कठिनाई उत्पन्न हो सकती है, किन्तु मुझे इस समय उसके बारे में कोई व्यक्तिगत रूप से जानकारी नहीं है ।

नमक

***११६४. श्री इब्राहीम :** क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या नमक के उत्पादन और वितरण पर सरकार द्वारा इस समय किसी प्रकार का नियंत्रण लागू किया जा रहा है ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : नमक का निर्माण नमक आयुक्त द्वारा स्वीकृत अनुज्ञप्ति के निबन्धन और शर्तों के अधीन होता है । जिन व्यक्तियों की वैयक्तिक भूमि १० एकड़ से अधिक नहीं है वे इस अनुज्ञप्ति से मुक्त हैं । अनुज्ञप्ति द्वारा तैयार किये गये नमक

पर किस्म का नियंत्रण (क्वालिटी कन्ट्रोल) लागू है और निश्चित स्तर से निम्न कोटि का नमक, जिसमें ९४ प्रतिशत से कम सोडियम क्लोराइड होता है, सामान्यतः मनुष्यों के उपभोग के लिये नहीं दिया जाता है।

कलकत्ता के बड़े-बड़े व्यापारी जिनके पास १,००० टन से अधिक स्टाक रहता है, उन्हें कुछ प्रतिशत रक्षित अंश के रूप में रखना पड़ता है जिसको नमक आयुक्त की अनुमति बिना नहीं बेचा जा सकता है।

भारतीय रेलवे अधिनियम, १८९०, की धारा २७(क) के अन्तर्गत बनाई गई प्रादेशिक योजना (ज़ोनल स्कीम) के अधीन लाने ले जाने की व्यवस्था के लिये नमक के उत्पादन केन्द्रों से उपभोग क्षेत्रों में लाने ले जाने पर सीमित नियंत्रण लगाया गया है। अन्यथा सड़क, नदी, रेल अथवा अन्य किसी प्रकार से लाने ले जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा है।

कुछ राज्य सरकारें अपने-अपने भू-क्षेत्रों में नमक के विक्रय, वितरण और मूल्य पर भी नियंत्रण लगाती हैं।

श्री इब्राहीम : भारत में सेंधा नमक का कितना वार्षिक उपभोग होता है ?

श्री सतीश चन्द्र : आजकल सेंधा नमक का आयात नहीं किया जा रहा है।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : उन ग़ैर-अनुज्ञप्ति-प्राप्त नमक निर्माताओं पर किस प्रकार का नियंत्रण रखा गया है जो उपभोग करने योग्य नमक के निर्धारित स्तर के अनुसार नमक नहीं बना पाते हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : अनुज्ञप्ति में एक खण्ड दिया हुआ है जिसके अनुसार नमक की किस्म पर नियंत्रण किया जा सकता है। †अब सरकार अन्य राज्यों के छोटे छोटे क्षेत्रों में भी इसे लागू करने की प्रस्थापना पर विचार कर रही है।

श्री कासलीवाल : क्या माननीय मंत्री ने जो कुछ कहा है उसके अतिरिक्त सरकार नमक के उत्पादन और वितरण पर लगे नियंत्रण में कुछ और छूट देने का विचार करती है ?

श्री सतीश चन्द्र : जैसा कि मैं कह चुका हूं, इस पर कोई अधिक संविहित नियंत्रण नहीं है। यदि माननीय सदस्य ने मेरा उत्तर सुना है, तो उन्हें ज्ञात होगा कि इस समय नियंत्रण केवल एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश म लाने ले जाने पर ही है। वास्तव में इससे उत्पादन केन्द्रों से उपभोग करने वाले क्षेत्रों में नमक को लाने ले जाने में सहायता मिलती है। नमक के उत्पादन पर किस्म का नियंत्रण (क्वालिटी कन्ट्रोल) अवश्य है।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : मैं ग़ैर-अनुज्ञप्ति-प्राप्त निर्माताओं द्वारा बनाये गये नमक के विषय में जानना चाहता था। क्या निर्धारित स्तर का नमक बनाने के लिये इन लोगों पर किसी प्रकार का नियंत्रण रखा गया है ?

श्री सतीश चन्द्र : मैं ने जो उत्तर दिया वह ग़ैर-अनुज्ञप्तिप्राप्त निर्माताओं के सम्बन्ध में ही था। अनुज्ञप्तिप्राप्त निर्माताओं द्वारा तैयार किये गये नमक की किस्म पर नियंत्रण है। †किन्तु जहां तक ग़ैर-अनुज्ञप्तिप्राप्त निर्माताओं का सम्बन्ध है, जिनके पास दस एकड़ से कम भूमि है, मद्रास में उसकी किस्म पर अब नियंत्रण लगा दिया गया है, तथा अन्य राज्यों में भी इसे लागू करने का विचार है।

श्री वी० पी० नायर : एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया कि इस समय भारत में सेंधा नमक नहीं बनाया जाता है। क्या सरकार को विदित है कि जि

†इसमें उत्पादन उपमंत्री द्वारा स्तम्भ संख्या १७६३ के द्वारा बाद में शुद्धि की गई।

प्रयोजन के लिये सेंधा नमक को काम में लाया जाता है, उन प्रयोजनों के लिये, विशेषकर औषधियां तैयार करने के लिये, उसको सामान्य मूल्य से लगभग २५ गुने अधिक मूल्यों पर क्रय करना पड़ता है, क्योंकि देश में उसका संभरण बहुत कम मात्रा में होता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह सेंधा नमक तैयार करने के लिये सुझाव है ।

श्री वी० पी० नायर : हम पाकिस्तान से सेंधा नमक का आयात करते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही के लिये एक सुझाव मात्र है । यदि माननीय मंत्री व्याख्या करना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : मंडी में सेंधा नमक कुछ मात्रा में तैयार किया जा रहा है इसके अतिरिक्त मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि भारत और पाकिस्तान में हाल में हुए व्यापार करार के अनुसार, कुछ सेंधा नमक आयात किया जाना स्वीकार कर लिया गया है ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : विशिष्ट विवरण का नमक बनाने के लिये सरकार छोटे-छोटे उत्पादकों को क्या प्रविधिक सम्मति देने की व्यवस्था करती है ?

श्री के० सी० रेड्डी : नमक विभाग की एक योजना है जिसके द्वारा तैयार किये गये नमक आदि की किस्म में सुधार किया जा सकता है । उसने एक पंचवर्षीय योजना तैयार की है, जिसको धीरे-धीरे कार्यान्वित किया जा रहा है । इस योजना के अधीन छोटे निर्माताओं को भी लाभ होगा ।

इस्पात का सामान बनाने वाले कारखाने

***११६७. श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री अपने १५ अप्रैल, १९५५ को सभा में दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ढलाई और गलाई की क्षमता रखने वाले तीन इस्पात का सामान बनाने वाले कारखानों की स्थापना के लिये तब से कोई अन्तिम निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी स्थापना सरकारी क्षेत्र द्वारा की जायेगी अथवा ग़ैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी नहीं । किन्तु विषय विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री भागवत झा आज़ाद : इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय किये जाने की कब तक आशा है ?

श्री कानूनगो : कुछ ही समय में ।

श्री भागवत झा आज़ाद : 'कुछ ही समय में' का क्या तात्पर्य है ?

श्री कानूनगो : मैं तारीख नहीं बता सकता, किन्तु मुझे विश्वास है कि यह इसी वर्ष हो जायेगा ।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या इन कारखानों के स्थान के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मेरे साथी ने जो कुछ कहा है मैं उसकी व्याख्या करना चाहूंगा । बड़े पैमाने पर गलाई और ढलाई संयत्र स्थापित करने की समस्या कोई आसान नहीं है । इसमें अन्तर्निहित प्रविधिक समस्यायें कठिन हैं । जिस प्रकार की मशीनरी और संयंत्रादि की हमें आवश्यकता है, उसके प्राप्त करने की सम्भावना की जांच कर रहे हैं और मुझे आशंका है कि हमारी आवश्यकताओं की प्रविधिक मूल्यांकन करने में

समय लगेगा। यह मेरे कल बाज़ार जा कर कुछ सामान खरीद कर स्थापित कर देने जैसी बात तो है नहीं।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या हमें इसमें किसी विदेशी प्रविधिक कर्मचारियों की कुछ सहायता मिल रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : अभी तक नहीं जैसा कि इस समय विचार है। सम्भवत: यदि आवश्यकता हुई, तो प्रविधिक सहायता के लिये हम अपने किसी मित्र से निवेदन कर सकते हैं।

मि० हरविल वेलर

*११६८. **श्री गिडवानी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मिसीसिपी नदी आयोग के मिस्टर हरविल वेलर को बाढ़ नियंत्रण उपायों पर सम्मति देने के लिये आमंत्रित किया है; और

(ख) यदि हां, तो भारत में उन्हें इस कार्य के लिये क्या वेतन दिया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) मि० वेलर को कुछ भी वेतन नहीं दिया गया था। भारत में परियोजना के स्थानों को जाने में जो कुछ उनका व्यय हुआ था केवल उतने ही वास्तविक यात्रा व्यय का भुगतान उन्हें किया गया था।

श्री गिडवानी : यहां बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की नियुक्ति कब की गई थी और बाढ़ों पर नियंत्रण लगाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

श्री हाथी : मैं समझता हूं कि सब से पहले बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक सितम्बर, १९५४ में हुई थी। इसके पश्चात् विभिन्न राज्यों से राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड बनाने के लिये कहा गया था। अब तक ११ राज्यों ने राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड बनाये हैं।

श्री गिडवानी : क्या हाल की बाढ़ों में कोई बांध बह गये हैं, और यदि ऐसा है तो कितनी हानि हुई है ?

श्री हाथी : माननीय सदस्य किस परियोजना अथवा किस क्षेत्र विशेष के सम्बन्ध में सूचना चाहते हैं ?

श्री गिडवानी : कोसी के विषय में।

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न इस प्रश्न से किस प्रकार उत्पन्न होता है ? जांच करने और सम्मति देने के लिये एक आयुक्त आये थे। क्या उन्होंने यह सम्मति दी है कि इसको भी बहां दिया जाना चाहिये ?

श्री बी० एस० मूर्ति : इन महानुभाव ने किन किन नदियों का पर्यवेक्षण आदि किया है, और क्या उन्होंने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ?

श्री हाथी : इस विशेषज्ञ ने डिब्रूगढ़, आसाम की पलासवाड़ी और सुआलकोची, पश्चिमी बंगाल की जलपाइगुड़ी और बिहार की कोसी को देखा था। वह पूना के केन्द्रीय जल और विद्युत् गवेषणा केन्द्र भी गये थे और वहां के नमूनों का अध्ययन किया था। उन्होंने एक प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया था। उन्होंने छ: से सात सिफारिशें की हैं।

श्री बी० एस० मूर्ति : उन्हें अन्य किन किन नदियों के अध्ययन के बाद प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का कार्य उन्हें सौंपा गया था ?

श्री हाथी : उन्हें केवल इन्हीं स्थानों को देखने के लिये कहा गया था।

श्री गिडवानी : उन्होंने जो सात सिफारिशें की हैं वे किस प्रकार की हैं ?

श्री हाथी : ये टेक्निकल प्रकार की हैं।

श्री कामत : क्या यह सच नहीं है कि हाल में हमारे कुछ इंजीनियर चीन की बाढ़ नियंत्रण योजनाओं का अध्ययन करने के लिये वहां गये थे ? यदि हां, तो चीनी टेक्नीकल तरीकों अथवा अमरीकी टेक्नीकल तरीकों में से कौनसा टेक्नीकल तरीका भारत की स्थिति के लिये उपयुक्त है ?

श्री हाथी : माननीय सदस्य की जानकारी के लिये मैं बताना चाहता हूं कि चीन के मुख्य इंजीनियर महोदय भी यहां आये थे। उन्होंने भी कोसी परियोजना को देखा था ।

श्री कामत : मेरा प्रश्न भिन्न था । भारतीय स्थिति के लिये चीनी अथवा अमरीकी तरीकों में से कौन सा तरीका अधिक उपयुक्त है ?

श्री हाथी : वास्तव में स्थिति किसी देश विशेष के अनुसार नहीं, बल्कि नदी विशेष के साथ बदलती रहती है। सामान्यत: समस्यायें एक सी ही हुआ करती हैं, किन्तु यह एकरूपता देश के साथ न हो कर नदी पर निर्भर करती हैं । जहां तक बाढ़ का सम्बन्ध है, कोसी से जो समस्या उत्पन्न हुई है वह चीनी नदी से उत्पन्न समस्या के समान ही है ।

श्री कामत : मैं ने तो तरीके के विषय में पूछा था ।

डा० रामा राव : हमारे इंजीनियरों ने बाढ़ नियंत्रण के लिये एक योजना बनाई है और वे एक निश्चित मार्ग पर बढ़ रहे हैं । क्या अमरीकी इंजीनियरों ने जो सिफारिशें की हैं वे उस मार्ग से बहुत भिन्न हैं जिसका अनुसरण हमारे इंजीनियर करते रहे हैं ?

श्री हाथी : अधिकांश में वे सहमत हैं; उसमें बहुत बड़ा अन्तर नहीं है ।

छोटे पैमाने के उद्योग

*११७०. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री १० अगस्त, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ६०३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के सम्बन्ध में सरकार को मंत्रणा देने के लिये दो अमरीकी विशेषज्ञ भी भारत आये हैं; और

(ख) यदि हां, तो वे किन उद्योगों के सम्बन्ध में अपनी मंत्रणा देंगे ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, हां ।

(ख) लघु उद्योगों की अर्थ और बिक्री व्यवस्था के सम्बन्ध में ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि जो अमरीकन एक्सपर्ट आते हैं वह कौन सी चीज़ों के एक्सपर्ट हैं जो कि अमरीका की इंडस्ट्री में होती हैं ?

श्री कानूनगो : यह जो दो आदमियों के बारे में सवाल पूछा गया है उसमें से एक तो एकनामिक्स और दूसरा मार्किटिंग के बारे में आया है ।

श्री वी० पी० नायर : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को विदित है कि वर्ष १९५२ में डा० पी० जे० थामस ने त्रावणकोर-कोचीन राज्य में छोटे उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों की स्थिति के सम्बन्ध में एक वितृस्त पर्यालोकन किया था तथा इस विशेषज्ञ को त्रावणकोर-कोचीन आने पर डा० थामस के प्रतिवेदन को दिखाया तक नहीं गया ?

श्री कानूनगो : यह सर्वथा सम्भव है ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : क्या किन्हीं जापानी विशेषज्ञों को भी बुलाया गया है ? यदि नहीं तो क्या इस तथ्य के विचार से कि जापान छोटे उद्योगों के सम्बन्ध में एक सुप्रसिद्ध देश है, सरकार जापानी विशेषज्ञों

की सहायता की प्राप्ति का कोई विचार कर रही है ?

श्री कानूनगो : इस समय हमारा सम्बन्ध विक्रय, अर्थ-व्यवस्था तथा योजना-निर्माण से है । हमने जापानी विशेषज्ञों की सेवाओं को प्राप्त करने का यत्न किया था, परन्तु हमें वह प्राप्त नहीं हो सकी हैं ।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या इन विशेषज्ञों ने कोई रिपोर्ट दी है ? यदि हां तो उन्होंने मामले के किस पहलू पर ज़ोर दिया है ।

श्री कानूनगो : एक ने विक्रय के बारे में रिपोर्ट दी है तथा उस पर विचार हो रहा है।

श्री जोकीम आल्वा : छोटे उद्योगों के सम्बन्ध में सरकार की वास्तव में नीति क्या है ? क्या नीति यह है कि समाप्त हो रहे और ऐसे उद्योगों में विदेशी विशेषज्ञों के लाने की है जिन्हें सचमुच ही वित्तीय सहायता की आवश्यकता है अथवा कि यह "दानिश" विशेषज्ञों के प्राप्त करने की है जिन्हें अलीगढ़ में स्थानीय योग्य व्यक्तियों के उपलब्ध होने पर भी--माननीय मंत्री के व्यक्तव्यानुसार-- ३,००० रुपये वेतन पर बुलाया जायेगा ?

श्री कानूनगो : यह कोई नीति सम्बन्धी मामला नहीं है । प्रश्न उत्पादन की "टेक्नीक" में सुधार करने के लिये विशेषज्ञ मंत्रणा प्राप्त करने तथा उत्पादन के लिये नई वस्तुओं के ढूंढने के सम्बन्ध में है ।

पर्वतीय नगरों (हिल स्टेशन्स) का विकास

*११७१. **श्री भक्त दर्शन** : क्या योजना मंत्री १९ अप्रैल, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या २३९७ से उत्पन्न होने वाले अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से योजना आयोग ने राज्य सरकारों से उनके पर्वतीय नगरों के विकास के सम्बन्ध में परामर्श किया है;

(ख) क्या योजना आयोग ने इस काम के लिये किसी राज्य के लिये कोई राशि निर्धारित की है ; और

(ग) यदि हां, तो इन राशियों का किस प्रकार और किन शर्तों पर उपयोग किया जायेगा ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) और (ख). जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या प्लैनिंग कमीशन ने इस बात का प्रयत्न किया है कि इस देश में कितने हिल स्टेशन हैं उनकी सूची तैयार की जाये, और क्या इसकी कोई परिभाषा निश्चित की गई है कि किस प्रकार के स्थान को हिल स्टेशन माना जाये ?

श्री एस० एन० मिश्र : जी नहीं, इस प्रकार का कोई प्रयास नहीं हुआ है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेन्ट के ध्यान में यह बात आई है कि बड़े प्रसिद्ध हिल स्टेशन्स जैसे नैनीताल, मसूरी, शिमला, दार्जीलिंग आदि के अलावा और भी हिल स्टेशन्स हैं जिनका विकास करने की आवश्यकता है और क्या इस ओर ध्यान दिया जा रहा है ?

श्री एस० एन० मिश्र : जी हां, यह बिल्कुल सही है कि इनके अलावा भी कई हिल स्टेशन्स हैं ।

श्रीमती सुषमा सेन : क्या सरकार को विदित है कि शिमला के पहाड़ी स्थान की थोड़े समय से बहुत उपेक्षा ही रही है ? क्या इसकी जनप्रियता को फिर लाने के लिये कोई योजना बनाई गई है ?

श्री एस० एन० मिश्र : शिमला में और लोगों के लिये आकर्षण की कोई योजना इस समय मेरे पास नहीं है। मुझे यह सूचना प्राप्त नहीं है कि शिमला की जनप्रियता कम हो रही है।

श्री सी० डी० पांडे : क्या सरकार को विदित है कि काश्मीर को जाने वाले यात्रियों को बहुत कुछ प्रोत्साहन दिये जाने के कारण, दूसरे भागों में स्थित पहाड़ी स्थानों को हानि पहुंच रही है।

पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : जिसमें नैनीताल भी है।

श्री एस० एन० मिश्र : नहीं, श्रीमान्। योजना आयोग को इस बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं है।

निष्क्राम्य कृषि भूमि

*११७३. **डा० सत्यवादी** : क्या **पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब तथा पैप्सू में जिन व्यक्तियों को निष्क्राम्य देहाती कृषि की ज़मीनें दी गई हैं, उन्हें मालकियत के अधिकार देने के बारे में क्या प्रगति की गई है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : पंजाब तथा पैप्सू में अपेक्षित कर्मचारी नियुक्त किये जा चुके हैं तथा इन दो राज्यों में काम आरम्भ हो चुका है।

डा० सत्यवादी : इस काम के मुकम्मल होने में कितना अर्सा लगेगा ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : कोई चार-पांच लाख शरणार्थियों को यह ज़मीन बांटनी है। अभी आज ही तो काम शुरू हुआ है इसलिये वक्त तो लगेगा ही।

डा० सत्यवादी : क्या कुछ ऐसी ज़मीनें पंजाब और पैप्सू में पड़ी हैं जो अभी तक ऐलाट नहीं की गई हैं ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : कुछ न कुछ अब हमारी नजर में आ रही है। बहुत सी ज़मीन जो पंजाब और पैप्सू में थी, वह चार पांच बरस पहले ही ऐलाट हो चुकी हैं।

डा० सत्यवादी : क्या कुछ ऐसे भी शरणार्थी हैं जिन्हें ज़मीनें आज तक ऐलाट नहीं हुई हैं, हालांकि वह ज़मीनें छोड़ कर यहां आये हैं ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : जहां तक पंजाब और पैप्सू का ताल्लुक है और उन भाइयों का ताल्लुक है जो पंजाबी हैं या पंजाबी नस्ल के हैं, उन में तो तकरीबन हर एक को ज़मीन ऐलाट हो चुकी है, और अगर आप का इशारा सिन्ध, बिलोचिस्तान, बहावलपुर और सूबा सरहद के भाइयों से है तो मुझे हां में कहना पड़ेगा। उन में अभी बड़ी भारी तादाद ऐसी है जिन को अभी ज़मीनें ऐलाट नहीं हुई हैं।

काश्मीर

*११७५. **श्री बोगावत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि काश्मीर के मामले पर चर्चा के लिये भारत तथा पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों की आगामी बैठक के लिये कोई तिथि निश्चित की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : आगामी बैठक के लिये कोई तारीख निश्चित नहीं हुई है।

श्री बोगावत : क्या मैं जान सकता हूं कि "आज़ाद" काश्मीर क्षेत्र में हुए अत्याचारों के सम्बन्ध में चर्चा आवश्यक नहीं है ? यदि हां, तो उस क्षेत्र के निवासियों के साथ क्या अत्याचार हुए हैं तथा क्या सरकार ने इन अत्याचारों के सम्बन्ध में कुछ लिखा है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैं सचमुच समझ नहीं सका कि माननीय सदस्य का ध्यान "आज़ाद" काश्मीर क्षेत्र के कथित घटनाक्र

की ओर अचानक किस प्रकार चला गया। प्रश्न किसी बैठक की तिथि के सम्बन्ध में था। सच है कि उन्होंने कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों को पढ़ा है। मैं ने भी इन्हें पढ़ा है; मुझे अन्य सूचनायें भी मिली हैं इन सब से, सामान्यतः एक व्यक्ति जान सकता है कि आज़ाद काश्मीर क्षेत्र की स्थिति कुछ ठीक नहीं है। परन्तु इसके सम्बन्ध में मैं इससे अधिक क्या कह सकता हूं ? मैं इसकी चर्चा करना नहीं चाहता हूं।

श्री बोगावत : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इन अत्याचारों के सम्बन्ध में लिखा है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : किसको ?

श्री बोगावत : पाकिस्तान सरकार को।

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी, नहीं। हम ने नहीं लिखा।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या सरकार का ध्यान कुछ दिन पूर्व के इस प्रचार की ओर कि काश्मीर में पाकिस्तान सत्याग्रह आन्दोलन करेगा, आकर्षित किया गया है तथा, यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इस आन्दोलन के विरुद्ध विरोधपत्र भेजा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब इस प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आता है।

श्री कामत : क्या यह सच है कि गृह मंत्री के भाषण से उत्साह पा कर जम्मू तथा काश्मीर के मुख्य मंत्री ने भी कुछ दिन पूर्व घोषणा की थी कि काश्मीर में अनन्तकाल पर्यन्त जनमत संग्रह नहीं होगा ? भारत तथा काश्मीर की जनता की आवाज़ ही की घोषणा वे करते हैं इसका विचार करते हुए क्या प्रधान मंत्री का यह विचार है कि पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से इसकी चर्चा के द्वारा कोई हितकर कार्य होगा ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : भारत सरकार अनन्तकाल के सम्बन्ध में कोई बात नहीं करती है। वह उपस्थित वर्तमान समस्याओं के सम्बन्ध में काम करती है। भारत सरकार जो वायदे करती है उन्हीं पर दृढ़ रहती है। तथा सर्वदा दृढ़ रहेगी।

दिल्ली में निष्क्राम्य सम्पत्ति

***११७८. चौधरी मुहम्मद शफ़ी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली राज्य के देहाती क्षेत्रों की कितनी निष्क्राम्य सम्पत्ति का आवण्टन विस्थापित व्यक्तियों को अभी तक किया गया है;

(ख) कितनी निष्क्राम्य सम्पत्तियों का आवण्टन अभी तक विस्थापित व्यक्तियों में नहीं किया गया है; और

(ग) इनको आवण्टित करने के क्या कारण हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :

(क) (१) भूमि तथा बाग १०,४३० एकड़
(२) मकान, दुकानें तथा प्लाट २,६४६ एकड़

(ख) (१) भूमि तथा बाग ६,७२७ एकड़
(२) मकान, दुकानें तथा प्लाट ६६६ एकड़

(ग) १. ज़मीनों तथा बागों का आवण्टन निम्नलिखित कारणों से नहीं हो सका :—

(१) १,४८६ एकड़ भूमि विस्थापित व्यक्तियों के उपनगरों में सम्मिलित की गई है।

(२) १,३८६ एकड़, स्थानीय किरायेदारों के कब्ज़े में है।

(३) ३०७ बंजर भूमि है।

(४) २४२ एकड़ अभी कुछ दिन पूर्व ही निष्क्राम्य तथा अनिष्क्राम्य हितों को अलग करने के परिणामस्वरूप प्राप्त हुई है ।

२. मकानों, दुकानों तथा प्लाटों का आवण्टन इसलिये नहीं हो सका क्योंकि कुछ खण्डहर हैं तथा अन्य ऐसे ग्रामों में हैं जहां इनकी मांग नहीं है ।

चौधरी मुहम्मद शफ़ी : मैं जानना चाहता हूं कि कितनी ऐसी जायदाद है जिस के मालिक यहां मौजूद हैं और जो निकासी जायदाद करार दे दी गई थी और आज तक वह उन को वापिस नहीं मिली ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : जनाबेआली, इस सवाल का इस से कोई ताल्लुक नहीं है । उसके लिये कानून है और उस कानून की रू से हर एक आदमी जो कि हमारे फैसले से सहमत नहीं है उसको दफा १६ के नीचे इजाज़त है कि वह रेस्टोरेशन के लिये दरख्वास्त दे या कस्टोडियन जनरल के पास जाये । रहा सवाल कि कितनी चीज़ थी, कितनी ऐलाट हुई और कितनी बाकी है, यह इत्तिला इस वक्त मेरे पास नहीं है ।

चौधरी मुहम्मद शफ़ी : उनका नम्बर कितना है जिन के झगड़े चल रहे हैं ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : सारे हिन्दुस्तान के बारे में पूछ रहे हैं या दिल्ली के बारे में ?

चौधरी मुहम्मद शफ़ी : दिल्ली के बारे में ।

श्री मेहर चन्द खन्ना : इस सवाल का इस से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हमारे पास इस वक्त दफा १६ के नीचे काफी दरख्वास्तें हैं, मुमकिन है उनकी तादाद चार पांच हज़ार हो । उनमें से दिल्ली की कितनी हैं मैं ज़बानी नहीं बता सकता ।

चौधरी मुहम्मद शफ़ी : यह जो दरख्वास्तें हैं इनका कब तक फैसला हो जायेगा ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैं सिर्फ इतनी तसल्ली आनरेबल मैम्बर को दिला सकता हूं कि कोशिश की जा रही है कि जितनी भी जल्दी फैसले हो सकें हो जायें ।

श्री भावगत झा आज़ाद : इस आधार पर कि शरणार्थियों को इतनी रियायतें दी जा रही हैं, क्या सरकार अपनी नीति परिवर्तित करने तथा उन मकानों का नीलाम न करके वर्तमान रहने वालों को उन मकानों का आवण्टन करने की संभावना पर विचार करती है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैं रियायतों की उलझनों को नहीं समझ सका । क्या माननीय सदस्य और स्पष्ट करेंगे जिससे मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकूं ?

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार अपनी नीति परिवर्तित करने तथा इन मकानों को नीलाम न करके तथा ऊंची दरों पर न बेच करके इनका आवण्टन करने का विचार करती है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : यह एक अलग प्रश्न है । नियमों की एक प्रतिलिपि सभा-पटल पर रखी जाती है तथा आने वाले माह की १४ तारीख को हम इस सम्मानित सभा में एक प्रस्ताव पर चर्चा करने जा रहे हैं । माननीय सदस्य को अपने विचार प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर मिलेगा तथा मुझे भी उत्तर देने का अवसर मिलेगा ।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या माननीय मंत्री इस प्रकार के नीलाम द्वारा बिक्री को तब तक के लिये बन्द रखेंगी जब तक सभा में इस पर चर्चा होती है ।

श्री मेहर चन्द खन्ना: इस समय जो भी बिक्री हो रही है वह एक निश्चित मूल्य से अधिक

थे तथा वर्तमान निवासी जो छोटे छोटे घरों में रहते हैं उन पर इसका कोई असर नहीं होगा।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने निहायत ठंडे दिल से कहा कि चार पांच हज़ार अपीलज़ हमारी मिनिस्टरी में पड़ी हुई हैं। इसका क्या तात्पर्य है ? यह क्या उनकी मिनिस्टरी के लिये शोभा की बात है या इसमें उनका मान है कि चार पांच हज़ार पड़ी हुई हैं ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : शोभा तो मेरी उतनी ही है जितनी कि उनकी है क्योंकि हम दोनों एक ही पार्टी के हैं और कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। रहा सवाल कि कब इनका फैसला होगा, मैं यह अर्ज कर सकता हूं कि यह चीज़ हमारे सामने है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी भी हो सके इनके फैसले हो जायें। इन का फैसला होने के बाद ही मैं जायदादों को बेच सकता हूं और शरणार्थियों को इवज़ाना दे सकता हूं। मुझे भी उतनी ही जल्दी है जितनी कि ग्रानरेबल मैम्बर को है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि जो मकान अभी तक बेचे गये हैं उनके कितने औक्युपेंटस को एक्विट कर दिया गया है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : साहब कुछ गलतफहमी सी पड़ी हुई है। हमने जो आज तक मकान बेचे हैं वे वही मकान बेचे हैं जो कि खाली थे या उनमें शर्णार्थी नहीं थे। बाकी जो मकान बेचे गये हैं निकासी जायदाद के उनको अंग्रेज़ी में "अनएकोनोमिक" कहा जाता है जिन की तादाद मुम्किन है दो तीन हज़ार हो।

एल्युमीनियम संयंत्र

***११८१. श्री एस० वी० रामस्वामी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सलेम में "बौक्साइट" की प्राप्ति के आधार पर मद्रास सरकार ने, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दक्षिण में एक एल्युमीनियम संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो वह संयंत्र किस आकार का होगा तथा उसका प्राक्कलित मूल्य क्या होगा;

(ग) क्या नेईवली से विद्युत् अथवा लिग्नाइट की प्राप्यता पर यह प्रस्तावित संयंत्र आधारित होगा; और

(घ) क्या इस विषय में कोई निर्णय किया है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) स्थापना के पश्चात् प्रतिष्ठापित सामर्थ्य प्रतिदिन ३० टन एल्युमीनियम; अनुमानित मूल्य ८३७.२ लाख रुपये (अनावर्तक) ६१.४८ लाख रुपये (आवर्त्तक)।

(ग) मद्रास सरकार ने यह प्रस्ताव भेजा है कि विद्युत् की आवश्यकता मेत्तूर हाइड्रोलैक्ट्रिक योजना से पूर्ण हों।

(घ) देश के विभिन्न स्थानों पर एल्युमीनियम के उत्पादन सम्बन्धी आर्थिक बातों पर विचार के लिये एक समिति के नियुक्त करने का विचार किया गया है।

श्री एस० वी० रामस्वामी : इस तथ्य की दृष्टि से कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उत्पादन को ५,००० टन से बढ़ा कर ४०,००० टन करने की व्यवस्था है, क्या इस समय इस दृष्टि से कोई कार्यवाही की जा रही है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना लागू होते ही कार्य आरम्भ हो जाये ?

श्री एस० एन० मिश्र : अब जबकि हम अपनी औद्योगिक योजना बना रहे हैं, इन सारी बातों पर विचार कर रहे हैं।

श्री एस० वी० रामस्वामी : क्या यह सच है कि अब भी एक ग़ैर-सरकारी फर्म

मद्रास सरकार के पट्टे के अधीन "अल्युमिना" का उत्पादन कर रही है ? यदि हां, तो क्या फर्म और मिल दोनों को अर्जित करने का विचार है ?

श्री एस० एन० मिश्र : मेरा ख्याल है कि यह प्रश्न अधिक औचित्यपूर्ण वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से पूछा जा सकता है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि यह दूसरा प्लांट लगाने से पेश्तर क्या सरकार ने इस बात पर भी ग़ौर किया है कि अल्वाई में जो अल्यूमीनियम प्लांट लगा हुआ है वह आधी कैपेसेटी पर काम कर रहा है ?

श्री एस० एन० मिश्र : जी हां, बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जो और भी इंडस्ट्रीज़ में हैं और जो पूरी कैपेसेटी में वर्क नहीं करते हैं और मुम्किन है कि अल्वाई के प्लांट के बारे में भी ऐसी ही बात हो ।

श्री वी० पी० नायर : उपमंत्री ने कहा था कि भावी पंचवर्षीय योजना में एक एल्युमीनियम कारखाना खोलने के तुलनात्मक लाभ और हानियों जैसी विभिन्न बातों का भारत सरकार सविस्तार अध्ययन कर रही है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उस अंग पर विचार करने के पूर्व सरकार का कोई ऐसा विचार है कि विद्यमान एल्यूमीनियम कारखानों के उत्पादन में वृद्धि की जाये, विशेषकर त्रावनकोर-कोचीन स्थित एल्यू-मीनियम कारखाने में ?

श्री एस० एन० मिश्र : अवश्य ही; सरकार के समक्ष सदैव ही यह विचार रहता है कि पहिले से विद्यमान संयंत्रों के उत्पादन में वृद्धि की जाये ।

हिन्दुस्तान जहाज कारखाना

*११८४. **श्री मात्तन :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक "हिन्दुस्तान शिपयार्ड" कारखाने को कितने जहाज़ों का क्रयादेश दिया गया है और क्या वे उन जहाज़ों को समयानुसार दे सके हैं; और

(ख) क्या प्रथम पंच वर्षीय योजना का लक्ष्य समय पर प्राप्त हो जायेगा ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) १५ जहाज़ों में से जिनका क्रयादेश हिन्दुस्तान जहाज़ कारखाने को दिया गया था, ५ जल-प्रकार के जहाज़ और एक मेयर-फार्म प्रकार का आधुनिक डिज़िल इंजन वाला जहाज़ प्राप्त हो गये हैं । इन छः जहाज़ों में से पिछले तीन जहाज़ों का संभरण, कुछ न टाले जा सकने वाले कारणों से, समय के पश्चात् हुआ । अब शेष जहाज़ों के संभरण में भी कुछ विलम्ब होगा ।

(ख) जी नहीं ।

श्री मात्तन : क्या इस अक्षम्य विलम्ब का कारण आंशिक रूप में वह टैक्नीकल सहायता है जो वे फ्रांसीसी विशेषज्ञों से प्राप्त कर रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार का विचार क्या करने का है ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं ने कहा था कि विलम्ब अनिवार्य था । यह क्षम्य है या नहीं, इस बारे में माननीय सदस्य अपना स्वयं का मत बना सकते हैं । जल प्रकार के दो जहाज़ों के बारे में हम जिन फ्रांसीसी विशेषज्ञों का सहयोग ले रहे हैं, यह गलती उनकी न थी, और दो जहाज़ों के दिये जाने में विलम्ब होने के जो कारण थे वे हमारे काबू से बाहर थे । जब जहाज़ कारखाने को सिंदिया से लिया गया उस समय पिछले मालिकों की कोई अच्छी योजना नहीं थी । समय पर पर्याप्त इस्पात के लिये क्रयादेश न दिये गये और क्रयादेश उन दो इंजनों के लिये न दिये गये जो दो जहाज़ों के लिये आवश्यक थे । हमारे देश में जो रोलिंग मिल है वह भी बन्द हो गया था । इन कारणों से इन दो जहाज़ों के संभरण में देरी हुई । जहां तक "मेयरफार्म" प्रकार के

जहाजों का सम्बन्ध है, उसका आंशिक कारण यह था कि हम ने जिन फ्रांसीसी सहयोगियों को नियुक्त किया है उनके द्वारा आरम्भ में गलत अनुमान लगाया गया । अब उन्होंने अपनी गलती पकड़ ली है । जहाज़ के कारखाने को चलाने में हमें सहायता देने के लिये उन्होंने अधिक कुशल प्रविधिवेत्ता भेज दिये हैं और अब पर्याप्त उपचार सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है । मैं कह सकता हूं कि इस कारण इस प्रश्न पर इस सभा के एक से अधिक माननीय सदस्य ध्यान दे रहे हैं, मैं सभा-पटल पर एक विस्तृत विवरण रखूंगा ।

श्री मात्तन : क्या माननीय मंत्री को विदित है कि जर्मनी के जहाज़ कारखाने और जापान के जहाज़ कारखाने समय से पूर्व जहाज़ दे रहे हैं ? यदि वर्तमान प्रगति की गति यह है तो क्या माननीय मंत्री द्वितीय पंच वर्षीय योजना से पहले उत्पादन में वृद्धि करने की कार्यवाही पर विचार करेंगे ?

श्री के० सी० रेड्डी : मुझे जापानी जहाज़ कारखानों और अन्य जहाज़ के कारखानों की कोई जानकारी नहीं है परन्तु मैं केवल अपने जहाज़ कारखाने के कार्य करने के बारे में दृढ़तापूर्वक कह सकता हूं । फिर भी, माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है, मैं उसे स्वीकार करता हूं ।

श्री रघुनाथ सिंह : इंजीनियरिंग विशेषज्ञ कितनी बार बदले गये हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं निश्चयपूर्वक नहीं बता सकता । मुझे केवल हाल में हुए परिवर्तन का ज्ञान है जब दो प्रविधिवेत्ता फ्रांसीसी फर्म की मंत्रणा से आठ प्रविधिवेत्ताओं द्वारा स्थानापन्न हुए थे ।

डा० रामा राव : विलम्ब की दृष्टि से और अपने टन भार में वृद्धि करने की तात्कालिक आवश्यकता की दृष्टि से क्या सरकार विशाखापटनम जहाज़ कारखाने का विस्तार करने का विचार करती है ?

श्री के० सी० रेड्डी : जहां तक विशाखापटनम जहाज़ के कारखाने का सम्बन्ध है, एक विस्तार योजना पहले से ही कार्यान्वित की जा रही है । मैं यह भी बता दूं कि सरकार देश में एक और जहाज़ कारखाना बनाने के औचित्य पर विचार कर रही है ।

श्री सारंगधर दास : क्या सरकार विभिन्न देशों में जहाज बनाने के ढंगों का, जिन में जापान और योरुपीय महाद्वीप के देश सम्मिलित हैं, भविष्य के लिये योजना बनाने और सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ प्राप्त करने की दृष्टि से वे चाहे योरुप में हों, चाहे एशिया में, अध्ययन करना उचित समझती है ?

श्री के० सी० रेड्डी : क्या यह सुझाव कार्यवाही करने के लिये है ?

श्रीलंका में भारतीय

*११८५. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीलंका के प्रधान मंत्री ने श्रीलंका के प्रतिनिधियों के सदन (हाउस आफ रिप्रेजेन्टेटिवस्) में यह घोषणा की थी कि वे भारत के साथ किये गये करार को तोड़ सकते हैं, यदि लंका में भारतीय उद्भव के नागरिकों के प्रश्न का कोई दूसरा हल निकल आये; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार पारस्परिक समझौते के द्वारा इस समस्या को निबटाने के लिये कोई दूसरा हल ढूंढने का प्रयत्न कर रही है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : (क) और (ख). श्रीलंका की प्रतिनिधि सभा में कई बयान दिये गये हैं, जिनसे कोई मदद नहीं मिलती । चूंकि अभी मामले पर श्रीलंका के प्रधान मंत्री

से लिखा पढ़ी हो रही है, मैं अभी इस विषय पर कुछ नहीं कहना चाहता हूं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि लंका के प्रधान मंत्री सर जान कोटलेवाला ने जब यह कहा है कि अगर इस बारे में कोई दूसरा सुझाव हो, तो वह इसको मानेंगे, तो क्या लंका से कोई दूसरा सुझाव भारत सरकार के पास आया है, जिस पर भारत सरकार विचार कर रही है ?

श्री सादत अली खां : मैं ने अभी अर्ज़ किया है कि इस मामले में खतो-किताबत हो रही है । इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता हूं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : यह वार्ता—यह खतो-किताबत—जो चल रही है, कब तक उसकी पूरी हो जाने की आशा है ?

श्री सादत अली खां : इसका इन्हिसार तो हालत पर है—जैसे हालात होंगे, उन्हीं के मुताबिक वह हो जायेगी ।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या यह सच है कि लंका के हिन्दुस्तानियों की तरफ़ से कोई दरख्वास्त गवर्नमेंट के पास आई है कि वे स्वयं इस को हल करना चाहते हैं ?

श्री सादत अली खां : नहीं, ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं आई है ।

श्री कामत : क्या यह सच है कि श्रीलंका के प्रधान मंत्री ने श्रीलंका की संसद् में हाल में यह घोषणा की थी कि श्रीलंका में इतनी अधिक संख्या में भारतीयों का होना, ब्रिटिश साम्राज्यवाद की अपेक्षा अधिक बड़ा खतरा उत्पन्न करता है और उन्होंने आगे सुझाव दिया कि लंका में भारतीय उद्गम के व्यक्ति ब्रिटिश बोर्नियो में बस सकते हैं, और यदि हां, तो क्या यह आगे की वार्ता के लिये असहायतापूर्ण वातावरण उत्पन्न करता है ?

श्री सादत अली खां : ये समाचार समाचार पत्रों में प्रकाशित हुये थे और हाल ही में मैं ने उन्हें देखा था । मैंने पहले कहा था कि अब तक उनका व्यवहार सहायता देने वाला नहीं रहा है ।

श्री कामत : क्या यह सच है कि श्रीलंका की सरकार ने भारतीय नागरिकों के इन आवेदन पत्रों में से बहुत बड़ी संख्या में केवल इस कारण अस्वीकृत कर दिये हैं कि जांच पूर्व सूचना जो उन्हें भेंट के लिये बुलाने के लिये भेजी गई थी, उन्हें समय पर नहीं मिली थी ?

श्री सादत अली खां : यह सर्वविदित तथ्य है और इस सभा में अनेक बार दोहराया गया है ।

श्री काजरोल्कर : क्या यह सच है कि इस समस्या को सुलझाने के लिये भारत और श्रीलंका के प्रधान मंत्रियों की एक भेंट हाल में होगी ?

श्री सादत अली खां : भेंट का कोई प्रश्न नहीं है । मैं पहले बता चुका हूं कि दोनों प्रधान मंत्रियों के बीच पत्र-व्यवहार हो रहा है ।

श्री कासलीवाल : क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई विस्तृत सूचना प्राप्त हुई है कि श्रीलंका के प्रधान मंत्री ने लंका की प्रतिनिधि सभा में क्या कहा ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : प्रत्यक्ष है कि श्रीलंका संसद् में जो भी उद्घोषणा होती है उसकी सूचना हमारे उच्चायुक्त हमें देते हैं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या यह सच है कि सिलोन पार्लयामेंट में कुछ मेम्बरों ने कहा कि जो भारतीय लंका में घुसेंगे, उनको गोली से उड़ा दिया जायेगा ? इसमें कहां तक सचाई है और इस विषय में सरकार ने क्या एन्क्वायरी की है ?

श्री सादत अली खां : ये सिर्फ बातें हैं—धुंआंधार तक़रीरें हैं—जो होती ही रहती हैं ।

श्री कामत : क्या सरकार के पास यह सूचना है कि भारत में श्रीलंका के उद्गम के कितने व्यक्ति हैं और उन में से कितनों ने भारतीय नागरिकता के लिये प्रार्थना की है ?

श्री सादत अली खां : मैं पूर्व सूचना चाहता हूं ।

तेल शोधक कारखाने

*११८९. **श्री बर्मन** : क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक भारत में जो तेल शोधक कारखाने स्थापित किये गये हैं उनका डिज़ाइन बनाने और आयोजन करने में किसी भारतीय को सम्मिलित किया गया था; और

(ख) यदि नहीं, तो इस उद्योग का डिजाइन बनाने और आयोजन करने में भारतीयों को प्रशिक्षिण देने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) भविष्य में जब कभी भी कोई सुअवसर आयेगा, तेल शोधक कारखानों का डिजाइन बनाने और आयोजन करने में भारतीय नागरिकों को प्रशिक्षण देने के प्रश्न पर ध्यान दिया जायेगा ।

श्री बर्मन : जब भारत स्थित ट्राम्बे में दो तेल शोधक कारखाने खोले गये थे, उस समय सरकार ने यह देखने के लिये कोई प्रयत्न किया था कि डिज़ाइन बनाने और आयोजन करने के कार्य में हमारे लोगों को भी सम्मिलित किया जाता है ?

श्री सतीश चन्द्र : शोधक कारखाने गैर-सरकारी क्षेत्र में विदेशी समवायों के हैं । उनका डिज़ाइन पहले ही, जब उन्हें लाइसेंस दिये गये, अमरीका और इंगलिस्तान में बनाया गया था । समझौते के निगमित खण्ड में शोधक कार्य में, जब ये कारखाने खोले जा रहे थे, शोधक कार्य में प्रशिक्षण और प्राद्योगिक प्रशिक्षण का उपबन्ध किया गया था । इन शोधक कारखानों का डिज़ाइन बनाने और आयोजन करने में भारतीय सम्मिलित नहीं हो सकते ।

श्री बर्मन : क्या यह सच है कि आसाम और अन्य जगहों में तेल मिलने के कारण और बंगाल की खाड़ी में तेल प्राप्त होने की संभावना के कारण नये तेल शोधक कारखाने खोलने की आवश्यकता है ? क्या नये तेल शोधक कारखाने खोलने का विचार है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : इस सम्बन्ध में आसाम सरकार ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और वह योजना आयोग और भारत सरकार के विचाराधीन है ।

श्री के० के० बसु : इस दृष्टि से कि सरकार बहुत से तेल शोधक कारखाने खोल रही है, क्या सरकार का विचार डिज़ाइन बनाने की स्थिति से ही भारतीयों को सम्मिलित करने का है ? अन्यथा हमें प्रति बार विदेशी विशेषज्ञों पर निर्भर रहना होगा ?

श्री सतीश चन्द्र: यह बहुत ही टक्निकल काम है । भारतीयों को शोधन कार्यों का भी अनुभव नहीं है । अब उन्हें शोधन कार्यों में और उसके निर्माण में कुछ प्राद्योगिक अनुभव होगा और वे भविष्य में डिज़ाइन बनाना सीख सकेंगे ।

श्री बर्मन : मुझे भी एक ऐसा ही प्रश्न पूछना है । इस दृष्टि से कि आसाम और बंगाल की खाड़ी में तेल मिलने के कारण दूसरा तेल शोधक कारखाना बनाने की सम्भावना है, क्या इस समय यह प्रस्ताव है कि नया

कारखाना स्थापित करते समय हमारी ओर से समझौते में एक यह शर्त रखने का प्रयत्न होना चाहिये कि अधिष्ठापनों के आदि से अन्त तक हमारे लोगों को सम्मिलित किया जायेगा ।

श्री सतीश चन्द्र : मैं पहले ही कह चुका हूं कि इसका ध्यान रखा जायेगा ।

अन्तर्राष्ट्रीय सचिवालय, हिन्दचीन

*११९०. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दचीन स्थित अन्तर्राष्ट्रीय सचिवालय म कितने भारतीय काम कर रहे हैं; और

(ख) उनमें से कितने असैनिक हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : (क) ८०१ ।

(ख) ९२ ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि चूंकि वहां पिछले दिनों कुछ उपद्रव हुए थे इसलिये हमारे जो हिन्दुस्तानी भाई वहां हैं क्या उनकी जान माल की हिफ़ाज़त के लिये पूरा प्रबन्ध कर दिया गया है ?

श्री सादत अली खां : यक़ीनन, और वह सब ख़रियत से हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो हमारे फ़ौजी और सिविलियन भाई वहां गये हुए हैं ये कब तक लौटेंगे और आज कल वह किस किस काम पर नियुक्त हैं ?

श्री सादत अली खां : यह बताना तो मुश्किल है कि वह कब तक लौटेंगे । मगर उनमें से बाज़ आते जाते रहते हैं ।

डा० सुरेश चन्द्र : उस अन्तर्राष्ट्रीय सचिवालय जो असैनिक कर्मचारी हैं उनमें से कितने उस देश की भाषा को जानते हैं जहां उन्हें भेजा गया है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : उन क्षेत्रों में सभी व्यावहारिक कार्यों के लिये फ्रेंच भाषा ही शासकीय भाषा है, और जहां तक संभव हुआ है हम ने वहां उन्हीं पदाधिकारियों को भेजा है जो फ्रेंच भाषा जानते हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार इन पर कितना ख़र्च कर रही है और क्या इनको वहां काम करने के लिये कोई ख़ास एलाउंस दिया जाता है ?

श्री सादत अली खां : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

डा० रामा राव : अभी हाल ही में सेगांव में हमारे कुछ कर्मचारियों पर आक्रमण हुआ था । तो उन व्यक्तियों को कितना प्रतिकर दिया गया था ?

श्री सादत अली खां : यह एक पृथक् प्रश्न है जिसके लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

चौधरी मुहम्मद शफ़ी : इन पदाधिकारियों और कर्मचारियों को कौन कौन सी विशेष सुविधायें दी गयी हैं ?

श्री सादत अली खां : क्या ये पदाधिकारी अगले प्रश्न के अन्तर्गत आते हैं अथवा इसी प्रश्न के अन्तर्गत ?

उपाध्यक्ष महोदय : इसी प्रश्न के अन्तर्गत ।

श्री अनिल के० चन्दा : उन्हें निःशुल्क निवास-स्थान, तथा निःशुल्क भोजन दिया जाता है और कई अन्य भत्ते भी दिये जाते हैं ।

ग्राम्य स्तर के कर्मचारी

***११९४. श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक परियोजना कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये ग्राम्य स्तर के लगभग कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होगी इसके बारे में कोई अनुमान किया है; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें प्रशिक्षित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) वर्तमान प्रशिक्षण सुविधाओं को जारी रखने के अतिरिक्त द्वितीय पंचवर्षीय योजना कालावधि की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये १८ अतिरिक्त विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र और ४१ बुनियादी कृषि सम्बन्धी स्कूल भाग स्थापित करने की प्रस्थापना की गई है ।

श्री भागवत झा आज़ाद : प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में माननीय मंत्री ने "जी हां" कहा है। मैं जानना चाहता हूं कि इस कालावधि में लगभग कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी ?

श्री एस० एन० मिश्र : द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में देश में हम जिन ३८०० खंडों को स्थापित करने जा रहे हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये हमें ग्राम्य स्तर के ३८,००० कर्मचारियों की आवश्यकता होगी।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या इन्हें भर्ती करते समय सरकार इस बात का ध्यान रखती है कि वे उसी क्षेत्र में नियुक्त किये जायें जहां से वे आये हों ?

श्री एस० एन० मिश्र : क्षेत्र के बारे में तो मुझे ठीक ठीक पता नहीं है, परन्तु प्रायः उन क्षेत्रों में उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है जो कि उन क्षेत्रों के निवासियों की आदतों अथवा वहां की बोलियों से अच्छी प्रकार से परिचित होते हैं । हो सकता है कि उसे बिल्कुल उसी क्षेत्र में नियुक्त न किया जाय जिसमें उसका अपना गांव हो ।

श्री तिम्मय्या : अभी तक कितने ग्राम्य स्तर के कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है ?

श्री एस० एन० मिश्र : मार्च, १९५५ तक उनकी संख्या संभवतः ७००० से कुछ अधिक थी ।

श्री कासलीवाल : क्या इन ग्राम्य स्तर के कर्मचारियों के निर्धारित किये जा रहे पाठ्य क्रम राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किये जा रहे हैं अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा और यदि वह राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किये जा रहे हैं तो क्या ये पाठ्यक्रम प्रत्येक राज्य में भिन्न भिन्न हैं ?

श्री एस० एन० मिश्र : नहीं, श्रीमान् । प्रायः पाठ्य क्रम भिन्न भिन्न नहीं होते हैं, परन्तु विभिन्न क्षेत्रों में प्रारम्भ किये जाने वाले कार्यक्रमों के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए हो सकता है कि कहीं थोड़ा बहुत अन्तर हो, परन्तु प्रायः उनमें कोई भेद नहीं है ।

श्रीमती सुषमा सेन : इन ७००० व्यक्तियों में से कितनी महिला कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ?

श्री एस० एन० मिश्र : मझे इस बात का दुःख है कि मैं संख्या बता नहीं सकता ।

ऊन कातने का चर्खा

***११९५. श्री भक्त दर्शन** : क्या **उत्पादन** मंत्री ७ मार्च, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ६१९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ने सूत कातने के चर्खे

की भांति ऊन कातने के अच्छे चर्खों का आविष्कार करने वाले को उचित पारितोषिक देने के सुझाव पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या निर्णय किया गया है ?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) जी हां ।

(ख) बोर्ड ने इस समय यही निर्णय किया है कि ऊन कातने वाले चर्खे में सुधार करने के लिये पारितोषिक देने की घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस सम्बन्ध में विदेशों में कुछ परीक्षणों के फलस्वरूप अच्छे प्रकार के चर्खे का आविष्कार हो चुका है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आयी है कि कई दशाब्दियों पहले तक कई हज़ार कारीगर इस क्षेत्र में कार्य कर रहे थे और चूंकि कताई की प्रणाली में कोई सुधार इस बीच नहीं हुआ है इसलिये उनकी संख्या दिनों दिन गिरती जा रही है ? इसलिये इस विषय पर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

श्री आर० जी० दुबे : हाल में इस बारे में खादी बोर्ड की बैठक हुई थी और इस सूचना पर विचार किया गया था और यह तै हुआ कि इटली और इंगलैंड में इम्प्रूव्ड डिज़ाइन के चर्खे मौजूद हैं, उन्हीं पर यहां कुछ प्रयोग किया जायेगा । और साथ ही साथ जो खादी बोर्ड के इनचार्ज हैं उनको यह काम सौंप दिया गया है कि वे इस प्रयोग को अलग अलग एटमासफेरिक कंडीशन्स में करावें ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि यह निर्णय करने से पहले खादी बोर्ड ने उन लोगों से भी परामर्श किया था जो कि ऊन कताई के काम में विशेषज्ञ हैं और इस काम को कई वर्षों से करते चले आ रहे हैं ?

श्री आर० जी० दुबे : मैं समझता हूं कि जो लोग इस प्रोफ़ेशन में हैं उनके साथ कुछ सोच विचार किया गया होगा, लेकिन जब आनरेबुल मेम्बर कहते हैं तो इस पर सोच विचार किया जायगा ।

इथियोपिया के राजा की यात्रा

*११९६. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इथियोपिया के सम्राट् महामहिम हेल सिलासी का विचार अगले वर्ष भारत की यात्रा करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा का प्रयोजन क्या है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) उनकी यात्रा का उद्देश्य भारत और इथियोपिया के मौजूदा भाईचारे और दोस्ती के सम्बन्धों को मज़बूत बनाना है ।

श्री रघुनाथ सिंह : उनके आने का शिड्यूल्ड टाइम क्या है ? क्या मैं जान सकता हूं ?

श्री अनिल के० चन्दा : उसका पूरा विवरण अभी तक नहीं मिला है ।

श्री रघुनाथ सिंह : हमारी तरफ़ से उनके स्वागत का क्या ख़ास इन्तिज़ाम हो रहा है ?

श्री अनिल के० चन्दा : जो कुछ करना चाहिये वह किया जा रहा है ।

श्री मात्तन : क्या माननीय मंत्री को विदित है कि दक्षिण भारत में, त्रावनकोर-कोचीन राज्य में एक चर्च है जिसका इथियोपिया के चर्च के साथ पूर्ण रूपेण धर्म-भ्रातृत्व है और महामहिम की दृष्टि में इस चर्च का बहुत आदर है-?

उपाध्यक्ष महोदय : यह किसके सम्बन्ध में है ?

एक माननीय सदस्य : यह कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री मात्तन : यह प्रश्न संख्या ११९६ के सम्बध में है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न इथियोपिय के सम्राट् महामहिम के दौरे के सम्बन्ध में है । माननीय सदस्य दक्षिण भारत में स्थित किसी चर्च के सम्बन्ध में सूचना दे रहे हैं ।

श्री मात्तन : इस से इस देश के प्रति उनकी रुचि ज्ञात होती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्नों का घंटा समाप्त हो गया है ।

तारांकित प्रश्न संख्या ११६४ के उत्तर में शुद्धि

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं श्री रामचन्द्र रेड्डी के एक अनुपूरक प्रश्न के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर को शुद्ध करना चाहता हूं । मैं ने कहा था कि अननुज्ञप्त व्यापारियों पर भी क़िस्म सम्बन्धी नियंत्रण लागू किया जा रहा है । यह ठीक नहीं है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

विदेशी व्यापार

***११६२. श्री एम० आर० कृष्ण** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार विदेशों से उत्तम व्यापार सम्बन्धों का सुनिश्चय करने के लिये देश के विभिन्न व्यापारिक हितों का प्रतिनिधान करने वाली एक केन्द्रीय समिति स्थापित करने की प्रस्थापना करती है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : जी नहीं श्रीमान् ।

अतिरेक खाद्य वस्तुयें

***११६३. श्री डाभी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकनों द्वारा छोड़ा गया ६२,८०० रुपये के मूल्य के जमे हुए मांस की सूचना नवम्बर, १९४७ में प्रादेशिक उत्सर्जन संगठन को दी गई थी, और मई, १९४८ में १०,५०० रुपये के मूल्य के मांस तथा आईसक्रीम की अग्रेतर परिमात्रा की सूचना दी गई थी, और वह एक डिपो में स्टॉक किये हुए थे जिसके लिये सरकार को ८,७०० रुपये प्रति मास शीत संग्रहार के किराये के रूप में देने पड़े थे और जिनको दिसम्बर, १९४८ में अन्तिम रूप से नष्ट कर दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिये उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा चुका है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) स्थिति का स्पष्टीकरण करने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ९**]

विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

***११६५. श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान द्वारा अधिकृत जम्मू तथा काश्मीर के क्षेत्र से विस्थापित हुए व्यक्तियों को पुनर्वासित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने की प्रस्थापना है; और

†कृपया देखिये स्तम्भ संख्या १७३२ ।

(ख) अब तक इस कार्य के लिये जम्मू तथा काश्मीर सरकार को दिये गये कुल ऋण की राशि कितनी है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख). जम्मू तथा काश्मीर राज्य के पाकिस्तान द्वारा अधिकृतक्षेत्र से विस्थापित हुए व्यक्तियों के पुनर्वास का कार्य गत कई वर्षों से हो रहा है। उनकी सहायता तथा पुनर्वास पर अब तक कोई ३.११ करोड़ रुपया व्यय हो चुका है। हाल ही में श्रीनगर में जम्मू तथा काश्मीर के मुख्य मंत्री और संघ पुनर्वास मंत्री के मध्य हुए सम्मेलन में किये गये निर्णयों के परिणामस्वरूप पुनर्वास और आवास योजनाओं पर कोई ८० लाख रुपये की एक अग्रेतर धन राशि व्यय करने की प्रस्थापना की गई है।

इस्पात आयात

***११६६. श्री विभूति मिश्र** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५५-५६ में रेलवे संबंधी आवश्यकताओं के लिये इस्पात का आयात करने की प्रस्थापना है;

(ख) यदि हां, तो इस्पात की कितनी परिमात्रा आयात की जायेगी;

(ग) उसका भारतीय मुद्रा में क्या मूल्य होगा; और

(घ) जिन देशों से उसे आयात किया जायगा उनके नाम क्या हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) कोई २००,००० टन।

(ग) अनमानत: कोई १३ करोड़ रुपये।

(घ) जापान, इंगलैण्ड, बैल्जियम, फ्रांस, चैकोस्लोवाकिया, सोवियत रूस, संयुक्त राज्य अमरीका और जर्मनी।

राष्ट्रीय विकास परिषद्

***११६९. श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम जिन्होंने विकास हेतु अपने संसाधनों को बढ़ाने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय विकास परिषद् की सिफ़ारिशों को स्वीकार कर लिया और कार्यान्वित किया है; और

(ख) उन राज्यों के नाम जिन्होंने इन सिफ़ारिशों को अभी तक स्वीकार नहीं किया है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र): (क) और (ख). ९ मई, १९५५ को हुई राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने राज्यों तथा स्थानीय वित्तों के सम्बन्ध में कराधान जांच आयोग द्वारा की गई सिफ़ारिशों का पुनरीक्षण करना, और केन्द्रीय राजस्वों के सम्बन्ध में आयोग की प्रस्थापनाओं के विषय में और, यदि आवश्यक हुआ तो अनिवार्य बचत की योजनाओं समेत बचत कार्य को तीव्र करने के लिये सुझाव देना स्वीकार किया। अधिकांश मुख्य मंत्रियों की सम्मतियां प्राप्त हो गई हैं और योजना आयोग में उन का अध्ययन किया जा रहा है। इसलिये उन राज्यों के नाम बताने का, जिन्होंने विकास के लिये अपने संसाधनों को बढ़ाने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय विकास परिषद् को स्वीकार कर लिया है अथवा नहीं किया है, प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

साबुन

***११७२. पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री १३ सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८१९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में साबुन की कम खपत के कारणों का पता लगाने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है; और

(ख) क्या साबुन की खपत युद्ध-पूर्व स्तर से भी कम हो गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी हां, श्रीमान् । परन्तु मैं यह और कह दूं कि गत १३ सितम्बर को दिये गये उत्तर के पश्चात् मुझ कुटीर क्षेत्र के उत्पादन के आंकड़ों की जांच करने का अवसर प्राप्त हुआ था । अब यह अनुमान किया जाता है कि १९५४ के लिये कुटीर क्षेत्र में कॉस्टिक सोडे की खपत ६८०० टन होनी चाहिये । उस आधार पर कुटीर क्षेत्र का उत्पादन इस आंकड़े का सोलह गुना अर्थात् १०८,००० टन होना चाहिये और साबुन का कुल उत्पादन १९६,००० टन होना चाहिये ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

कोयला

***११७४. डा० राम सुभग सिंह** : क्या **उत्पादन** मंत्री २२ अप्रैल, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २५०७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से, द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में कोयला उत्पादन के सम्बन्ध में कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत कोयले के उत्पादन का वार्षिक लक्ष्य कितना है; और

(ग) इसके अन्तर्गत कोयला उद्योग को प्राविधिक तथा अन्य प्रकार की कौन सी सुविधायें दी जायेंगी ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) से (ग). योजना आयोग के परामर्श से यह प्रस्थापित किया गया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक उत्पादन का लक्ष्य ६०० लाख टन कोयला प्रति वर्ष होना चाहिये । इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये, सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र दोनों के खनन कार्यों का बहुत प्रसार करने की आवश्यकता होगी । सरकार इसके लिये बहुत से उपाय करने का विचार कर रही है जिसमें गैर सरकारी क्षेत्रों को दी जाने वाली सुविधायें भी सम्मिलित हैं ।

गंगा का बांध

***११७६. श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २ अप्रैल, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १८२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या तब से गंगा के बांध के निर्माण कार्य को आरम्भ करने के सम्बन्ध में कोई प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : इस समय यह योजना विचाराधीन है । अभी यह बताना संभव नहीं है कि गंगा के बांध के निर्माण कार्य के कब तक आरम्भ होने की संभावना है ।

स्तरकाष्ठ (प्लाईवुड)

***११७७. श्री ए० के० गोपालन** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डॉलर क्षेत्र से आयात किये जाने वाले स्तरकाष्ठ (प्लाईवुड) के अभ्यंश, में अभिवृद्धि किये जाने के कारण; और

(ख) देश के विशेषतः मालाबार (मद्रास) के स्तरकाष्ठ निर्माण उद्योग पर इस अभिवृद्धि का प्रभाव ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) स्तरकाष्ठ आयात व्यापार नियंत्रण अनुसूची के भाग ५ क्रम संख्या ४२ (ख) के अन्तर्गत आता है और इस वस्तु के किसी भी आयात की अनुमति नहीं है । इसी मद्द के अंतर्गत आने वाली अलंकारिक और सजावट वाली लकड़ी की महीन पतली तख्तियों के अभ्यंश में कुछ अभिवृद्धि की गई है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कोसी परियोजना

*११७९. **श्री ए० एन० विद्यालंकार** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १० अगस्त, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल की बहिया में नवनिर्मित कोसी बांध का कुछ अंश बह गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सामग्री तथा मशीनों की हानि समेत लगभग कितनी हानि हुई है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

व्यापार चिन्ह

*११८०. **श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने नक़ली वस्तुओं की बिक्री के सम्बन्ध में व्यापार चिह्न के अतिलंघन को रोकने के लिये कड़ी कार्यवाही करने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार के नाम एक निदेश जारी किया है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक व्यापार-चिन्ह अतिलंघन के कितने मामले पकड़े गये हैं और उनमें से नक़ली औषधियों, खाद्य वस्तुओं तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं सम्बन्धी मामलों की अलग अलग संख्या कितनी हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां ।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और अधिक निश्चित तथा विस्तृत जानकारी एकत्रित की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भैंस के सींगों का निर्यात

*११८२. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आजकल भैंस के सींगों का निर्यात किया जाता है ;

(ख) क्या सरकार को कंघी बनाने के उद्योग में लगे व्यक्तियों से कोई ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है कि देश में भैंस के सींगों का अभाव है ; और

(ग) क्या सरकार कंघी बनाने वाले कारीगरों की सहायता करने के लिये ऋणों की व्यवस्था करने तथा एकाधिकार व्यापार को रोकने का विचार करती है ?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) वर्तमान व्यापार वर्गीकरण के अनुसार निर्यात व्यापार सांख्यकी में भैंस के सींग अलग से नहीं दिखाये जाते हैं । यह "खुर, सींग, तथा सींग के किनारों तथा टुकड़ों" की मद में सम्मिलित हैं, जिन पर निर्यात सम्बन्धी कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

(ख) नहीं ।

(ग) सरकार भैंस के सींगों से कंघी बनाने वाली किसी भी ग़ैर-सरकारी निगमित संस्था या राज्य सरकार से प्राप्त होने वाली किसी भी निश्चित प्रस्थापना पर विचार करेगी ।

चाय बागान का भारतीयकरण

*११८३. **श्री एन० एम० लिंगम** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९४७ को तथा १ जनवरी, १९५५ को चाय बागानों में प्रबन्ध सम्बन्धी पदों पर नियुक्त भारतीयों तथा अभारतीयों की संख्या कितनी थी ; और

(ख) इस उद्योग की सेवाओं के भारतीय-करण की गति में तीव्रता लाने के लिये सरकार द्वारा कौन से उपाय किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क)

	भारतीय	अभारतीय
१–१–१९४७	१०१	९४१
१–१–१९५५	४७७	९३७

(ख) इस प्रकार के विषय के सम्बन्ध में सरकार द्वारा किये गये उपायों का वर्गीकरण करना कठिन है । परन्तु तत्सम्बन्धी हित जानते हैं कि सरकार की इस सम्बन्ध में क्या इच्छा है ?

हाथ करघे का कपड़ा

*११८६. **श्री एस० वी० एल० नरसिंहम्** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक हाथ करघे के कपड़े की बिक्री पर हाथकरघा सहकारिता समितियों का आन्ध्र के कुशल बुनकरों को दी गई छट की कुल राशि कितनी है ;

(ख) छूट दिये जाने से कितने हाथ-करघों ने लाभ उठाया है और राज्य के हाथ-करघों की कुल संख्या के साथ उनका अनुपात क्या है ; और

(ग) क्या हाथ करघे के कपड़े के जाली उत्पादन तथा विक्रय सम्बन्धी प्रविष्टियों के सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) १९५४–५५ में ९,८६,८९१ रुपये, आठ आने ।

(ख) १,२२,४०७ अर्थात् राज्य के कुल करघों का ४५ प्रतिशत ।

(ग) अखिल भारतीय हाथकरघा बोर्ड का ध्यान कुछ कदाचारों की ओर आकर्षित किया गया है जिनकी जांच की जा रही है ।

इस्पात उत्पाद

*११८७. **मुल्ला अब्दुल्लाभाई** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने चैकोस्लोवाकिया से 'बिलेट' और 'ज्वाएस्ट' आयात करने का विनिश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन धातुओं का जिन के लिये कि आर्डर दिया गया है टन भार और मूल्य कितना है ; और

(ग) क्या सरकार किसी और देश से भी इस्पात आयात करने का विचार करती है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) हां ।

(ख) लगभग ८,००० टन बिलेटस तथा ३००० टन ज्वाएस्ट, जिनका कुल मूल्य ५६.४० लाख रुपये है ।

(ग) हां । सरकार, जहां भी इस्पात प्रतियोगीय मूल्यों पर उपलब्ध है, वहां से आयात कर रही है ।

आवास स्थान

*११८८. **श्री वीरस्वामी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २७ अप्रैल, १९५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ११०३

के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से लोदी कॉलोनी की दो कमरे वाली चमरियों के किराये को घटाने का विनिश्चय किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो जो पुनरीक्षित किराया निर्धारित किया गया है वह कितना है ; और

(ग) यह किस तिथि से लागू होगा ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). इस विषय पर विचार किया गया है और हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि लोदी कॉलोनी, नई दिल्ली की दो कमरे वाली चमरियों का किराया घटाने का कोई उचित कारण नहीं है ।

क्षार के मूल्य

***११९१. श्री एम० आर० कृष्ण** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है साबुन, रेमान, एल्यूमीनियम तथा वस्त्र उद्योग जैसे अधिकांश उद्योगों ने सरकार के सामने क्षारों के मूल्यों के घटाये जाने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या चालू मूल्यों को कम करने की दृष्टि से, सोडा ऐश जैसे क्षार तय्यार करने के कारखाने स्थापित करने के लिये गैर सरकारी क्षेत्र को कोई सहायता दी गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) नहीं । साबुन और कांच के कुछ छोटे छोटे उत्पादकों की सोडा ऐश और कास्टिक सोडा के मुल्यों के सम्बन्ध में केवल आकस्मिक शिकायतें प्राप्त हुई थीं ।

(ख) हां । उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत, कास्टिक सोडा तथा सोडा ऐश के उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने के लिये अनेक योजनायें अनुज्ञापित की गई हैं । चूंकि इन योजनाओं के परिपालन में कुछ समय लगेगा सरकार ने कुछ उपाय किये थे जिन के परिणामस्वरूप अब यह वस्तुएं वास्तविक उपभोक्ताओं को मुक्तियुक्त मूल्य पर उपलब्ध हैं ।

खादी

***११९२. श्री डाभी** : क्या उत्पादन मंत्री २ अप्रैल, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १८०० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने नक़ली खादी बेचने के अपराध के सम्बन्ध में दण्डिक उपबन्धों की व्यवस्था करने के लिये उस समय से कोई कार्यवाही की है ?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे) : यह विषय सरकार के विचाराधीन है ।

हाथ करघे का कपड़ा

***११९३. श्री विभूति मिश्र** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार हाथकरघे के कपड़े के क्रय पर न्यूनतम छूट की सीमा को दो रुपये से घटा कर एक रुपया करने का विचार करती है ; और

(ख) यदि हां, तो किस तिथि से ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). ऐसी कोई प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

अल्वाये में उर्वरक कारखाना

***११९७. { श्री एस० सी० सामन्त : श्री वीरस्वामी :**

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री २७ अप्रैल, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २६४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रावनकोर के मेसर्स फर्टीलाईज़र्स एण्ड केमिकल्स ने अल्वाये

कारखाने में एक नया अमोनियम क्लोराईड संयंत्र लगाने का काम पूरा कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी प्राक्कलित वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है ;

(ग) क्या वह देश की वर्त्तमान तथा भावी आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगा ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार उनको क्या सहायता देने का विचार करती है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) हां।

(ख) लगभग ८००० टन प्रतिवर्ष ।

(ग) हां, वह देश की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगा, और जहां तक भावी आवश्यकताओं का सम्बन्ध है वह अमोनियम क्लोराईड की मांग पर निर्भर होगा ।

(घ) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सिन्द्री का यूरिया संयंत्र

*११९८. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिन्द्री (बिहार) में यूरिया संयंत्र लगाने का काम आरम्भ हो गया है ; और

(ख) यह निर्माण कार्य कब तक समाप्त हो जायगा ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) यूरिया संयंत्र स्थापित करने सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्य समाप्त किया जा चुका है । वास्तविक निर्माण कार्य के शीघ्र ही आरम्भ किये जाने की आशा है ।

(ख) १९५७ के अन्त तक इसके पूर्ण हो जाने की आशा की जाती है ।

केन्द्रीय विपणन संगठन

*११९९. **श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार की प्रार्थना पर औद्योगिक सांख्यकी कार्यालय द्वारा हाथ से बनी हुई तथा छोटे पैमाने पर निर्मित वस्तुओं के खुरदा विपणन के सर्वेक्षण के प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों के अनुसार पद्धति अनुसार क्रमबद्ध गवेषणा कार्य जारी रखने के लिये कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये कोई केन्द्रीय विपणन संगठन बनाया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : भारत सरकार ने छोटे पैमाने के उद्योगों के उत्पादों की विपणन स्थिति का सर्वेक्षण करने के हेतु राष्ट्रीय छोटे पैमाने के उद्योग निगम में एक डिवीजन आरम्भ करने का निर्णय किया है। औद्योगिक सांख्यकी कार्यालय, कलकत्ता द्वारा किये गये सर्वेक्षण का प्रयोजन फोर्ड फाउंडेशन अन्तर्राष्ट्रीय प्लैनिंग दल के उपयोग के लिये, कुटीर तथा छोटे पैमाने के प्रयोगों के विकास के लिये एक कार्यक्रम तैयार करने के प्रयोजन से सांख्यकी एकत्रित करना था ।

छोटे चलचित्र

*१२००. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता, बम्बई और दिल्ली में चलचित्र (फिल्म्स्) डिवीजन की ओर से चलचित्रों के मैटनी प्रदर्शन का जो आयोजन किया जा रहा है उसका प्रबन्ध पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उस में किस प्रकार के चलचित्रों का प्रदर्शन किया जायेगा ;

(ग) प्रदर्शन गृहों के मालिकों से जो क़रार किया गया है उसकी रूपरेखा क्या है ;

(घ) क्या लाभ में सरकार का हिस्सा रहेगा ; और

(ङ) यदि हां, तो कितना ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) प्रबन्ध करने के बारे में बातचीत चल रही है ।

(ख) डोक्यूमैन्टरी चित्र और समाचार पत्रिकायें।

(ग) से (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापित व्यक्ति

*१२०१. **श्री डी० सी० शर्मा :**
श्री के० पी० सिन्हा :
श्री कृष्णाचार्य जोशी :
श्री बी० के० दास :
श्री आर० के० चौधरी :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों का अधिक निकास हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो मार्च से जुलाई १९५५ तक सीमा पार करने वालों की अनुमानित संख्या क्या है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जी हां।

(ख) १,२०,६२२ विस्थापित व्यक्ति।

घानी तेल उद्योग

*१२०२. **श्री भागवत झा आज़ाद :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने १९५४-५५ और १९५५-५६ में अभी तक अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड को विशेष रूप से गांव के घानी तेल उद्योग के विकास के लिये कोई अनुदान या ऋण स्वीकार किया है; और

(ख) इस योजना के अन्तर्गत कितनी घानियां स्थापित की गई हैं या की जाने वाली हैं ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी हां।

(ख) सन् १९५३-५४ से ९५७ उत्तम प्रकार की घानियां लगाई गई हैं। लगभग ११०० घानियां इस वर्ष और भी लगाने का विचार है।

निर्यात संवर्द्धन परिषद्

*१२०३. **श्री एम० इस्लामुद्दीन :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्या सरकार वनस्पति तैल तथा खली के लिये एक निर्यात संवर्द्धन परिषद् बनाने की प्रस्थापना करती है;

(ख) यदि हां, तो यह कब बनायी जायेगी; और

(ग) उक्त परिषद् के कृत्य क्या होंगे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होते।

युरेनियम अयस्क

६१९. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४-५५ में ज्ञात हुए युरेनियम अयस्क के निक्षेपों का अनुमानित मूल्य क्या है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : १९५४-५५ में पता लगाने वाले युरेनियम अयस्क के निक्षेप अधिकतर घटिया प्रकार के हैं। आवश्यक खोज कार्य, जिसमें छेद करने का कार्य भी सम्मिलित है, उन निक्षेपों का विस्तार जानने के लिये किया जा रहा है। अतः इस अवस्था पर इन निक्षेपों से प्राप्त होने वाले युरेनियम अयस्क के मूल्य का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

सीमेंट के कारखाने

६२०. **श्री इब्राहीम** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में चल रही सीमेंट फैक्टरियों की राज्यवार संख्या क्या है; और

(ख) इस उद्योग में इस समय कुल कितनी पूंजी लगी हुई है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १०]**

हिन्दी के प्रकाशन

६२१. **श्री इब्राहीम** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मंत्रालय ने कितने प्रकाशन हिंदी में निकाले हैं और उनका परिचालन कितना है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : हिन्दी में एक प्रकाशन जारी किया जाता है, और वह है हिन्दी मासिक पत्रिका **उद्योग व्यापार** पत्रिका । जुलाई अंक की ३२०० प्रतियां मुद्रित एवं परिचालित की गई थीं ।

विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

६२२. **श्री इब्राहीम** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास पर अब तक कुल कितनी रकम व्यय की गई है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :

(यह गणना लाख में है)

३१-३-१९५५ तक . . २४२.६८ रुपये

विक्रय केन्द्र तथा प्रदर्शनालय

६२३. **श्री गिडवानी** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल-भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा चलाये जाने वाले विक्रय केन्द्रों, प्रदर्शनालयों तथा भंडारों की संख्या क्या है;

(ख) १९५४-५५ में इन केन्द्रों, भंडारों, तथा प्रदर्शनालयों में कुल कितना विक्रय हुआ; और

(ग) इन केन्द्रों से शुद्ध लाभ कितना हुआ ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ११]**

बंगाल चल-चित्र संस्था

६२४. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि बंगाल चलचित्र संस्था को पूर्वी पाकिस्तान से किराये की राशि का आना बन्द हो जाने के कारण एक संकट का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को उक्त संस्था से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) और (ख). हां श्रीमान् । पाकिस्तान में भारतीय चलचित्रों के आयात के प्रश्न पर हाल ही में कराची में हुई भारत-पाक व्यापार वार्ता में चर्चा हुई थी । इस प्रश्न पर हुए समझौते का अनुसमर्थन अभी सम्बन्धित सरकारों द्वारा किया जाना है ।

समाचार पत्र

६२५. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि काश्मीर में कितने दैनिक और साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : तीन दैनिक और चौदह साप्ताहिक।

विदेशों में शिष्टमंडल

६२६. **चौधरी मुहम्मद शफ़ी :**
श्री कृष्णाचार्य जोशी :
श्री बी० सी० दास :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, १९५५ से कितने सरकारी तथा गैरसरकारी शिष्टमंडल विदेशों को गये हैं;

(ख) प्रत्येक शिष्टमंडल के सदस्यों के, राज्यवार, नाम तथा संख्या तथा उन देशों के नाम जिनका उन्होंने दौरा किया;

(ग) इन शिष्टमंडलों पर कुल कितनी रक़म व्यय की गई; और

(घ) क्या उन्होंने अपने दौरे के सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन दिया है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पत्रकारों के शिष्टमंडल

६२७. **चौधरी मुहम्मद शफ़ी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ मई, १९५५ से कितने विदेशी पत्रकारों के शिष्टमंडल भारत आये, वह किन किन देशों के थे तथा उन्होंने भारत में किन किन स्थानों का दौरा किया;

(ख) १ मई, १९५५ से कितने भारतीय पत्रकारों के शिष्टमंडल विदेशों को गये तथा उन्होंने किन किन देशों का दौरा किया; और

(ग) इन आने वाले तथा जाने वाले शिष्टमंडलों पर कितना व्यय हुआ ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) सीरिया के पत्रकारों का एक शिष्टमंडल भारत आया था तथा उसने नई दिल्ली आगरा, भाकड़ा नंगल, हरिद्वार, देहरादून, मसूरी तथा श्रीनगर का दौरा किया।

(ख) कोई नहीं।

(ग) लगभग ७,००० रुपये।

मध्य भारत को ऋण

६२८. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने १९५३–५४ में मध्य भारत के कुछ उद्योगों को ऋण दिया है;

(ख) यदि हां, तो किन किन उद्योगों को;

(ग) प्रत्येक को कितनी धनराशि दी गयी है; और

(घ) किस आधार पर उद्योगों का चुनाव किया गया था ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां।

(ख) से (घ). एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १२]**

हिन्दुओं का पाकिस्तान को प्रव्रजन

६२९. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४–५५ में कुल कितने हिन्दू भारत से पाकिस्तान को वहां पर स्थायी रूप से बस जाने के लिये गये ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

विदेशों में भारतीय

६३०. **श्री मत्तन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय इंगलैण्ड, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा अमेरिका में भारतीय उद्भव के ऐसे कितने व्यक्ति रहते हैं जिन्होंने कि वहां की स्थानीय राष्ट्रीयता अर्जित कर ली है तथा कितने ऐसे हैं जो कि अभी तक वहां के राष्ट्रजन नहीं बने और उनकी राष्ट्रीयता भारतीय ही है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : माननीय सदस्य ने जो यह जानकारी मांगी है उसे एकत्रित करना अत्यन्त कठिन और प्रायः संभव नहीं है। भारत सरकार के पास इन देशों में रहने वाले भारतीय उद्भव के ऐसे व्यक्तियों की कुल संख्या का, जिन्होंने कि वहां की राष्ट्रीयता का अर्जन कर लिया है, कोई अभिलेख नहीं है । इस समय तो केवल यही कहा जा सकता है कि जिन लोगों के पास भारतीय पारपत्र हैं, अथवा जिन्होंने उन देशों में स्थित भारतीय राजदूतावासों में अपने आप को पंजीबद्ध करा रखा है, उन्हें ही वास्तव में भारतीय राष्ट्रजन समझा जा सकता है ।

चलचित्र अधिनियम, १९५२

६३१. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ तथा १९५५–५६ में अब तक चलचित्र अधिनियम, १९५२ की धारा ७ के अन्तर्गत कितने मामलों में दंड लगाये गये;

(ख) किस प्राधिकारी ने दण्ड लागू किया; और

(ग) कितने मामलों में लगातार अपराध के कारण अतिरिक्त जुर्माने किये गये ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) से (ग). राज्य सरकारों से यह जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

चाय

६३२. **श्री कामत** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से १९५४–५५ में निर्यात हुई चाय के विभिन्न व्यापार चिह्नों के नाम और उनकी मात्रा क्या थी;

(ख) १९५४--५५ में इन में से प्रत्येक किस्म का कुल उत्पादन क्या रहा है; और

(ग) १९५२–५३, १९५३--५४ तथा १९५४–५५ में इन में से प्रत्येक क़िस्म का निर्यात मूल्य क्या था ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

हाथ करघा उद्योग

६३३. **श्री दशरथ देव** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा राज्य में हाथ करघा उद्योग को उन्नत करने के लिये अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ख) पहाड़ी आदिमजातियों को, जिन के पास हाथ करघे हैं, नियंत्रित दर पर अपेक्षित मात्रा में धागा संभरित करने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) राज्य में हाथ करघा उद्योग को उन्नत करने के लिये १९५३–५४ तथा १९५४–५५ में दिये गये अनुदानों और ऋणों की जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १३**] ।

(ख) धागे के मूल्य तथा वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं है और वहां की सरकार की सूचना है कि वहां धागा अबाध रूप से उपलब्ध है । अतएव कोई विशेष प्रबन्ध करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है ।

पंचवर्षीय योजना का प्रचार

६३४. **श्री एस० वी० एल० नरसिंहम्** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना को प्रचारित करने के उद्देश्य से १९५४–५५ तथा १९५५–५६ में अभी तक तेलगु, तामिल, कन्नड़ और मलयालम में नाटकों की कितनी हस्तलिपियां प्राप्त हुई हैं तथा स्वीकृत की गई हैं;

(ख) ऊपर कथित भाषाओं में से प्रत्येक की कितनी कितनी हस्तलिपियां स्वीकृत की गयी हैं; और

(ग) स्वीकृति देने वाला प्राधिकारी कौन है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) प्राप्त हुई हस्तलिपियों की संख्या इस प्रकार है :

	१९५४–५५	१९५५–५६
तेलगु . .	१	२
तामिल .	२	४
कन्नड़ . .	३	३
मलयालम . .	१	१

(ख) केवल दो ही स्वीकृत की गई हैं; एक मलयालम की और दूसरी कन्नड़ की । शेष में से एक विचाराधीन है और अन्य अस्वीकृत कर दी गयी हैं ।

(ग) अन्तिम प्राधिकारी भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के सचिव हैं ।

राज्य व्यापार

६३५. **श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय किन किन पण्यों के सम्बन्ध में राज्य व्यापार करने की अनुमति है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : रेशम, उर्वरक, खाद्यान्न तथा आयातित चीनी।

फिलस्तीन में शरणार्थियों को सहायता

६३६. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार फिलस्तीन में शरणार्थियों की सहायता के लिये कुछ धनराशि प्रति वर्ष दान देती है; और

(ख) यदि हां, तो वह धनराशि कितनी है और कब से दी जा रही है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख) भारत सरकार की ओर से कोई सालाना रक़म नहीं दी गई है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की वार्ता समिति के अध्यक्ष की अपील पर नीचे लिखा धन और चीज़ें दी गई थीं :

१९४८–४९ में १००,००० डॉलर

१९५२–५३ में ५,००,००० रुपये के मूल्य का वनस्पति घी दिया गया था ।

१९५४–५५ में २,५०,००० रुपये के मूल्य के सूती कपड़े दिये जा रहे हैं ।

२. १९५३ में लेबनान के एक अरब शरणार्थी कैम्प को ६,५०० रुपये का साबुन भी भेंट के तौर पर दिया गया था ।

———

लोक-सभा

शुक्रवार,
२६ अगस्त, १९५५

वाद-विवाद

18/4/83
Chamber Fumigated

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ६, १९५५

(१६ अगस्त से ३ सितम्बर, १९५५)

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
3-4-91
Fumigated
On 11/1/83
Parliament Library

दसम सत्र, १९५५

(खंड ६ में अंक १६ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली।

विषय-सूची

(खंड ६, अंक १६—३०, १६ अगस्त से ३ सितम्बर '१९५५)

अंक १६—मंगलवार, १६ अगस्त, १९५५

	स्तम्भ
स्थगन प्रस्ताव—	
गोआ के स्वतंत्रता आन्दोलन के प्रति सरकार की नीति . .	१३४३–१३५०
सभा पटल पर रखे गये पत्र—	
इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का वार्षिक प्रतिवेदन . .	१३५०–१३५१
विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियम	१३५१
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . . .	१३५१
समवाय विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—	
असमाप्त . . .	१३५१–१४०८

अंक १७—बुधवार, १७ अगस्त, १९५५

राज्य-सभा से सन्देश	१४०९
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
चौतीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	१४१०
गोआ स्थिति के बारे में वक्तव्य . . .	१४१०–१४
समवाय विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—	
असमाप्त	१४१४–८९, १४८९–९२
सभा का कार्य	१४८९

अंक १८—गुरुवार, १८ अगस्त, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—	
पुर्तगाली अत्याचारों के विरुद्ध प्रदर्शन	१४९३–९७
राज्य-सभा से सन्देश	१४९७–९८, १५७७–७८
सभा-पटल पर रखा गया पत्र—	
बाढ़ की स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य	१४९८–१५०३
गोआ के सम्बन्ध में वक्तव्य	१५०३–१५०४
उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण के बारे में वक्तव्य .	१५०४–१५०७
समवाय विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—	
असमाप्त	१५०७–७६

स्तम्भ

अंक १६—शुक्रवार, १६ अगस्त, १६५५

कार्य मंत्रणा समिति—
तेईसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित १५७६
भारतीय शस्त्रास्त्र अधिनियम—
याचिका का उपस्थापन १५७६
तारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर में शुद्धि १५७६–८०
समितियों के लिये निर्वाचन—
रबड़ बोर्ड १५८०
काफी बोर्ड १५८१
समवाय विधेयक—जारी
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत १५८१–१६१६
श्री सी० डी० देशमुख १५८१–१६१६
प्रेस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त . . . १६१६–१६४२
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—
चौतीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत १६४२–४३
विदेशी राज्यों से उपाधि तथा उपहार (स्वीकृति पर दंड) विधेयक—
वापिस लिया गया १६४३–६८
विचार करने का प्रस्ताव १६४३–६८
बाल भिक्षा तथा आवारापन निवारण विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . . १६६८–८६

अंक २०—शनिवार, २० अगस्त, १६५५

राज्य-सभा से सन्देश १६८७
परक्राम्य संलेख (संशोधन) विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया . . १६८७
सभा-पटल पर रखा गया पत्र—
इंजीनियर स्टील फाइल उद्योग के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन १६८७–८८
कार्य मंत्रणा समिति—
तेईसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत १६८८–८९
प्रेस आयोग के प्रतिदवेन के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त . . . १६८९–१७५८

अंक २१—सोमवार, २२ अगस्त, १६५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—
समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें . . १७५९
रक्षित तथा सहायक वायुसेना अधिनियम के नियमों में संशोधन . १७५९–६०
बैंक पंचाट आयोग का प्रतिवेदन १७६०

बैंक पंचाट आयोग की सिफारिशों के बारे में वक्तव्य . . १७६१–६५
प्रेस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—
संशोधित रूप में स्वीकृत १७६५–१८४४
अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) चालू रखना विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . १८४४

अंक २२—मंगलवार, २३ अगस्त, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—
विकास-परिषदों के प्रतिवेदन—
(१) भारी रसायन (अम्ल और उर्वरक) . . . १८४५
(२) अन्तर्दहन एंजिन और बिजली से चलने वाले पम्प . . १८४५–४६
(३) साइकिलें १८४६
(४) चीनी १८४६
काफी नियम, १९५५ . . . . . . १८४६
रबड़ नियम, १९५५ . . . . १८४६
अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) चालू रखना विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत १८४६–१९१८
खण्ड २, ३ और १ . . . . . १९१९
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—असमाप्त . .
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में खंडों पर विचार—
असमाप्त १९१९–५२
खण्ड २ से १० . . . . . १९२०–५२

अंक २३—बुधवार, २४ अगस्त, १९५५

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
पैंतीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . १९५३
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में . . १९५३–२०४४
खंडों पर विचार—असमाप्त . . .
खण्ड २ से १० . . . १९५३–२०२२
खण्ड ११ से ६७ . . . . . २०२२–२०४४

अंक २४—गुरुवार, २५ अगस्त, १९५५

समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—
खंडों पर विचार—असमाप्त २०४५–२१३८
खंड ११ से ६७ . २०४५–२०७९
खंड ६८ से ८० . . . २०७९–२१०२
खंड ८१ से १४४ . . . २१०२–२१३८

अंक २५—शुक्रवार, २६ अगस्त, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—

सरकार द्वारा आश्वासनों आदि पर की गई कार्यवाही के विवरण २१३९-४०

राज्य-सभा से सन्देश . . . २१४०-४१

एक सदस्य की मुअत्तली . . . . . . २१४१—४४

समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—

खंडों पर विचार—असमाप्त २१४१,४४—९४

खंड ८१ से १४४ . . . . . २१४१,४४—९४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

पैंतीसवां प्रतिवेदन—संशोधित रूप में स्वीकृत . . . २१९४—९७

वैदेशिक व्यापार पर राज्य के एकाधिपत्य के बारे में संकल्प—असमाप्त . २१९७—२२३२

अंक २६—मंगलवार, ३० अगस्त, १९५५

विशेषाधिकार का प्रश्न . . . . . २२३३—३५

सदस्य की मुअत्तली की समाप्ति के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत २२३५—३९

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कार्य का प्रतिवेदन १९५४-५५ . २२३९

केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा निकाला गया बुलेटिन संख्या २२ . . २२३९

मैसूर की सोने की खानों सम्बन्धी विनियमों में संशोधन १९५३ . २२४०

खान नियम १९५५ . . . . २२४०

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . २२४०-४१

राज्य-सभा से सन्देश . . . २२४१

कशाघात उत्सादन विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . २२४१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

मुर्शिदाबाद के निकट रेलवे दुर्घटना . . . . २२४१—४४

समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—

खंडों पर विचार—असमाप्त २२४४—२३३०

खंड १४५ से १९६ . २२४४—९३

खंड १९७ से २०७ . . २२९३—२३३०

अंक २७—बुधवार, ३१ अगस्त, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना २३३१

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्राक्कलन २३३१

राज्य सभा से सन्देश . . . २३३२

लोक लेखा समिति—

तेरहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित २३३२

सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक—

प्रवर समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . २३३२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

बी० सी० जी० के टीके लगाने का आन्दोलन . . . २३३२—३९

समवाय विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में— २३३९—२४३२

खंडों पर विचार—असमाप्त

खंड १९७ से २०७ . . . . . २३३९—२४१०

खंड २०८ से २५० . . . . . २४११—३२

रेलों का पुनर्वर्गीकरण . . . . . . २४३२—४४

अंक २८—गुरुवार, १ सितम्बर, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—

मशीनी पेच उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का

प्रतिवेदन आदि . . . . २४४५—४६

राज्य-सभा से सन्देश २४४६

सभा का कार्य २४५२

समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—

खंडों पर विचार—असमाप्त २४४६—५२, २४५२—२५२२

खंड २०८ से २५० . . . २४४६—५२, २४५२—८८

खंड २५१ से २८३ . . . २४८८—२५२२

अंक २९—शुक्रवार, २ सितम्बर, १९५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र—

भारतीय श्रम सम्मेलन के चौदहवें सत्र की कार्यवाही का सारांश २५२३

राज्य सभा से सन्देश . . . . . २५२३—२४

तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि २५२४

समवाय विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—

खंडों पर विचार—असमाप्त . . . . २५२४—८५

खंड २५१ से २८३ . . . . . २५२४—८५

खाद्य पदार्थ मिश्रण दण्ड विधेयक—

वापिस लिया गया २५८५-८६

मोटर परिवहन श्रम विधेयक—पुरःस्थापित . . . २५८६

बाल भिक्षा तथा आवारापन निवारण विधेयक—

वापिस लिया गया— २५८६—२६०४

विचार करने का प्रस्ताव . . २५८६—२६०४

अति आयु विवाह रोक विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत . . . . २६०४—२६२४
अन्त्येष्टि क्रिया सुधार विधेयक—
परिचालित करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . . २६२४—२६२ :

अंक ३०—शनिवार, ३ सितम्बर, १९५५

राज्य-सभा से सन्देश २६२९-३०
मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) नियंत्रण विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा संशोधित रूप में पटल पर रखा गया . २६३०-३१
एक सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण . . २६३१
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—
खंडों पर विचार—असमाप्त २६३१—२७१६
खण्ड २८४ से ३२२ . . . . . २६३१—२७०९
खण्ड ३२३ से ३६७ . . . . . २७०९—१६
समेकित विषय-सूची (१६ अगस्त से ३ सितम्बर, १९५५)
अनुक्रमणिका . . . .

लोक सभा

शुक्रवार, २६ अगस्त, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१२ मध्यान्ह

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

सरकार द्वारा आश्वासनों आदि पर की गई कार्यवाही के विवरण

संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं विभिन्न सत्रों में जैसा प्रत्येक के सामने दिया गया है, मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के विवरण सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) अनुपूरक विवरण संख्या ५, लोक-सभा का नवां सत्र, १९५५

[देखिए **परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १**]

(२) अनुपूरक विवरण संख्या ६, लोक-सभा का आठवां सत्र, १९५४

[देखिए **परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २**]

(३) अनुपूरक विवरण संख्या १३, लोक-सभा का सातवां सत्र, १९५४

[देखिए **परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ३**]

(४) अनुपूरक विवरण संख्या १९, लोक-सभा का छठा सत्र, १९५४

[देखिए **परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ४**]

(५) अनुपूरक विवरण संख्या २४, लोक-सभा का पांचवां सत्र, १९५३

[देखिए **परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ५**]

(६) अनुपूरक विवरण संख्या २६, लोक-सभा का चतुर्थ सत्र, १९५३

[देखिए **परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ६**]

(७) अनुपूरक विवरण संख्या ३४, लोक-सभा का तृतीय सत्र, १९५३

[देखिए **परिशिष्ठ ७, अनुबन्ध संख्या ७**]

(८) अनुपूरक विवरण संख्या ३२, लोक-सभा का द्वितीय सत्र १९५२

[देखिए **परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ८**]

राज्य-सभा से संदेश

सचिव : श्रीमान्, मुझे राज्य-सभा के सचिव से यह संदेश प्राप्त हुआ है :

"राज्य-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १२५ के उपबन्धों के अनुसार मुझे लोक-सभा को यह सूचित करना है कि राज्य-सभा अपनी २४ अगस्त, १९५५ की बैठक में औद्योगिक तथा राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक, १९५५ से, जिसे लोक-सभा ने अपनी

[सचिव]

२८ जुलाई, १९५५ की बैठक में पारित किया था, बिना किसी संशोधन के सहमत हो गयी है ।"

समवाय विधेयक——जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा समवाय विधेयक के खण्ड ८१ से १४४ पर अग्रेतर विचार करेगी । इन खण्डों के लिये आवंटित किये गये ५ घंटों में से २ घण्टे १५ मिनट कल व्यय किये जा चुके हैं । अब २ घण्टे ४५ मिनट शेष हैं । इन खण्डों पर २ बज कर ३० मिनट तक चर्चा होगी; उसके बाद सभा ग़ैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लेगी ।

एक सदस्य की मुअत्तली

श्री कामत (होशंगाबाद) : वाद-विवाद प्रारम्भ करने से पूर्व मैं प्रक्रिया के सम्बन्ध में एक औचित्य प्रश्न पूछना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप कल प्रातः काल की सी सहृदयता से उसका निश्चय करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री कामत : मैं एक औचित्य प्रश्न पूछता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ने माननीय सदस्य की बात सुन ली है । कल की बात पर आज औचित्य प्रश्न नहीं उठाया जा सकता ।

श्री कामत : मैं कल ही पूछना चाहता था पर आप सभा से चले गये ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य आज औचित्य प्रश्न नहीं पूछ सकते । मैं माननीय सदस्य को इस प्रकार अन्तर्बाधा नहीं करने दूंगा ।

श्री कामत : ससदीय प्रक्रिया में बताया गया है कि औचित्य प्रश्न किसी भी समय उठाया जा सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

कुछ माननीय सदस्य : शान्ति, शान्ति, नीचे बैठ जाइये ।

श्री कामत : श्रीमान्, सदस्यों को इस प्रकार मुझे आदेश देने का क्या अधिकार है ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपने स्थान पर बैठ जायें ।

श्री कामत : मैं नहीं बैठ सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : तो वह बाहर चले जायें ।

श्री कामत : मैं बाहर जा रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा । अब सभा खण्ड ८१ से १४४ पर विचार करेगी ।

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय . . . .

श्री कामत : यह बे सिर पैर की बकवास है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है और अध्यक्ष-पद का अपमान किया है ।

श्री कामत : मैं ने ये शब्द अध्यक्ष-पद के लिये नहीं बल्कि उन सदस्यों के लिये कहे थे जो मुझे आदेश दे रहे थे ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कामत आज से एक सप्ताह तक सभा में आने के अधिकारी नहीं रहेंगे ।

श्री कामत : धन्यवाद । भगवान आपका भला करे ।

[इसके पश्चात् श्री कामत सभा से बाहर चले गये]

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : श्रीमान्, यह प्रस्ताव सभा के मतदान के लिये रखना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सहमत हूं । प्रश्न यह है :

"कि श्री कामत ने जो कुछ कहा है उसे ध्यान में रखते हुये उन्हें सभा की बैठकों में भाग लेने से एक सप्ताह के लिये मुअत्तल किया जाता है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कामत एक सप्ताह तक सभा की बैठक में नहीं आ पायेंगे ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़) : श्री कामत ने यह शब्द अध्यक्ष-पद के लिये नहीं बल्कि श्री ए० एम० थामस के लिये प्रयोग किया है । आप को उनसे इस बात का स्पष्टीकरण कराना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कामत ने उत्तेजक भाषा का प्रयोग किया है । उन्होंने अध्यक्ष-पद के आदेश का उल्लंघन किया है और अन्त में 'बे सिर पैर की बकवास' कहकर अध्यक्ष-पद का अपमान किया है । उन्होंने अध्यक्ष-पद की अवहेलना की है । मैं समझता हूं कि मैं ने ठीक ही किया है ।

श्री पुन्नूस (आल्लप्पि) : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य से इसका स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिये ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : बहुत से सदस्य उनकी हंसी उड़ा रहे थे, अतः उन्होंने यह शब्द उन्हीं के लिये प्रयोग किया था ।

श्री के० के० वसु (डायमण्ड हार्बर) : मैं एक बात कहना चाहता हूं । माननीय सदस्य को केवल एक दिन के लिये मुअत्तल किया जाय और यदि इस बीच में वह क्षमा-याचना कर लें तो ठीक है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे श्री बसु के सुझाव पर कोई आपत्ति नहीं है ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : आप ने जो कुछ किया, मैं उसका स्वागत करता हूं । स्वभावतः आपको सभा में शान्ति और सभा के सम्मान की रक्षा करनी चाहिये और प्रत्येक माननीय सदस्य को उस सम्मान की रक्षा करनी चाहिये और आपके आदेश को मानना चाहिये । मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आप ने यह कहा है कि यदि माननीय सदस्य अपने व्यवहार के प्रति खेद प्रकट करेंगे तो आप उनके मामले पर पुनः विचार करेंगे । मैं समझता हूं कि ऐसी रुख अपनाना बहुत ठीक है और सभा की प्रतिष्ठा की रक्षा इसी प्रकार की जा सकती है । यदि क्षमा मांगी जाय या खेद प्रकट किया जाय तो आप मामले पर पुनः विचार करने की कृपा करें ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर): किस बात के लिये क्षमायाचना ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री झुनझुनवाला अपना भाषण फिर शुरू करें ।

समवाय विधेयक—जारी

खण्ड ८१ से १४४

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर मध्य) : मेरा संशोधन संख्या ३९६ खण्ड ११० के सम्बन्ध में है । मुझे इस बात से कोई विरोध नहीं है कि प्रबन्ध अभिकर्ताओं को बिना पर्याप्त कारण के अंशों के हस्तान्तरण को आज्ञा न देने का अधिकार दिया गया है । मैं तो यह कहता हूं कि प्रबन्ध अभिकर्ता इन अधिकारों को मनमाने ढंग से प्रयोग करते हैं और अंशधारियों को हानि होती है ।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि प्रबन्ध अभिकर्ताओं को अभी तक यह अधिकार नहीं था । अंशधारियों को न्यायालय में जा कर प्रबन्ध अभिकर्ताओं की बदनीयती का प्रमाण देना पड़ता है । यह काम कठिन भी था और इसमें समय भी बहुत लगता था । अब सरकार

[श्री झुनझुनवाला]

ने अधिकार अपने हाथों में ले लिया है। अंशधारियों को सरकार के पास इस बात की शिकायत करनी चाहिये कि प्रबन्ध अभिकर्ता उनके अंशों का हस्तान्तरण नहीं करते। इसमें प्रबन्ध अभिकर्ताओं को इसका पर्याप्त कारण देना होगा। यदि सरकार उनके कारणों को ठीक समझती है तो अंशधारियों को बुला कर उनके तर्क भी सुनती है। इसके बाद यदि सरकार समझती है कि अंशों के हस्तान्तरण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये तो मामला वहीं समाप्त कर दिया जायेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रबन्ध अभिकरण द्वारा अस्वीकार करने, अंशधारियों द्वारा सरकार से शिकायत करने, सरकार के सामने प्रबन्ध अभिकर्ताओं के कारण रखे जाने, फिर अंशधारियों को अपनी बात कहने का अवसर देने, इन सभी बातों में काफ़ी समय लग जायेगा। इस अवधि में अंशधारी तथा हस्तान्तरिती दोनों संशय में पड़े रहेंगे। और अंशधारी अपना अंश बेच नहीं पायेगा। इस प्रकार के अनावश्यक विलम्ब और संशय को दूर करने के लिये मेरा सुझाव है कि प्रबन्ध अभिकर्ता स्वयं सरकार को इस बात का कारण बतायें कि अंशों का हस्तान्तरण क्यों न किया जाय। यदि सरकार समझती है कि प्रबन्ध अभिकर्ताओं द्वारा दिये गये तर्क और कारण उचित नहीं हैं तो वह हस्तान्तरण का आदेश दे दे। पर यदि वह समझती है कि प्रबन्ध अभिकर्ताओं के तर्क उपयुक्त हैं तो उसे चाहिये कि वह अंशधारियों को बुला कर उनके तर्क भी सुनें और तुरन्त ही मामले का निर्णय दे दे। इस प्रकार सरकार को कोई कष्ट नहीं होगा और न प्रबन्ध अभिकर्ताओं को—साथ ही अंशधारियों को भी—अधिक समय तक संशय में रहना पड़ेगा।

दूसरी बात नये अंशों के जारी करने के सम्बन्ध में है। सामान्यतया ऐसे नये प्रकार के अंश जारी करने के पूर्व प्रबन्ध अभिकर्ताओं और अंशधारियों को अन्य साधनों से काम चलाने का प्रयत्न करना चाहिये। पर जब अन्य प्रकार से सम्भव न हो तो उस अवस्था में अंशधारी, नये अंश लेने वालों को मत का अधिकार न देते हुये, निश्चय करके सरकार को लिखेंगे। और सरकार की आज्ञा मिलने पर वह सरकार द्वारा निश्चित की गयी शर्तों के अनुसार नये अंश जारी कर सकेंगे। इस सम्बन्ध में मैं श्री बंसल के संशोधन का समर्थन करता हूं। पर जहां तक जारी किये गये अंशों का प्रश्न है, अनुपातहीन मतदान अधिकार को समाप्त कर देना चाहिये।

श्री एन० पी० नथवानी (सोरठ) मुझे खण्ड ११० के सम्बन्ध में कुछ कहना है। इसमें यह व्यवस्था है कि यदि कोई समवाय किसी आवेदक का नाम पंजीकृत नहीं करता तो अपील की जा सकती है। कुछ माननीय मित्रों ने सुझाव दिया है कि अपील न्यायालय में की जानी चाहिये, केन्द्रीय सरकार में नहीं। पर खण्ड में किसी को भी न्यायालय में अपील करने से रोकने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। खण्ड ११० के उपखण्ड (५) में यह व्यवस्था है कि यदि न्यायालय का निर्णय समवाय के विरुद्ध होगा तो समवाय को उसे कार्यान्वित करना पड़ेगा पर आवेदक के सम्बन्ध में उसमें कुछ भी नहीं कहा गया है। उस खण्ड में यह भी नहीं कहा गया है कि सरकार का निर्णय अन्तिम होगा। और उसकी कोई अपील नहीं होगी। वैसे तो आवेदक को नागरिक के रूप में अधिकार है कि वह न्यायालय में ऐसे मामले की अपील करे जब तक कि उसका यह अधिकार किसी प्रकार छीन न लिया जाय।

उपखण्ड (५) में कहा गया है कि समवाय सरकार के आदेश का पालन करेगा

पर उसमें यह नहीं बताया गया है कि आदेश का पालन न करने पर समवाय को या उस पदाधिकारी को जो इस के लिये उत्तरदायी होगा क्या दण्ड दिया जायेगा । अतः मैं समझता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में जो संशोधन रखेगी उसमें व्यवस्था करेगी कि केन्द्रीय सरकार के आदेश को समवाय लागू करे और यदि वह नहीं लागू करता तो उसे दण्ड दिया जाय । यदि ऐसी व्यवस्था नहीं ली जायेगी तो समवाय और उसके पदाधिकारी सरकार के आदेश या निर्णय का उल्लंघन निर्भय हो कर करेंगे ।

श्री झुनझुनवाला ने एक बात पर बहुत ज़ोर दिया है । उन्होंने कहा है कि उपखण्ड (५) में यह नहीं कहा गया है कि क्या सरकार को समवाय से इस बात का कारण मांगने का अधिकार होगा कि उसने हस्तान्तरण का पंजीयन करने से क्यों मना कर दिया । किन्तु यदि हम उपखंड (७) को लें, तो उसका आशय बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है । इस में कहा गया है कि सारी प्रक्रिया गोपनीय रीति से होगी ।

उपखंड ७ का एक पहलू और है जिसका आशय मेरी समझ में ठीक से नहीं आया है । इसका आशय क्या यह है कि न्यायालय की सारी कार्यवाही गोपनीय होगी । इसलिये कोई भी पक्ष न्यायालय में प्रस्तुत किये गये काग़ज़ात को नहीं पा सकता है । यह भी हो सकता है कि पदाधिकारी को उसके द्वारा प्राप्त सूचना के सम्बन्ध में साक्ष्य देने के लिये नहीं कहा जा सकता है । संक्षेप में इस उपबन्ध से प्रार्थी के हाथ मज़बूत होंगे और उसे अस्वीकृति के सही आधार का पता चल जायेगा ।

खंड ८६ मतदान के अधिकार तथा विस्तार की व्याख्या के सम्बन्ध में है जिसके अनुसार अंशों पर मतदान का अधिकार इन अंशों की प्रदत्त पूंजी के अनुपात के आधार पर होगा। इस प्रकार व्यक्तिगत अंशधारी के मतदान का अधिकार समवाय की प्रदत्त पूंजी के अनुपात के आधार पर होगा । खंड १८० में यह उपबन्ध किया गया है कि इन अनुच्छेदों में ऐसी स्थिति की भी व्यवस्था है, जब कि एक सदस्य को पुराना बकाया चुकाना हो । बड़े समवायों में जब कि मतदान करने के ठीक पहिले कई सदस्य अपना बकाया चुकाने आते हैं तो उससे प्रदत्त पूंजी बढ़ जायेगी और इससे अंशधारियों के व्यक्तिगत अधिकारों पर प्रभाव पड़ेगा । इस कारण यदि हम इस परन्तुक में इतनी शर्त और जोड़ दें कि प्रदत्त पूंजी का आशय यहां पर मतदान के ४८ या २४ घंटे पूर्व की प्रदत्त पूंजी से होगा तो इससे कई कठिनाइयां हल हो जायेंगी ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़) : मैं खंड ९३ की आलोचना करूंगा । इसके उपखंड १(ङ) में यह उपबन्ध है कि समवाय उन अंशों को रद्द कर सकता है जो कि संकल्प पारित होने के दिन किसी व्यक्ति द्वारा स्वीकार नहीं किये गये अथवा नहीं लिये गये हैं । तथा वह उतनी ही अंश पूंजी घटा सकता है । मेरा इस सम्बन्ध में यह सुझाव है कि सम्बद्ध पक्ष अथवा व्यक्ति को सूचना दिये बिना अंशों को रद्द नहीं किया जाना चाहिये ।

समवायों को रद्द करने के कई कारण हो सकते हैं । सम्भव है कि सम्बद्ध व्यक्ति को सूचना प्राप्त न हुई हो अथवा उसका पता बदल गया हो । अतः यह उचित नहीं है कि व्यक्ति को, बिना किसी प्रकार का अवसर दिये हुये, सम्पत्ति से वंचित कर दिया जाय । आशा है कि वित्त मंत्री इस पर विचार करेंगे ।

अब मैं खंड ११० को लेता हूं । यह उपबन्ध बहुत जटिल है और संदिग्ध है । श्री सी० सी० शाह ने इसका समर्थन किया है । और एक सरकारी प्रवक्ता की भांति

[श्री यू० एम० त्रिवेदी]

कार्य किया है। ऐसा ज्ञात होता है कि सरकार उच्च न्यायालयों का भी विश्वास नहीं करती है। इस लिये इसके विरुद्ध यह उचित तर्क किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति का समवाय मद्रास या भारत के किसी सुदूर कोने में है तो उसे अपना मामला सुलझाने के लिये दिल्ली आना पड़ेगा और यदि यह अधिकार उस क्षेत्र के न्यायालय को होता तो निकटवर्ती न्यायालय में ही यह निर्णय किया जा सकता था। उपखंड ७ को पढ़ने से यह ज्ञात होता है कि केवल राजनैतिक कारणों से ही यह अधिकार सरकार के हाथों में रखे गये हैं। क्या सरकार के हाथों में इतने व्यापक अधिकार देकर व्यक्ति को उसके अधिकारों से वंचित कर देना अच्छा है। एक ओर तो संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था है कि किसी व्यक्ति को उसकी सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जायेगा; दूसरी ओर हम एक संस्था अथवा प्रबन्धक निदेशक को यह अधिकार दे रहे हैं कि यदि वह चाहे तो वह उसके खरीदे हुये अंशों का हस्तान्तरण न करे।

पहिले कोई बाहरी व्यक्ति, प्रति पुरुष के रूप में मतदान नहीं कर सकता था अब आपने किसी भी बाहरी व्यक्ति को बैठक में आने तथा मतदान करने की अनुमति दे दी है। इस के विपरीत हम एक ऐसे व्यक्ति को जिसने पंजी लगाई है, एक अन्य व्यक्ति के अवांछनीय कहने पर पंजीयित होने से वंचित कर देंगे। यह अत्याचार की सीमा है। इस प्रकार वर्तमान विधेयक का यह आशय प्रगट होता है कि वह सरकार के हाथों में अधिकाधिक शक्ति रखे जिससे कि यथाशक्ति अधिक दमन हो।

वित्त मंत्री ने यह कहा है कि यह विधेयक उन लोगों से सम्बन्ध रखता है वे साधारण व्यक्ति नहीं हैं अतः हमें यह मानना चाहिये कि वे ईमानदार व्यक्ति नहीं हैं। तब वे पदाधिकारी जो आदेश देंगे वे भी उन स्वामियों के कठपुतली हो सकते हैं जो स्वयं बहुत ईमानदार नहीं हैं। यदि ऐसा व्यक्ति, जिस का मामला अस्वीकार कर दिया गया है, किसी विशेष मत या दृष्टिकोण का व्यक्ति होगा तो केन्द्र का पदाधिकारी उससे कह सकता है कि यदि तुम अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करो और हमारी निधि में चन्दा दो तो हम तुम्हारे अंशों को पंजीयित कर सकते हैं। इस प्रकार की बातें हो सकती हैं तथा इस पर न्यायलय में भी जांच नहीं हो सकती है। इसी आशंका को देखते हुये मेरा निवेदन है कि जिस व्यक्ति के अंशों को अस्वीकार किया जाय उसे लिखकर उसके कारण बताये जायें तथा अपील सरकार के पास न हो कर न्यायालय में होनी चाहिये।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): क्या माननीय सदस्य का यह निश्चय है कि हम विधेयक में जो कुछ भी कह रहे हैं उसके लिये न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती?

श्री यू० एम० त्रिवेदी: विधेयक में आपने न्यायालय में जाने का कोई उपबन्ध नहीं रखा है। मैं चाहता हूं कि विधेयक में इस आशय का उपबन्ध रखा जाय कि उसे न्यायालय में जाने का अधिकार है।

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह): यह बिल्कुल अनावश्यक है। यदि आप विधेयक का सावधानी से अध्ययन करें तो आपको यह नितांत अनावश्यक प्रतीत होगा।

श्री यू० एम० त्रिवेदी: यह नितांत आवश्यक है, यद्यपि अब आप उस स्थिति से आगे बढ़ गये हैं। और अब इस मामले में कई कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं।

श्री एम० सी० शाह: श्री एन० पी० नथवानी ने केवल यह बताया था कि नय उपखड ८ वें

एक ऐसा उपबन्ध है कि उपखंड (५) के अधीन एक ऐसा उपखंड पारित किया जा सकता है कि हस्तान्तरण कर दिया जाय, किन्तु अब वह कहते हैं कि यदि किसी पक्ष ने इसे स्वीकार नहीं किया तो क्या परिणाम होगा ; क्या इस प्रकार का उपबन्ध है कि सरकार आदेश दे सके । यदि हां, तो क्या सरकार बाद में ऐसे उपबन्धों को सम्मिलित करना चाहती है ?

श्री यू० एम० त्रिवेदी : हम इस सम्बन्ध में भी सरकार का अभिप्राय जानना चाहते हैं ।

श्री एम० सी० शाह : यह उन खंडों के अन्तर्गत आयेगा जिन पर अभी विचार किया जायगा । यदि हम ऐसे समवाय को जो कि केन्द्रीय सरकार के आदेशों का पालन नहीं करते हैं, दंड देने के लिये कोई दण्ड सम्बन्धी खंड जोड़ना चाहें तो इस सम्बन्ध में चर्चा करने के लिये बहुत अवसर मिलेगा ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री जी ने यह कहा है कि वह कुछ खंडों में परिवर्तन करने का विचार कर रहे हैं । किन्तु यदि आप आदेश न मानने वाले व्यक्ति के लिये दंड का उपबन्ध करेंगे तो उसके लिये न्यायालय का द्वार बन्द हो जायेगा । मेरा सुझाव यह है कि इस बात का निश्चय न्यायालय के द्वारा होना चाहिये, क्योंकि जिन लोगों पर आप विश्वास नहीं करते उनके हाथों में इतना अधिकार देना ठीक नहीं है । फिर आप इन्हें हस्तान्तरण के पंजीयन को अस्वीकार करने का अधिकार क्यों दे रहे हैं । आपको यह बात माननी चाहिये कि उस व्यक्ति को अंशों के हस्तान्तरण की अस्वीकृति के कारण को पूछने का पूरा अधिकार है ।

खंड ११२ (२) के सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है । वह यह है कि उपखंड २ में उपखंड (१) शब्दों के पश्चात् 'उपखंड ३ के उपबन्धों के अनुसार' शब्द जोड़ दिये जायें जिससे कि व्यक्ति को दंड मिलने के पूर्व सूचना मिल सके और इस प्रकार व्यक्ति को बिना उसकी शिकायत सुने हुये दंड नहीं मिलेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड १० के अधीन अपील केन्द्रीय सरकार के समक्ष करनी पड़ेगी । तो क्या यह अधिकार न्यायालय के क्षेत्र के अन्तर्गत आ सकता है । यदि माननीय महोदय यह अनुभव करें कि इसका प्राधिकार केन्द्रीय सरकार के पास ही सुरक्षित रहना चाहिये और न्यायालय इन में हस्तक्षेप न करे तो ठीक ही है, अन्यथा यदि वे चाहते हैं कि यह अधिकार न्यायालयों के क्षेत्र से बाहर नहीं है तब तो यह संदिग्ध है ।

श्री सी० डी० देशमुख : आज कल न्यायालयों का क्षेत्राधिकार विशेष प्रकार का होता है । वे पंजीयन के लिये अस्वीकृत हुये सारे मामलों को नहीं ले सकते । एक माननीय सदस्य ने बताया कि यह दुराशय (बदनीयती) का प्रश्न है । बदनीयती के मामले सदैव न्यायालय में जा सकते हैं । उसके अलावा अब तक सम्बद्ध पक्ष के लिये कोई उपचार न था । हमने एक ऐसे मामले में—यदि उसमें बदनीयती न हो—जो कि सदैव न्यायोचित नहीं होता, संक्षिप्त प्रकार के उपचार की व्यवस्था की है, क्योंकि कई अन्य प्रश्नों पर भी विचार करना पड़ता है । निःसन्देह राजनीति का यहां कोई प्रश्न नहीं है । निस्सन्देह, माननीय सदस्य तब तक किसी भी व्यक्ति के दुराशय या उसकी बदनीयती पर कीचड़ उछाल सकते हैं जब तक उनकी अपनी नेकनीयती पर किसी को कोई सन्देह न हो । किन्तु हम ऐसा खेल नहीं खेलते । हम कहते हैं कि हम से जितना अच्छा निर्णय हो सकता है उतने ही अच्छे ढंग से हम किसी विशेष समस्या को

[श्री सी० डी० देशमुख]

सुलझाते हैं । हम देखते हैं कि आजकल किसी दल विशेष का कोई चारा नहीं होता । इसीलिये, हम कहते हैं कि शायद समवाय इसको व्यवहार्य समस्या नहीं बनाना चाहता हो, और फिर भी इसके बहुत अच्छे कारण हों,—अर्थात् अंश फंस गये हों, या कोई किसी अन्य व्यक्ति को निकाल बाहर करना चाहता हो । इस प्रकार का चक्र व्यवसाय जगत में चलता रहता है किन्तु यह आवश्यक नहीं कि इस से नैतिक दुष्टता की समस्यायें पैदा होती हैं । फिर भी किसी विशेष उपक्रम के उपाचरण के दृष्टिकोण से सरकार का यह अनुभव होगा कि इन हस्तान्तरणों से होने वाला परिवर्तन वांछनीय नहीं होगा ।—
मुझे खेद है कि मैं एक ऐसा भाषण दे रहा हूं, जो मुझे बाद में देना चाहिये था, किन्तु मैं आपकी बात का उत्तर देने का प्रयत्न कर रहा हूं ।—इसी प्रकार के असगोत्रस्वरूप की अन्य शक्तियां भी सरकार में निहित की गई हैं । भला इस का क्या अभिप्राय है कि हम नये प्रबन्ध अभिकर्ताओं, किसी नये निदेशक या किसी नये निदेशालय के गठन को स्वीकार करेंगे ? ये सभी शक्तियां हम में निहित हैं । माननीय सदस्य शायद यह कहें कि इन सभी शक्तियों को उच्च न्यायालय को हस्तांतरित क्यों न किया जाय ? उनके प्रति मेरा यह उत्तर है कि ये मामले मूलतः व्यवहार्य नहीं, ये बाज़ार के साधारण दैनिक कार्यों सम्बन्धी निर्णयों के मामले हैं, और इसीलिये विधि के उपबन्धों के अतिरिक्त अन्य विचारणीय बातों को ध्यान में रखना पड़ता है । यही कारण है कि हम श्रम न्यायाधिकरणों के सम्बन्ध में कठिनाइयों में उलझ रहे हैं । यद्यपि ये मामले न्यायाधीशों के समक्ष जाते हैं, फिर भी १०० न्यायाधीश १०० तरह के अलग-अलग निर्णय करेंगे क्योंकि ऐसी कोई मूल विधि नहीं जिस के अधीन यह मामला आ जाता हो । हमें मालूम नहीं कि बोनस क्या है या मुनाफ़े को किस प्रकार बांटा जाता है, और न हम यह जानते हैं कि सामाजिक न्याय क्या है ? इसीलिये इन सब अस्पष्ट मामलों को भिन्न स्तर पर निपटाना पड़ता है । इसी कारण से हम ने ऐसा अनुभव किया था कि इस मामले में केन्द्रीय सरकार, जिसे साक्ष्य-नियमों, प्रक्रिया नियमों आदि से कोई भी बाधा नहीं होती, मोटे तौर पर न्याय कर सके जब कि न्यायालय ऐसा न्याय न कर सके । एक और बात भी है । जो इस से सिद्ध नहीं होती, अर्थात् विधि प्रक्रिया में इतना विलम्ब नहीं होता जितना केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है । मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम लाल फीताशाही को कम करने में अधिक समर्थ हैं जबकि उच्च न्यायालय अपनी प्रक्रिया को कम नहीं कर सकता । वे प्रक्रिया के पाबन्द हैं और जब तक विधि में परिवर्तन नहीं होता तब तक वे कुछ भी नहीं कर सकते । हम समय के साथ साथ अपनी प्रक्रिया बदल भी सकते हैं, और मैं ने सभा को इस बात का सामान्य आश्वासन दिया है कि हम विलम्ब को यथासम्भव घटाने का यत्न करेंगे । इसीलिये मैं आशा करता हूं कि बहुत से ऐसे मामले शीघ्रता से निपटाये जायेंगे । दूसरे यह कि सरकार के हाथ में इन नई शक्तियों का होना भी अपने में एक ऐसी बात है कि वह उनका प्रयोग करना अनावश्यक समझेगी । भविष्य के बारे में मैं यहां तक कह सकता हूं कि लगभग ९९·९९ मामलों में नामों का पंजीयन किया जायगा । चूंकि सम्बद्ध पक्ष को आना पड़ेगा, और यदि वह किसी भी एक मामले में यह सिद्ध करने में सफल हो कि उसके पंजीयन न करने की ही स्थिति है तो वह एक ऐसा मामला होगा जिसमें कोई भी न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता—क्योंकि मैं बदनीयती या

दुराशय की बात इस में शामिल नहीं कर रहा । यदि दुराशय की बात हो, हो सकता है कि उसमें राजनीतिक दुराशय की भी बात आती हो—तो कोई भी पक्ष न्यायालय में जा कर यह कह सकता है—"मैं ने मंत्री को कहते सुना 'मेरा यही प्रयत्न होगा कि उस पक्ष का व्यक्ति अंश प्राप्त न कर सके'," —यदि वह यह बात सिद्ध कर सकता है, तो उच्च न्यायालय को इसका निश्चय करने का अधिकार होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय: इसीलिये माननीय मंत्री कहते हैं कि न्यायालय का वर्तमान क्षेत्राधिकार कम नहीं होता । वर्तमान क्षेत्राधिकार बदनीयती और ग़ैर ईमानदारी के मामले में है, यदि ऐसा सिद्ध हो सके । पहले के अधिनियम में एक और बात का उपाय उपबन्धित नहीं हुआ था, और वह इस में मौजूद है । इसीलिये, संक्षिप्त करने के बदले उसने यह चीज़ और भी बढ़ा दी है ।

श्री सी० डी० देशमुख: बहुत बढ़ा दी गई है ।

उपाध्यक्ष महोदय: और वह सरकार के पक्ष में है । क्योंकि जहां सरकार को अपील की जा सकती है वहां वे टेकनीक की दृष्टि से और ठीक से साक्ष्य के नियमों से शासित नहीं होते जैसा कि किसी न्यायालय में होता है, और वे सरसरी तौर पर न्याय भी कर सकते हैं । जहां पर वे गैर ईमानदारी के अभिप्राय, विद्वेष या पक्षपातपूर्ण भाव से उत्तेजित होते हैं, वहां न्यायालय का क्षेत्राधिकार बना रहता है ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी: जहां तक सरकार की बदनीयती को चुनौती देने का प्रश्न है, मैं अपने मित्र को यह सूचना दूंगा कि सभी न्यायालयों ने—यहां तक कि उच्चतम न्यायालय ने—यही कहा है कि सरकार की बदनीयती सिद्ध करना बहुत ही कठिन है और उस की चर्चा नहीं होती । प्रायः यह माना जाता है कि सरकार ने जो कुछ भी किया है, ठीक किया है ।

श्री सी० डी० देशमुख: इस प्रकार का आरोप नहीं लगाया जा सकता और ऐसा सिद्ध करना कठिन भी है ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी: इसी कारण से मैं यह सुझाव दे रहा था कि इस का उपाय प्रारम्भ से ही न्यायालयों के पास होना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री कहते हैं कि यह विशुद्ध न्यायिक मामला नहीं और प्रबन्ध अभिकर्ताओं के मामले में कुछ और भी बातें हैं ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी: जब तक वह वित्त मंत्री रहेंगे तब तक यह ठीक होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय: हमारी आशा है कि सभी वित्त मंत्री समान रूप से ठीक होंगे ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर): इस विधेयक में खण्ड ८४ में, दो प्रकार के अंशों का, अर्थात् साधारण अंशों और अधिमान अंशों का उपबन्ध किया गया है । बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इस में से आस्थगित अंशों को निकाल दिया गया है । क्योंकि समवाय में जो लाभ होता था, उसमें से आस्थगित अंशधारी शेष अंशधारियों की अपेक्षा बहुत अधिक भाग लेते थे । इस कारण इस को स्वीकार कर लिया जाना चाहिये ।

निस्सन्देह हम आस्थगित अंशों का निरोध करते हैं, किन्तु जैसा कि श्री अशोक मेहता ने कहा है, सरकार के पास और कई प्रकार के अंश जारी करने की शक्ति होनी चाहिये । माननीय वित्त मंत्री ने भी स्वीकार किया है कि कई बार किसी समवाय में अधिकाधिक अंश प्राप्त करने की दृष्टि से अंशों का हस्तान्तरण होता है । अंशधारी

[श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी]

को इच्छापूर्वक अपना अंश स्थानान्तरण करने का सामान्य अधिकार होता है, परन्तु भारत में प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली में निहित स्वार्थ वाले लोग इस का दुरुपयोग करते हैं और अंश खरीद कर समवाय पर अपना प्रभुत्व जमा लेते हैं। इसलिये एकाधिपत्य को रोकने की दृष्टि से अंशों के हस्तान्तरण के मामले में कुछ नियंत्रण होना अनिवार्य है। कतिपय व्यक्तियों के अंशों का पंजीयन न करने से एकाधिकार को रोका जा सकता है। आवश्यकतानुसार अथवा साधारण रूप में यदि कोई अपना अंश स्थानान्तरित करना चाहता है, तो उस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये, किन्तु सरकार को देखना चाहिये कि इस प्रकार के स्थानान्तरण से समस्त समवाय के स्वरूप पर कोई बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, और दूसरे यह देखना चाहिये कि वह अंश वांछनीय व्यक्ति को ही बेचा जाय।

सुझाव मिला है कि इस के बारे में अपील सम्बन्धी शक्तियां उच्च न्यायालय को दी जानी चाहिये। परन्तु सरकारी नियंत्रण सम्बन्धी वित्त मंत्री के सुझाव के विपरीत मेरा सुझाव यह है कि इस काम के लिये स्वतन्त्र या स्वायत्तशासी केन्द्रीय अधिकारी होना चाहिये।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : खण्ड १५४ के अधीन सदस्यों की पंजी में संशोधन करने का अधिकार न्यायालय के पास होता है, इस लिये माननीय सदस्य का सुझाव असंगत है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मेरा यह विचार है कि समवाय विधि के प्रशासन का भार सरकार के हाथों में रहना चाहिये। इस विषय में संयुक्त समिति का सुझाव पूर्णतया उपयोगी और संतोषजनक है।

लाल फीताशाही के कारण अत्यधिक विलम्ब होता है, इसलिये मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय आश्वासन दें कि वह इस लाल फीताशाही को समाप्त करने और विलम्ब को रोकने का आदेश अपने आधीन अफसरों को देंगे।

सरकारी कर्मचारी अपने आप को जनता के सेवक न समझ कर मंत्रियों के सेवक समझते हैं, इसी कारण लाल फीताशाही चलती है और विलम्ब होता है। उनको उत्तरदायित्व के साथ बर्ताव करना चाहिये। उन्हें मंत्रियों की हाज़िरी में रहने को अपना कर्तव्य न मान कर लोक-सेवा को अपना कर्तव्य समझना चाहिये।

अनुपातहीन मतदान-अधिकार देना लोक हित में वांछनीय नहीं है, इसलिये मैं मंत्री महोदय से इस विषय पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने की प्रार्थना करूंगा। इस के लिये तीन वर्ष की जो अवधि रखी गई है, वह बहुत लम्बी है, इस अवधि को भी घटा कर दो या एक वर्ष रखना चाहिये।

श्री के० के० बसु (डायमण्ड हार्बर) : मैं ने आयकर से मुक्त इन अंशों की समाप्ति के बारे में संशोधन रखा था, किन्तु वह पर्याप्त पूर्वसूचना के अभाव में स्वीकार नहीं हुआ, ऐसा प्रतीत होता है।

कल श्री साधन गुप्त ने भी इस विचार का समर्थन किया था। उन्हें अपनी आय के आधार पर लाभांश बांट देना चाहिये फिर यह अंशधारी पर निर्भर है कि वह अपनी क्षमता के अनुसार कितना आय कर देता है।

संचयी अधिमान अंशों सम्बन्धी व्याख्या २ को हटाने के लिये वित्त मंत्री ने संशोधन रखा है। किन्तु संचयी अधिमान अंश अनिवार्य है और कहीं-न-कहीं इस की व्याख्या

की जानी चाहिये। अतः मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस पर विचार करें कि किसी स्थान पर इसकी व्याख्या का उपबन्ध होना ही चाहिये ।

क्योंकि इस विधेयक में कई प्रकार के परिवर्तन एवं समन्वय का प्रयास किया गया है, अतः इस के लिये जो तीन वर्ष की अवधि रखी गई हैं, वह घटा कर एक वर्ष कर दी जानी चाहिये ।

इस विधेयक में हम केवल दो प्रकार के अंश रखना चाहते हैं, साधारण अंश और अधिमान अंश और अधिमान अंशों में समानता होने के कारण उन में कोई अन्तर नहीं पड़ेगा। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह केवल खण्ड ८८ के ही अधिकारों पर विचार न करें, अपितु उन सब अधिकारों पर भी जो चर्चाधीन उपबन्धों के समान बनाये जायें ।

समस्त ग़ैर-सरकारी समवायों के लिये सामान्य उपबन्ध नहीं होने चाहियें, क्योंकि ग़ैर-सरकारी समवायों में, परिवार में परस्पर लड़ाई झगड़ा हो जाने की अवस्था में, बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यक लोगों के अधिकारों के ऊपर छा जाने का प्रयत्न करते हैं। जब सरकार इस बात को अनुभव करती है कि इस प्रकार के अधिकार मूलतः अन्याय्य हैं और विधेयक के मूल सिद्धान्तों के विपरीत हैं । तब सरकार को यह अधिकार होना चाहिये कि वह उस ग़ैर-सरकारी समवाय को खण्ड ८६ और ८७ के अनुसार अपने नियमों में संशोधन करा सके ।

खण्ड ८६ के पहले भाग में जो संशोधन करने का विचार किया गया है उस से समस्या हल नहीं होगी । उस के स्थान पर अन्य संशोधन होना चाहिये ।

श्री साधन गुप्त ने अंशधारण की प्रतिशतता को १० प्रतिशत से कम करके ५ प्रतिशत करने को कहा है । इस में कोई हानि नहीं है, क्योंकि बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यक लोगों पर अधिकार जमाते हैं और मनमानी करते हैं और अल्पसंख्यकों की बात नहीं सुनते इसलिये बहुत छोटे अल्पसंख्यकों को न्यायालय में जाने का अधिकार मिलना ही चाहिये ।

खण्ड ११० के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि न्यायाधीश सब मामलों में अपने निर्णय से होने वाले आर्थिक प्रभाव का ध्यान नहीं कर सकते । इसलिये यह अधिकार केन्द्रीय अधिकारी को दिया जाना चाहिये, जो इन मामलों में पूर्ण निपुण हो । यदि आवश्यकता अनुभव हो, तो यह भी उपबन्ध किया जाये कि सरकारी निर्णय के विरुद्ध सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में अपील हो सके । यदि समवाय विधि का प्रशासन विकेन्द्रित किया जा सके, तो और भी अच्छा है, क्योंकि लोगों को अधिक दूर नहीं जाना पड़ेगा । बड़े पैमाने पर जब एकाधिपत्य स्थापित हो रहा हो, और कोई नीति का मामला अन्तर्ग्रस्त हो, तो ऐसे मामलों के बारे में महापंजीयक का क्षेत्राधिकार होना चाहिये ।

श्री सी० डी० देशमुख : छोटे आदमी से ऐसी शिकायत करने की सम्भावना नहीं है । बड़े अंशों वाले बड़े लोगों को ही ऐसी शिकायत हो सकती ह ।

श्री के० के० बसु : कलकत्ता के एक मामले में यह संख्या ९० या ८० सदस्यों की सीमा को पार कर गई ह और वे दूसरे लोगों को आने नहीं देना चाहते थे । मैं वित्त मंत्री से पूर्णतः सहमत हूं किन्तु आशा करता हुं कि जिन मामलों में नीति का परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनके बारे में कुछ विकेन्द्रित शक्ति दी जा सकती हैं । अतः मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह इस विषय पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने की कृपा क

पण्डित ठाकुर दास भार्गव: खण्ड ११० के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि संथा के अन्तर्नियमों के अनुसार निदेशकों के पास अंशों के हस्तान्तरण की अनुमति न देने की शक्ति होती है, किन्तु अनुमति न देने का कोई आधार नहीं रखा गया है। और इसीलिये हस्तान्तरिती न्यायालय में चला आता है। वहां पर दुर्भाव सिद्ध करना कठिन होता है। जब तक इस बात का निश्चय नहीं होता कि उस शक्ति का प्रयोग किन मामलों में होना चाहिये और किन में नहीं, तब तक केन्द्रीय सरकार और न्यायालय को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। जब तक अनुमति न देने का कारण नहीं बताया जायगा, तब तक कोई व्यक्ति केन्द्रीय सरकार के पास या न्यायालय में कैसे जा सकता है? इसलिये संथा के अन्तर्नियमों में अंशों के हस्तान्तरण की अनुमति न देने के कारण या आधार की व्याख्या होनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या विधेयक में कोई ऐसा उपबन्ध है जिसके अनुसार परिस्थितयां बताई जानी चाहिये?

श्री सी० डी० देशमुख: जब लिखित अभ्यावेदन आता है तो दोनों पक्षों को बुलाया जाता ह, और मैं समझता हूं कि अभ्यावेदन का अर्थ होता है कि हस्तान्तरित किये जाने वाले अंश के बारे में दोनों पक्ष व्योरा देते हैं और इसका यह अर्थ है कि कारण या आधार बताये जाते हैं। संथा के अन्तर्नियमों में कारणों की परिभाषा करने और अवसर उत्पन्न होने पर कारण बताने में अन्तर होता है। कारण बताने का मामला उपखण्ड (५) के अनुसार सरकार के सामने आता है।

पण्डित ठाकुर दास भार्गव: समवाय को पर्याप्त कारण अर्थात् अंश इकट्ठा करने के अतिरिक्त हस्तान्तरण की अनुमति न देने का अधिकार नहीं होना चाहिये। उस व्यक्ति को मालूम होना चाहिये कि किन आधारों पर हस्तान्तरण की अनुमति नहीं मिली।

श्री सी० डी० देशमुख: जांच के समय सब कारण बता दिये जाते हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: किन्तु जांच का उपबन्ध कहां किया जाता है?

श्री सी० सी० शाह (गोहिलवाड-सोरठ): जब केन्द्रीय सरकार के पास अपील आती है तो वह उपखण्ड (५) के अनुसार समवाय से पूछती है कि किन कारणों से हस्तांतरण स्वीकार किया गया है और तब उस व्यक्ति को उन कारणों का उत्तर देने के लिये बुलाया जाता है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: संस्था के अन्तर्नियमों में इस का उपबन्ध करने में क्या आपत्ति है?

श्री सी० डी० देशमुख: उस अवस्था में यह न्याय का विषय बन जाता है जिसे हम रोकना चाहते हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: सामान्यतया प्रबन्ध निदेशक और अभ्यर्थी के बीच द्वेष होने के कारण बिना कारण बताये हस्तांतरण की अनुमति नहीं दी जाती। जांच का भी कोई उपबन्ध नहीं किया गया है, और न अस्वीकृति के कारण बताने का कोई उपबन्ध है। कठिनाई वाले व्यक्ति को कारणों का उत्तर देने के लिये भी नहीं बुलाया जाता। और यदि कोई व्यक्ति प्रार्थना पत्र ले कर आपके सामने आ कर कहता है कि अंश-हस्तान्तरण की उसकी प्रार्थना अस्वीकृत कर दी गई है, तो क्या आप उसे कारण बतायेंगे?

श्री सी० डी० देशमुख: उस प्रक्रिया का विस्तार करने के लिये इस धारा में नियम बनाये जा सकते हैं, उपखण्ड द्वारा कोई बाधा उपस्थित नहीं होती।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : आप प्रथम स्थिति में उपबन्ध ही नहीं करना चाहते, और फिर समवाय को स्वच्छन्द शक्तियां दी जा रही हैं तथा आप यह उपबन्ध कर रहे हैं कि आप मामले की जांच करेंगे ।

श्री सी० डी० देशमुख : विधि और नियमों में अन्तर रखना पड़ता है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यदि सरकार भी उस के हस्तान्तरण को स्वीकार नहीं करती, तब उसे न्यायालय में जाकर दुर्भाव (दुराशय) सिद्ध करना पड़ता है । परन्तु जब उसे अस्वीकृति के कारण और आधार ही मालूम नहीं हैं, वह दुर्भाव कैसे सिद्ध कर सकता है ? आप को अनुमति न देने के कारण निर्धारित करने चाहियें, अन्यथा असन्तुष्ट व्यक्ति को न्याय नहीं मिल सकेगा ।

अतः मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि अनुमति न दी जाने वाली परिस्थितियों की परिभाषा देने का प्रयत्न किया जाना चाहिये । संथा के अन्तर्नियमों में उनका उपबन्ध होना चाहिये, ताकि समवाय द्वारा स्वच्छ शक्तियों का दुरुपयोग न होने पावे ।

डा० कृष्णास्वामी (कांचीपुरम्) : मैं केवल खण्ड संख्या ८५, ८६, ८७, ८८ और ८९ के बारे में कुछ कहूंगा ।

अधिमान अंश वाले साधारणतया साधारण अंश वालों की अपेक्षा अधिक अधिकार रखते हैं । पहले उन्हें मतदान का अधिकार देने का विचार कया गया था किन्तु विशिष्ट मतदान अधिकार देना उचित नहीं समझा गया है । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जो अधिकार उन को पहले मिल चुके हैं उन को समाप्त करना ठीक नहीं है । अधिमान अंशों का अनुपात पर्याप्त है, इस परिस्थिति के अन्दर उन से यदि अधिकार छीन लिये गये, तो उस का प्रभाव अच्छा नहीं होगा । कतिपय मामलों में अनुपातहीन मतदान के अधिकार रखने की आवश्यकता है । समानता के सिद्धान्त के अनुसार समान अधिकार होने चाहियें, परन्तु देश की वर्तमान स्थिति का ध्यान रखते हुये हमें अनुपातहीन मतदान का अधिकार रखना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी पूंजी के साथ यदि कोई विदेशी समवाय पूंजी लगाना चाहता है तो उसे अनुपात से अधिक मतदान का अधिकार देना पड़ेगा, ताकि वह समवाय के ऊपर उचित नियंत्रण रख सके । सार्वजनिक समवायों को समवाय विधि के उपबन्धों के क्षेत्राधिकार से निकाल देने से भी काम नहीं चल सकता । अनुपात से अधिक मतदान का अधिकार देने सें कई बार पूंजी का बहुत अधिक विकास होता है ।

श्री सी० सी० शाह : खण्ड ८७ के अनुसार सरकार को कुछ समवायों को इस से मुक्त करने की शक्ति दी गई थी, किन्तु संयुक्त समिति ने उस में संशोधन कर दिया है ।

डा० कृष्णास्वामी : संयुक्त समिति ने यह अच्छा काम नहीं किया है । यह उपबन्ध संविधान के उपबन्धों का किसी प्रकार भी अतिक्रमण नहीं करता ।

छोटा किन्तु शिल्पिक दृष्टि से चतुर और कुशल व्यक्ति, जिसे अनुपात से अधिक मतदान का अधिकार दिया जाता है, अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक उपयोगी और लाभदायक काम कर सकता है । दूसरी बात यह है कि यदि समान आधार पर मतदान का अधिकार दिया जाये तो कई अच्छे समवायों पर धनाढ्य लोग अपना अधिकार जमाने में समर्थ हो सकेंगे, और जिन लोगों ने परिश्रम तथा उद्योग के साथ समवाय को चलाया है, उनके हाथों से वह समवाय निकलने लग जायगा और एकाधिपतियों की चांदी हो जायगी । मैं समझता हूं कि संयुक्त समितियां वित्त मंत्री एकाधिपत्य के हाथ मज़बूत नहीं

[डा० कृष्णास्वामी]

करना चाहते, परन्तु अनुपात से अधिक मतदान का अधिकार न देने से तो एकाधिपत्य को पनपने का अवसर मिलेगा, अतः मैं इस बात का विरोध करता हूं ।

प्रेस में यह चर्चा चली थी कि वास्तविक शिल्पिकों और सम्पादकों को अनुपात से अधिक मतदान का अधिकार देने से सम्पादकीय नीति अच्छी तरह चल सकती है । परन्तु मैं समझता हूं कि अनुपात से अधिक मतदान का अधिकार समाप्त कर देने से यह सम्भव नहीं होगा । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस पर पुनः विचार करेंगे और अनुमान से अधिक मतदान का अधिकार देने के प्रश्न पर विचार करेंगे । यदि सरकार को परीक्षण करने का स्वविवेक दिया जाता है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं । मैं समझता हूं कि इस के बहुत से उपयोग हैं, इसलिये इस पर विचार किया जाना चाहिये ।

श्री सी० डी० देशमुख : इस चर्चा के बीच एक कठिनाई यह भी है कि कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ इच्छायें प्रकट की हैं या सुझाव दिये हैं जो कुछ विशिष्ट स्वरूप में नहीं हैं, अतः ऐसे संशोधनों को न तो अनुमति दी गयी है न उनका प्रस्ताव किया गया है । अब, इस अवस्था में, यदि कोई यह सोचता है कि उसके तर्कों में कुछ तथ्य की बात थी तो उसे प्रकट करने के लिये शब्दों के उपयुक्त स्वरूप का सुझाव देना असम्भव है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मंत्री का यह अभिप्राय है कि सरकार केवल उन्हीं संशोधनों की आज्ञा देगी जिनकी पूर्वसूचना दी गयी है या वह अन्य कोई शिल्पिक कठिनाई की बात कह रहे हैं ।

श्री सी० डी० देशमुख : अब, आज उस स्थिति का कोई महत्व नहीं है क्योंकि जिन संशोधनों को अनुमति कल नहीं दी गयी थी उनके लिये आज भी अनुमति नहीं दी गयी है । परन्तु मैं माननीय सदस्यों के उन सुझावों और इच्छाओं की बात कहता हूं जो संशोधनों के रूप में नहीं है । उन सब बातों के सम्बन्ध में इस अवस्था पर विचार करना मैं व्यर्थ समझता हूं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं निवेदन करूंगा कि यह साधन ठीक नहीं है । हम देख चुके हैं कि बिल्कुल ठीक समय पर संशोधन दिये जाते हैं और उनकी अनुमति दी जाती है । हम चाहते हैं कि सभी बातों पर विचार किया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री यह कह रहे हैं कि अभी तक भी कोई संशोधन नहीं आये हैं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यदि उनकी इच्छा है तो वह संशोधन तैयार कर सकते हैं ।

श्री सी० डी० देशमुख : यह मंत्री के ऊपर बहुत अधिक बोझ डालना है । हो सकता है कि मैं इस सम्बन्ध में थोड़ा बहुत कह सकूं परन्तु यह अनुचित प्रक्रिया है । मैं अपने छोटे से संसदीय अनुभव के आधार पर ऐसे बहुत से उदारहण जानता हूं जब कि अनेक उलटे-सीधे प्रारूपों की अनुमति दी गयी है और उन्हें विधि के रूप में स्वीकार किया गया है । अतः बिना संशोधनों के इन सुझावों की चर्चा करना आसान नहीं है । पंडित ठाकुर दास भार्गव के सुझावों का भी वह स्वरूप नहीं । मैं नहीं समझता कि ठीक मौक़े पर उनको इस उप-खण्ड में कैसे मिला लिया जाय ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यदि माननीय मंत्री सहमत हों और कोई संशोधन स्वीकार करने को तैयार हों तो हम इस विशेष मामले की चर्चा स्थगित कर सकते हैं ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं इसको बहुत महत्वपूर्ण नहीं समझता । पर प्रक्रिया के मामले में, मैं समझता हूं कि नियमों द्वारा इसका उपबन्ध किया जा सकता है । मैं ने उन्हें विश्वास दिलाया है कि नियम बनाते समय मैं उनके द्वारा कही गयी सभी बातों का ध्यान रखूंगा । यह कहना बहुत ग्रासान है कि बहुत से ग्रभ्यावेदन प्राप्त हो चुके हैं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं केवल ग्रपने संशोधन की बात नहीं कहता ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं उनके संशोधन के सम्बन्ध में कह रहा हूं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यदि वह इसे स्वीकार करना चाहें तो उनके पास इसके लिये साधन हैं ।

श्री सी० डी० देशमुख : उनके लिये एक ग्रपवाद माना जा सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदत : माननीय मंत्री कहते हैं कि वह नियमों में उनकी व्यवस्था करेंगे ।

श्री सी० डी० देशमुख : उस विशेष संशोधन के सम्बन्ध में, हमें कोई कठिनाई नहीं है । यदि कोई सुझाव हो ग्रौर स्थगित करने के सिवाय हमारे पास ग्रौर कोई चारा न हो, तो भी एक उपाय हो सकता है कि नियम बनाते समय उस पर विचार कर लिया जाय । यही सामान्य बात हमें कहनी है ।

खण्ड ८४ के सम्बन्ध में करमुक्त लाभांशों के बारे में कुछ ग़लतफ़हमी है । विधि में, ग्रधिमान ग्रंशों या किसी ग्रन्य प्रकार के ग्रंशों के सम्बन्ध में करमुक्त लाभांशों के जारी करने की न तो ग्रनुमति है ग्रौर न निषेध है । उसमें केवल यह कहा गया है कि कुछ लाभांश करमुक्त हो सकते हैं । ग्रब, चाहे वह करमुक्त हो या न हो, पर करमुक्त होने का प्रश्न इसलिये पैदा होता है कि हम उसे निश्चित लाभांश कहते हैं । ग्रधिमान ग्रंश की परिभाषा करते समय हम उसे "निश्चित लाभांश" कहते हैं । ग्रब, जब एक लाभांश करमुक्त है, तो शुद्ध लाभांश की एक निश्चित मात्रा नहीं हो सकती ग्रौर इसी कारण विधि में कहा गया है कि चाहे वह करमुक्त हो या न हो, केवल निश्चित लाभांश की परिभाषा करने या परिभाषा बढ़ाने के लिये ऐसा किया गया है । ग्रतः यह कोई सारवान खण्ड नहीं है ।

श्री साधन गुप्त ने कहा कि यह छोटे ग्रंशधारियों के प्रति ग्रन्याय है क्योंकि वे सोचते हैं कि बड़े ग्रंशधारी द्वारा ग्रदा किये जाने वाले कर का बोझ उन पर ही पड़ेगा । मैं समझता हूं कि उन्हें इस बात का पता नहीं है कि इसका हिसाब कैसे लगाया जाता है । वस्तुस्थिति यह है कि समवाय एक निश्चित दर—चार ग्राने—से भुगतान करता है ग्रौर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि पूर्व ग्रदायगी कर दी जाय । फिर, जब किसी विशेष ग्रंशधारी का ग्राय-कर निश्चित किया जाता है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि समवाय उसके एक भाग का भुगतान कर चुका है । इसके ग्रतिरिक्त इसका ग्रौर कुछ मतलब नहीं है । पर ऐसे मामलों में जहां किसी व्यक्ति को कुछ वापस लौटाया जाना होता है, उसे लौटा दिया जाता है । ग्रतः इस मामले में कोई ग़लती नहीं है । हां 'करमुक्त' शब्द कुछ भ्रमोत्पादक है । उनके करमुक्त होने का दूसरा मतलब है क्योंकि नये समवायों के नियम में हम ने यह निश्चय किया है कि यदि प्रथम पांच वर्षों तक लाभांश ६ प्रतिशत से ग्रधिक नहीं होता, तो वह करमुक्त होगा । यह एक दूसरे प्रकार करमुक्त ग्रपवाद है । इन लाभांशों के सम्बन्ध में हमारे पास एक विस्तृत टिप्पणी है पर चूंकि ग्रधिकांश माननीय सदस्यों की समझ में बात ग्रा गई है, उसे बढ़ाने की ग्रावश्यकता नहीं है । माननीय

[श्री सी० डी० देशमुख]

सदस्यों को इसके सम्बन्ध में चिन्तित होने की कोई आवश्यकता नहीं ।

अब में खण्ड ८५ को लेता हूं । यह अनुपातहीन अधिकारों या अन्य किन्हीं अधिकारों द्वारा जो यहां नहीं दिये गये हैं, सरकार को अधिमान अंशों के लेनें का अधिकार देने के सम्बन्ध में है । इसके पक्ष और विपक्ष—दोनों के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा जा सकता है । क्या यह लाभदायक होगा—यह इस बात पर निर्भर है कि मनुष्य अपनी स्थिति कैसी बना लेता है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने उद्योग को बढ़ाया है, तो लोगों को उसके प्रति सहानुभूति होगी और विधि को उस व्यक्ति को समवाय पर अधिकार रखने का अधिकार देना चाहिये क्योंकि इससे समवाय का भला होगा । पर इस बात की कोई प्रत्याभूति नहीं है कि वही अच्छा व्यक्ति उस समवाय पर हमेशा अधिकार रखेगा । कुछ समय बाद जब वह देखेगा कि अंशों का अधिमूल्य बहुत अधिक है तो वह उसे किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ बेचना चाहेगा जिसे वह अपने से अधिक योग्य समझेगा और ऐसी अवस्था में सारा दृश्य ही बदल जायेगा और उन सभी बुराइयों के पैदा होने का डर पैदा हो जायेगा जिन्हें हम हटाना चाहते हैं । अतः मैं समझता हूं कि संयुक्त समिति ने उस अधिकार को छीन कर ठीक ही किया है क्योंकि कदाचार के जो मामले हमारे सामने आये हैं वे हमारी सम्मर्थ्य के बाहर हैं, अतः प्रारम्भ से ही उसके सम्बन्ध में सावधान रहना चाहिये । यदि बाद में में यह पता लगेगा कि व्यावसायिक जगत् में अच्छे व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है तो हम इस मामले पर फिर से विचार करके इसी प्रकार का कोई खण्ड फिर लगा देंगे । खण्ड ८५ तथा श्री कृष्णस्वामी और श्री बंसल के संशोधनों के सम्बन्ध में मुझे केवल इतना ही कहना है ।

इसके बाद मैं खण्ड ८७ पर आता हूं बात यह है कि ऐसे समवाय जिनका प्रबन्ध निदेशक करते हैं, ऐसे समवायों से भिन्न हैं जिनका प्रबन्ध अभिकर्त्ता करते हैं । किसी को यह नहीं समझना चाहिये कि जो बुराइयों देखने में आई हैं वह सब प्रबन्ध अभिकर्ताओं के कारण हैं । साथ ही, कोई भी व्यक्ति यह नहीं जानता कि यदि इन समवायों का प्रबन्ध निदेशक करते होते तो क्या परिणाम हुआ होता । जहां तक मेरा अनुभव है, इन प्रणालियों में काम करने वाले व्यक्तियों का ही दोष होता है । अर्थात् प्रणालियों के बदलने से व्यक्तियों को तो बदला नहीं जा सकता । हो सकता है कि आज का प्रबन्ध अभिकर्ता कल निदेशक बन जाये । अतः वह अधिकार जो हम प्रबन्ध अभिकर्ताओं को देने के लिये तैयार नहीं हैं, उन समवायों को भी नहीं दे सकते जिनका प्रबन्ध निदेशक करते हैं । संस्कृत में एक कहावत है :

आवर्त बुद्बुद तरणगमयाविन्कारान् ।
धत्ते यथा सलिलमेव तु समग्रम् ।।

अर्थात् "बाहर से चाहे झाग, बुलबुले या लहरें दिखाई पड़ें, पर वह सब पानी ही है ।" इस व्यापारिक जगत में भी हम सदा पानी से ही खेलते हैं, चाहे वह किसी भी स्वरूप में हो। इस प्रबन्ध प्रणाली की शर्तों में कुछ ढील देने के पूर्व कुछ सावधानी की आवश्यकता है । मैं समझता हूं कि जिस माननीय सदस्य ने यह सुझाव दिया है उस का विश्वास है कि हम लोग अच्छे व्यक्तियों पर बहुत सारे प्रतिबन्ध लगा रहे हैं क्योंकि कुछ बुरे व्यक्तियों ने कुछ समवायों के प्रबन्ध में बड़ी गड़बड़ी की है । यद्यपि मुझे उनसे पूर्ण साहनुभूति है पर फिर भी में उनके संशोधन को स्वीकार करने में भयभीत हूं ।

श्री बंसल : इस समय भी ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं इन सभी बातों पर अनुभव के आधार पर सोचने को तैयार हूं ।

श्री तुलसीदास (मेहसाना पश्चिम) : क्या इसका मतलब मैं यह समझूं कि माननीय मंत्री यह समझते हैं कि भविष्य में यदि प्रबन्ध अभिकरण को प्रोत्साहित न किया जाय तो निदेशकों के प्रबन्ध में चलने वाले समवायों को रखना ठीक होगा ?

श्री सी० डी० देशमुख : जैसा कि मैं बता चुका हूं, इन अनिश्चित अवस्थाओं में लोगों की पसन्द के सम्बन्ध में पहले से कुछ बताना सम्भव नहीं है । मैं नहीं जानता कि अगले पांच वर्षों में औद्योगिक जगत की क्या दशा होगी । हो सकता है कि बहुत से प्रबन्ध अभिकर्ता अपना व्यवसाय बन्द कर दें, बहुत से कुछ और काम करने लग जायें । मुझे विश्वास है कि नये शुरू किये जाने वाले अधिकांश समवायों का प्रबन्ध निदेशकों द्वारा होगा । मैं एक ऐसे समवाय के बारे में जानता हूं जो अभी हाल ही में शुरू हुआ था और उसका प्रबन्ध प्रबन्ध-अभिकर्ता करता है । उनको अपने ऊपर और भविष्य पर विश्वास है ।

श्री तुलसीदास : बैंक और बीमा समवाय पहले प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली में थे । उनको ज़बरदस्ती उस प्रणाली से निकाला गया पर उनकी अच्छी प्रगति नहीं हुई । यह इस बात का प्रमाण भी है ।

श्री सी० डी० देशमुख : संसार के अन्य किसी भी देश में बैंकों पर इतना कठोर नियंत्रण नहीं है जितना कि भारत में है । अन्य देशों में भारत के रिज़र्व बैंक की भांति कोई भी संस्था नहीं है । बैंक समवायों के सम्बन्ध में अधिनियम १९४९ में पारित किया गया था और उस समय से या उसके पहले से भी बैंकों पर कड़ा नियंत्रण रहा है । फिर, अधिकारों का प्रयोग किये बिना हम अनुभव कैसे कर सकते हैं । और बिना अनुभव प्राप्त किये, न तो हम माननीय सदस्य की बात का समर्थन कर सकते हैं और न उसका खण्डन कर सकते हैं । जहां तक बीमा समवायों का सम्बन्ध है, उन्होंने कोई प्रगति नहीं की है । अतः उनके सम्बन्ध में मैं कुछ भी नहीं कहूंगा । विधि के पारित होने के बाद भी, मैं समझता हूं कि विधि का अन्तिम संशोधन भी इस दृष्टिकोण से सफल नहीं रहा है । हमारे सामने बीमा समवायों की तरह तरह की बुराइयां आती हैं । हम उन्हें हटाने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : बीमा समवायों का एक नियंत्रण और एक बोर्ड है । नियंत्रक एक कम अनुभव का व्यक्ति है और वह रिज़र्व बैंक जैसी किसी संस्था के प्रति उत्तरदायी भी नहीं है ।

श्री सी० डी० देशमुख : हो सकता है यही कारण हो । इसके बाद हम खण्ड ८८ पर आते हैं ।

श्री तुलसीदास : खण्ड ८७ पर जो मेरा संशोधन था उसका उत्तर नहीं दिया गया है ।

श्री सी० डी० देशमुख : जहां तक खंड ८७ का सम्बन्ध है, मेरी समझ से इसका आशय यह है कि जिस समय आप कोई ऐसा अंश जारी करते हैं जिसमें अन्य अधिकार होते हैं, जो साधारण अंशों की अपेक्षा अधिक मतदान का अधिकार रखते हैं, जिसमें मतदान, लाभांश पूंजी, आदि के सम्बन्ध में अधिक लाभ प्राप्त होते हैं, तो उसे अधिमान अंश कहते हैं । दूसरे शब्दों में हमने अधिमान अंश की इस प्रकार व्याख्या की है कि कोई भी उक्त प्रकार का अंश जारी होने के पश्चात अधिमान अंश हो जाता है । जब खंड ८९ के

[श्री सी० डी० देशमुख]

अधीन वह अधिमान अंश हो जाता है तो उसके मतदान के अधिकार प्रतिबन्धित हो जाते हैं । मेरे विचार से माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि ऐसे अंश जारी करना संभव हो जिन्हें कि साधारण भाषा में अधिमान अंश न कहा जाय। वे साधारण अंशों के प्रकार के ही अंश समझे जायं । इसलिये उन्हें मतदान के अधिकारों की सीमा के सम्बन्ध में खंड ८६ के प्रतिबधों के अंतर्गत नहीं आना चाहिये । इसलिये आवश्यकता खंड ८७ के संशोधन की नहीं थी, प्रत्युत अधिमान अंश की पथक् परिभाषा की थी । उन्होंने इस प्रकार का संशोधन उपस्थित नहीं किया है। यह उस कठिनाई का उदाहरण है जिसका मैं शुरू में ही ज़िक्र कर चुका हूं अर्थात् माननीय सदस्य जिन संशोधनों को प्रस्तुत करते हैं उनमें उनके अभिप्राय तथा निर्वचन का आभास नहीं मिलता । अन्तिम क्षणों में किसी उपयुक्त रूप का निश्चय करना कठिन होता है । कम-से-कम संयुक्त समिति के सदस्य यह जानते हैं कि अधिमान अंशों की परिभाषा तथा मताधिकार निश्चित करने में हमें कई दिन लगे थे । इस कारण मुझे दु:ख है कि मैं खंड ८७ पर सुझाये गये संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता ।

अब मैं खंड ८८ को लेता हूं । इसके सम्बन्ध में केवल यह बात कही गई है कि तीन वर्ष की अवधि बहुत अधिक है । इस सम्बन्ध में श्री गाडगील का संशोधन संख्या ४५३ है । तीन वर्ष की अवधि मूल विधेयक में रखी गई थी । दो एक वर्ष तो बीत चुके हैं और व्यावहारिक रूप से इन अंशधारियों ने उन अधिकारों का प्रयोग कर लिया होगा जिनका वे तब करते जब कि विधि तभी पारित हो जाती । दूसरे शब्दों में तीन में से दो वर्ष तो बीत ही चुके हैं । इसलिये उन्हें इन अधिकारों के प्रयोग का अवसर मिल गया है, अतः मैं श्री गाडगील का यह संशोधन स्वीकार करता हूं कि एक और वर्ष पर्याप्त होगा । मेरे विचार से यह बात सभी जानते हैं कि इनमें से अधिकांश अंश आस्थगित अंश हैं जो कि व्यक्तियों द्वारा केवल नियंत्रण के प्रयोजन से रखे गये हैं । यह भी सभी जानते हैं कि इस नियंत्रण का प्रयोग सदैव कल्याण के लिये ही नहीं किया जाता । इसलिये मेरे विचार से इन मताधिकारों के लिये एक वर्ष की अवधि पर्याप्त है, तथा विधेयक के लागू होने के एक वर्ष पश्चात् ये अधिकार समाप्त हो जायेंगे ।

श्री सी० सी० शाह : मैं आपको यह बता दूं कि इस प्रकार का तत्स्थानी संशोधन पृष्ठ ५१ के उपखंड (३) के पृष्ठ ८ में भी करना होगा ।

श्री सी० डी० देशमुख : आप ठीक कहते हैं । यह आनुषंगिक, यानी मसौदे के परिवर्तन के समान होगा ।

खंड ८८ के उपखंड (२) पर दूसरा संशोधन संख्या ३६४ है । जहां तक निदेशकों की नियुक्ति का सम्बन्ध है, मैं संशोधन के अभिप्राय से सहमत हूं । अर्थात् आप प्रबन्ध अभिकर्ताओं को इन अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति नहीं देते हैं, लेकिन वह दूसरे मार्ग से यथा निदेशकों के रूप में आ सकते हैं । तर्क तो यह है कि निदेशक के रूप में नियुक्त होने पर भी वे अनुपातहीन मताधिकारों का प्रयोग नहीं करेंगे । अब यह एक वर्ष की बात है, तीन वर्ष की नहीं । मेरे विचार से उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिये किन्तु जहां तक संशोधन के रूप का प्रश्न है, मेरा सुझाव यह है कि पृष्ठ ५०, पंक्ति ४३ में "of a managing agent" ["प्रबन्ध अभिकर्ता"] शब्दों से पहले "of a director or" ["एक निदेशक का अथवा"] शब्द रखे जायें ।

श्री के० के० बसु : नामनिर्देशन हो अथवा नियुक्ति ?

श्री सी० डी० देशमुख : मेरे विचार से 'नियुक्ति' शब्द के अन्तर्गत अभिप्राय आ जायेगा । तत्पश्चात्

पृष्ठ ५०, पंक्ति ४५ में, "its managing agent " ["इसका प्रबन्ध अभिकर्ता"] से पहले "a managing or whole-time director thereof or" ["उसका एक प्रबन्ध निदेशक अथवा पूरे समय कार्य करने वाला निदेशक या"] शब्द रखे जायें। इससे भी वही परिवर्तन हो जायेंगे । यदि सभा इस संशोधन को इस संशोधित रूप में स्वीकार करेगी तो मैं इसे स्वीकार करता हूं ।

अब हम इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं कि अनुपातहीन मताधिकार को छोड़ कर वर्तमान अधिमान अंशों के सम्बन्ध में क्या किया जाय । में यहां कुछ और यथा तथ्य जानकारी देना चाहता हूं ।

कुछ ऐसे भी अधिमान अंश होते हैं जिनमें साधारण अंश तथा अधिमान अंश—जैसे कि वे साधारण भाषा में समझे जाते हैं—दोनों की ही विशेषतायें होती हैं । मान लिया जाये कि एक समवाय है, जिसमें पहिले प्रकार के अधिमान अंश कर-रहित, ४१/२ प्रतिशत, वार्षिक की दर से संचयी अधिमान लाभांश के अधिकारी हैं । 'ख' श्रेणी के अंश पहिले अधिमान अंशों का लाभांश चुकाने के पश्चात्, कर-रहित वार्षिक ४१/२ प्रतिशत के अधिकारी हैं । साझेदार अधिमान अंश उक्त लाभांश चुका देने पर कर-रहित ५ प्रतिशत वार्षिक की दर से निश्चित संचयी लाभांश पर तथा उक्त अभिमान अशों के लाभांश दिये जाने के पश्चात् उपलब्ध तथा बचे हुये लाभ पर ५० प्रतिशत के बराबर अग्रेतर लाभांश के अधिकारी हैं । जब कि साधारण अंश को लाभ के ५० प्रतिशत के बक़ाया के समान अंश का अधिकार है यह एक बात है ।

अन्य मामलों में अधिमान अंशों को, १० प्रतिशत लाभांश तक साधारण तथा आस्थगित अंशों से साझेदारी करने का अधिकार रहता है। एक बार घोषित हो जाने पर उन्हें अग्रेतर लाभ पर कोई अधिकार नहीं रहता ।

तीसरे मामले में अधिमान साधारण अंशों को यह अधिकार होगा कि प्रतिवर्ष लाभांश के लिये उपलब्ध लाभ से, उस वर्ष के लिये ५ प्रतिशत वार्षिक की दर से एक निश्चित अधिमान लाभांश प्राप्त करें, तथा उस आधिक्य लाभ में जो उस वर्ष लाभांश के लिये उपलब्ध हो, और जो कि साधारण अशों के, प्रदत्त पूंजी के अनुपात में,—चाहे वे अधिमान–साधारण हों अथवा असाधारण हों—के दर के हों, भाग ले सकें ।

कई मामले हो सकते हैं । मैं ने उनमें से चार मामले लिये हैं । अन्तिम मामला ऐसे अधिमान अंशों का है जिन्हें कि ६ प्रतिशत वार्षिक की दर से कर-रहित संचयी लाभांश का अधिकार है तथा साधारण अंशों पर ७ प्रतिशत लाभांश चुकाने के पश्चात् आधिक्य लाभ में से प्रदत्त पूंजी पर दो प्रतिशत वार्षिक असंचयी लाभांश पर अधिकार होगा । इसलिये कोई व्यक्ति यह नहीं जान सकता कि अधिमान अंश कौन से हैं तथा सामान्य साधारण अंश कौन से हैं । एक उदाहरण और है और वह यह है कि अधिमान अंशों को पांच प्रतिशत वार्षिक निश्चित संचयी लाभांश पर अधिकार है तथा साधारण अंशों को उतना ही लाभांश दिये जाने के पश्चात् उन्हें एक प्रतिशत वार्षिक उस अग्रेतर लाभांश पर भी अधिकार है जो कि अधिकतम १० प्रतिशत तक साधारण अंशों की दर के हैं ।

[श्री सी० डी० देशमुख]

इस प्रकार, हम वास्तव में नहीं जानते हैं कि इस प्रकार के अंशो का विभाजन किस प्रकार होता है । अधिमान तथा साधारण से जो कुछ हम पुराने दिनों में समझा करते थे, आज के अधिमान तथा साधारण अंशों की परिभाषा भिन्न है । यह भी हो सकता है कि किन्हीं समवायों में महत्वपूर्ण अंश अधिमान अंश ही हों । इसलिये अब यह कहना कि एक समवाय—जहां तक पुराने समवायों का सम्बन्ध है—साधारण अंशधारियों का है अधिमान अंशधारियों का नहीं, ठीक नहीं है । जैसा कि मैं कह चुका हूं, दूसरी बात यह है कि हम यह भी नहीं जानते कि कौन अधिमान अंशधारी है तथा कौन साधारण अंशधारी । यही मुख्य कारण है कि हमने सोचा कि जब तक हमें स्पष्ट आंकड़े नहीं प्राप्त हो जायें तब तक इन ३०,००० समवायों के सम्बन्ध में हमें अंधकार में नहीं टटोलना चाहिये । इसके पश्चात् भी जब तक हम उन प्रभावों का विश्लेषण न कर लें तब तक वर्तमान मतदान के अधिकार पर—केवल अनुपातहीन मताधिकार को छोड़ कर जो कि निःसन्देह एक दुरुपयोग है—हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये । अब हमारे पास क्या मानदण्ड है ? मानदण्ड यह है कि क्या इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लेने के पश्चात् भी ऐसे मामले मिल सकते हैं जहां दुरुपयोग बहुतायत से होता है । हम जानते हैं कि अनुपातहीन अंशों का खूब दुरुपयोग किया जाता था । इसीलिये हमने कहा है कि पक्षों के अधिकार पहिले चाहे कुछ भी रहे हों किन्तु अब उन में अनुपातहीन अंश नहीं रहेंगे ।

संयुक्त समिति ने तो यहां तक कहा कि हम केन्द्रीय सरकार को भी इस विशेष मामले में कोई छूट देने का अधिकार नहीं देंगे, क्योंकि हम इसका पुरजोर समर्थन करते हैं । मैं इस दृष्टिकोण का आदर करता हूं तथा मैं ने इसे स्वीकार भी कर लिया है

जहां तक अन्य अधिकारों का सम्बन्ध है, मैं इस बात को न्यायोचित नहीं समझता कि यदि उन्हें समान अधिकार हैं तो उनसे अन्य मामलों में बोलने का अधिकार ले लिया जाय । जब कि उनके लाभांश तथा अन्य चीजें खटाई में पड़ रहे हैं इसके प्रकाश में श्री मुरारका ने, अपने मामले के सुयोग्य स्पष्टीकरण में जो कुछ भी कहा वह विषय से बाहर की बात थी । उन्होंने पामर, गोवर, लेवी, व वैलेंटाइन के उद्धरण दिये हैं । इन सभी महानुभावों ने उसी सिद्धान्त को सिद्ध किया है जिसे कि हम स्वीकार कर चुके हैं अर्थात् अधिमान अंशों के सम्बन्ध में सामान्यतः एक व्यक्ति अपने को निश्चित रूप से ऋणदाता समझता है । ५० वर्ष के न्यायालयों के परस्पर विरोधी नियमों से व्यक्ति इस परिणाम पर पहुंचा है कि वे निश्चित ऋणदाता हैं, इसीलिये उन्हें तब तक मतदान नहीं करना चाहिये जब तक कि उनके विशेष हितों पर आघात न हो । यह शर्तें खंड ८७ में अभिहित हैं । हम कहते हैं कि भविष्य के अधिमान अंशों में यही शर्तें लागू होंगी । इससे किसी व्यक्ति पर अन्याय नहीं होगा क्योंकि लोग आंख खोल कर ऐसे उपक्रमों में पूंजी लगायेंगे । लेकिन यही एक कारण नहीं है कि हम अधिमान अंशों तथा साधारण अंशों के बीच के अधिकारों की अव्यवस्थित स्थिति पर हस्तक्षेप करें । जिन देशों में यह नियम लागू होते हैं उन देशों तथा अपने देश की वस्तुस्थिति में महत्वपूर्ण अन्तर यह है कि पामर, गोवर, लैवी और वैलेंटाइन ऐसी वस्तुस्थिति पर बोल रहे हैं जहां विधि ने मामले पर हस्तक्षेप नहीं किया है । वे अधिमान अंशों तथा साधारण अंशों के बीच के मतदान

के अधिकार के विभेद के ऐतिहासिक विकास की खोज कर रहे हैं । उनके कहने का तात्पर्य यह है कि पहिले यह प्रथा थी कि अधिमान अंशधारियों तथा साधारण अंशधारियों को एक ही प्रकार के मताधिकार दिये जाते थे । तत्पश्चात् जैसे जैसे परम्पराओं का विकास हुआ और न्यायालयों से आज्ञाएं जारी हुईं तो यह ज्ञात हुआ कि वे वस्तुतः ऋणदाता के प्रकार के व्यक्ति हैं इसलिये उन्हें मतदान का अधिकार नहीं मिलना चाहिये और साधारण अंशधारियों के लिये जिन्हें निर्णय करने के लिय स्थिति का सामना करना पड़ता है, अधिक स्वतन्त्रता दी जाय । यह ऐतिहासिक विकास की बात है किन्तु यह याद रखना चाहिये कि उन देशों में इन मामलों पर अनुच्छेद के उपबन्धों के अनुसार आदेश दिया जाता है । अर्थात् अनुच्छेदों में विदित विधि से ही मतदान होता है । इसलिए आप देखेंगे कि १९१० के अनुच्छेद में एक प्रकार की व्यवस्था है । १९५० के अनुच्छेद में दूसरे प्रकार की व्यवस्था है । किन्तु विधि में यह नहीं कहा गया है कि १९१० की व्यवस्था में इस प्रकार परिवर्तन किया जाय कि वह १९५० की व्यवस्था के समान हो जाय । जब कि यहां नई विधि बनाने के लिए जो सुझाव दिया गया है वह, और उस सिद्धान्त को मान लेने पर अंशधारियों के वर्तमान अधिकारों पर जो प्रभाव पड़ेगा वह न्यायोचित नहीं ज्ञात होता । इसलिए इस विशेष मामले में, मैं श्री मुरारका अथवा किसी अन्य के तर्क या संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता हूं तथा मैं सोचता हूं कि संयुक्त समिति द्वारा अपनाई गई योजना इस स्थिति में सब से अधिक उपयुक्त है । यह खंड ८९ के सम्बन्ध में है ।

इसके पश्चात् 'संचयी' की परिभाषा के सम्बन्ध में एक छोटी सी बात उठाई गई थी । अपने संशोधन प्रस्तुत करते समय मैं ने कहा था कि, वास्तव में, हम बहुत अधिक संतोषजनक परिभाषा ढूंढ नहीं सकते । हमारे विधान सम्बन्धी मंत्रणादाताओं का कहना है कि ये सभी परिभाषायें यथार्थ में संतोषजनक नहीं, कदाचित् वे अनावश्यक भी हैं: और इसीलिये मुझे इस बात की आशंका है कि हमें इस बात को यथावत् छोड़ देना पड़ेगा । मैंने यह भी मालूम किया था कि कहीं अन्य किसी विधि में,--अमरीका, इंगलैंड या अन्य किसी देश में--'संचयी पूर्वाधिकार (अधिमान) अंश' की परिभाषा देने का प्रयत्न तो नहीं किया गया । मैंने इस बात की जांच नहीं की है किन्तु मुझे बताया गया है कि इस प्रकार की कोई परिभाषा नहीं । यदि ऐसी बात हो तो मैं समझता हूं कि हम 'संचयी पूर्वाधिकार (अधिमान) अंश' शब्दावली को बिना इसकी कोई परिभाषा किये छोड़ देंगे, जैसे कि 'ऊंट' की परिभाषा ऊंट जन्तु के भाव चित्र से ही हो सकती है । ऊंट को देख कर ही हमें इस जन्तु की पहचान होती है, किन्तु किसी संविधि में इसकी परिभाषा परिनियत करना कठिन होगा ।

अब मैं खण्ड ९२ को लेता हूं । इस में यह बात उठाई गई है कि क्या 'करे' के स्थान पर 'करना होगा' होना चाहिये, आदि । किन्तु यही एकमात्र प्रश्न नहीं । प्रारम्भ में मेरा यह विचार था कि यह जो बात उठाई गई थी, प्रारूप के ही सम्बन्ध में थी जिससे यह अभिप्रेत था कि कहीं 'करे' को 'करना होगा' तो नहीं समझा जायगा । किन्तु श्री साधन गुप्त चाहते हैं कि 'यदि इसके अनुच्छेदों द्वारा इसे इस प्रकार का अधिकार मिलता हो' वाक्यांश छोड़ दिया जायगा । दूसरे शब्दों में, उन का विचार है कि जिस समय कोई व्यक्ति अधिक धन देता है, उसे अधिक लाभांश पाने का अधिकार होना चाहिये । तो इस मामले का एक विशेष

[श्री सी० डी० देशमुख]

इतिहास है । पुराने दिनों में प्रत्येक अंश पर एक ही लाभांश दिया जाता था—भले ही किसी भी व्यक्ति ने कुछ दिया हो, अन्य शब्दों में, उन दिनों कुछ ऐसी बात होती थी जो श्री साधन गुप्त द्वारा प्रतिपादित बात के विरुद्ध है । बहुत समय तक इसी प्रक्रिया को स्वाभाविक समझा जाता था । उसके बाद अंग्रेज़ी विधि ने इस प्रकार की व्यवस्था को अपना लिया, और यह हमने उन से ही ली, अर्थात् कि उन्हें यदि अनुच्छेदों द्वारा इस प्रकार का अधिकार हो तो धन दिया जाना चाहिये, अन्यथा नहीं । यह है इंगलिश अधिनियम की धारा ५९(३) । इस प्रकार की भी सम्भावना है कि कहीं इस चीज़ का दुरुपयोग होगा । लोग जान बूझ कर कुछ और धन लगायें और संस्थापकों एवं अन्य व्यक्तियों से कहें कि वे अनुच्छेदों में इसकी व्यवस्था करें, और उसके बाद उन्हें किसी प्रकार का लाभ होगा । कुछ भी हो, जैसा कि श्री सी० सी० शाह ने इस बात की ओर संकेत किया है, यदि समवायों ने वास्तव में अतिरिक्त राशि की मांग नहीं की, तो यदि पहले का कोई करार हुआ हो तो उन्हें अदायगी की जाय; अन्यथा, यदि अंशधारी स्वयं इसे उपलब्ध करायें, तो वह इस बात का कोई भी कारण नहीं हो सकता कि उन्हें अतिरिक्त लाभांश क्यों मिलना चाहिये । मैं समझता हूं कि इस मामले को यथावत् छोड़ देना ही अधिक अच्छा होगा । यही कारण है कि मैं संशोधन संख्या ४४८ नहीं स्वीकार कर सकता ।

श्री के० के० बसु : वह प्रस्तुत नहीं किया गया क्योंकि आपने पूर्वसूचना की शर्त नहीं हटाई थी ।

श्री सी० डी० देशमुख : हां, मैं ने आपत्ति की थी । मैं इसकी आपत्ति करता हूं । मैं भूल ही गया कि आज के पत्र में भी इसको स्वीकार नहीं किया गया है ।

श्री के० के० बसु : प्रस्तुत संशोधनों को सूची में इसका उल्लेख नहीं ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : ढाई बज चुके हैं ।

श्री सी० डी० देशमुख : तो उन्होंने जो कुछ कहा है उसकी ओर कोई भी व्यक्ति ध्यान न दे ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री और कितने समय बोलेंगे ?

श्री सी० डी० देशमुख : खण्ड ११० के सिवाय मैं ने बहुत सी बातों पर अपने विचार व्यक्त किये हैं । मेरा विचार है कि खण्ड ११० के सम्बन्ध में मैं उन सब बातों के बारे में बोल चुका हूं जो श्री यू० एम० त्रिवेदी ने पूछी थीं, और श्री के० के० बसु और अन्य सदस्यों ने मेरे दृष्टिकोण का समर्थन किया है । मेरा, वास्तव में, यह विचार नहीं कि श्री झुनझुनवाला द्वारा सुझाई गई व्यवस्था हमारे किसी काम आयेगी । इतना तो स्पष्ट है कि वह इस सम्बन्ध में बहुत अधिक महसूस करते हैं और यदि उनका संशोधन स्वीकार न हो तो यही कहना पड़ेगा : "ओह ! कितना दयनीय है !" किन्तु मैं इस कारण से इसे स्वीकार नहीं कर सकता कि समवाय को निश्चय करने में दो महीने चाहिये और सरकार को भी निश्चय करने में कुछ समय लगेगा । चूंकि इन दोनों पक्षों को उसकी योजना के अन्तर्गत इस निश्चय में समय लगेगा, अतः समवाय अवश्यमेव कुछ अधिक समय लेने के बाद इस बात का निश्चय करेगा कि वह उसकी नीति के अनुसार हस्तान्तरण स्वीकार करेगा या नहीं । सरकार के पास भी इस मामले को कुछ समय लगेगा । अतःएव, मेरा यह विचार नहीं कि इस से कुछ समय बचेगा, और हो सकता है कि इस से यह पेचीदगी पैदा हो कि सरकार को प्रारम्भ

में एक पक्षीय निर्णय करना पड़े, क्योंकि जब भी कोई समवाय उस के पास जा कर कहे: "हम अनुभव करते हैं कि इस मामले में हस्तान्तरण से इनकार किया जाना चाहिये", तो उसके पास यही अच्छा कारण होगा कि यह कोई बुरा आदमी है—और सरकार के पास कुल इतना ही साक्ष्य होगा। इसीलिये मुझे लग रहा है कि उनका संशोधन स्वीकार करने से कुछ भी लाभ नहीं होगा, बल्कि उचित नियमों के आधार पर और इस मामले में प्रक्रिया को पूरा करने से, हम इस बात का प्रयत्न करेंगे कि हम यथासम्भव शीघ्रता से निर्णय कर सकें, ताकि बाद में बदनीयती या दुराशय की बात ही सिद्ध करना बाक़ी रहे। यह भी विरले मामलों में न्यायालयों द्वारा तय होगी।

श्रीमान्, मैं समझता हूं कि मैं ने बहुत सी महत्वपूर्ण बातों के सम्बन्ध में कहा है। खण्ड १३९ पर श्री तुलसीदास का छोटा संशोधन संख्या १८८ है, जिसे मैं स्वीकार करने को प्रवृत्त हो रहा हूं। मैं समझता हूं कि यह सही है कि खण्ड १३७ के बदले खण्ड १३८ के अधीन जब रजिस्ट्रार (पंजीयक) काम करता रहे तो समवाय को उस विषय में कुछ भी मालूम नहीं होगा क्योंकि कोई भी सूचना प्राप्त नहीं की गई है। केवल खण्ड १३७ में समवाय यह कहेगा कि संतोष मिल चुका है, किन्तु जहां खण्ड १३८ के अधीन संतोष का ज्ञापन अभिलिखित किया जा चुका है, वहां समवाय उस से पूर्णतः अनभिज्ञ होगा। अतःएव "यदि इस प्रकार अपेक्षित हो" का प्रश्न नहीं उठता और मैं समझता हूं कि वह ठीक कहते हैं कि इन शब्दों को यहां नहीं रखा जाना चाहिये और रजिस्ट्रार (पंजीयक) का यह कर्त्तव्य होना चाहिये कि वह इसकी एक प्रति दे। तो मुझे उनका संशोधन संख्या १८८ सहर्ष स्वीकार है।

मैं प्रायः सभी बातों का उत्तर दे चुका हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं खंडों और संशोधनों को मतदान के लिये रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि खंड ८१ से ८३ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ८१ से ८३ विधेयक में जोड़ दिये गये।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

कि "पृष्ठ ४८, उपखंड (१) पंक्ति २४ और २९ और ३० में, कंडिका (ख) में "winding up" (समाप्त करना) शब्दों के बाद, दोनों ही स्थानों पर जहां वे आते हैं, "or repayment of capital" (या पूंजी का पुनर्भुगतान) शब्द रखे जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि खंड ८४, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ८४, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ८५ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ८५ विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है

पृष्ठ ४९,

पंक्ति १३ और १४ में, "section 87 and 88" (धारा ८७ और ८८) शब्दों के स्थान पर "section 88" (धारा ८८) शब्द रखे जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"पृष्ठ ४९, पंक्ति २८ में, उपखंड (२) (क) की व्याख्या में "reduction" (कमी) शब्द के पहले "repayment of" (का पुनर्भुगतान) शब्द रखे जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ४९–५० में,

उपखंड २ (ख) की विद्यमान व्याख्या के स्थान पर ये रखा जाये :

"*Explanation*—For the purposes of this clause, dividend shall be deemed to be due on preference shares in respect of any period whether a dividend has been declared by the company on such shares for such period or not—

(a) on the last day specified for the payment of such dividend for such period, in the articles or other instrument executed by the company in that behalf; or

(b) in case no day is so specified, on the day immediately following such period."

[**व्याख्या**—इस खंड के प्रयोजन से पूर्वाधिकार अंशों पर किसी अवधि के बारे में लाभांश, चाहे समवाय द्वारा ऐसे अंशों पर उस अवधि के लिये लाभांश घोषित किया गया हो या नहीं—

(क) उस अवधि के उस लाभांश के भुगतान के लिये, सीमा-नियमों या समवाय द्वारा उस सम्बन्ध में की गयी अन्य लिखित में, बताये गये अन्तिम दिन, या

(ख) यदि इस प्रकार कोई दिन न बताया गया हो, तो इस अवधि के तुरन्त बाद आने वाले दिन देय समझे जायेंगे ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"पृष्ठ ५०, पंक्ति ४ से ११ में, खंड ८६(२) (ख) की व्याख्या–२ को हटा दिया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अन्य संशोधन पर आग्रह नहीं किया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ८६, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

***खंड ८६, संशोधित रूप में, विधेयक मे जोड़ दिया गया ।**

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १७४ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ८७ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ८७ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

श्री सी० सी० शाह : संशोधन संख्या ३९४ के स्थान पर माननीय मंत्री ने अन्य संशोधन रखा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह श्री के० पी० त्रिपाठी के नाम है ।

श्री सी० डी० देशमख : वह श्री के० पी० त्रिपाठी ने प्रस्तुत किया था । जैसा मैंने बताया है, यदि उस प्रकार इसे सुधार दिया जाये, तो मैं इसे मानने को तैयार हूं ।

*खण्ड ८६ उपखण्ड (१) पृष्ठ ४९ पंक्ति १ में किये संशोधन के अनुसार अध्यक्ष के आदेशानुसार प्रत्यक्ष गलती के रूप में खंड ८६ उपखंड (२) (ग) पंक्ति १५ में "८७ और" शब्दों को हटा दिया गया ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : मैं वह परिवर्तन मानता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस संशोधित संशोधन को, जैसा श्री के० पी० त्रिपाठी ने प्रस्तुत किया था और सरकार ने स्वीकार कर लिया है, मतदान के लिये रखे देता हूं ।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ ५०,

(१) पंक्ति ४३ में of a managing agent (एक प्रबंधक एजेंट का) शब्दों से पहले "of a director or" (एक निदेशक का या) शब्द रखे जायें ।

(२) पंक्ति ४५ में "its managing agent" (इसका प्रबंधक एजेंट) शब्दों से पहले "a managing or wholetime director thereof or" (उसका एक प्रबंधक या पूर्णकालीन निदेशक या) शब्द रखे जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री गाडगील का संशोधन संख्या ४५३ है । वह यहां नहीं हैं, पर सभा उसे मान सकती है ।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ ५०, पंक्ति ३२ में,

"तीन वर्षों" के स्थान पर "एक वर्ष" रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या ४५३ स्वीकृत हुआ और वैसा ही अनुसंगिक संशोधन उपखंड (३) में भी स्वीकृत हुआ ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड ८८, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ८८, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १७५ और १७६ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुये ।

संशोधन संख्या ७४ पर आग्रह नहीं किया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ८९ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ८९ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ९० से ९२ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ९० से ९२ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

एक माननीय सदस्य : हमारे पास ग़ैर-सरकारी सदस्यों का कार्य है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पांच बजे बाद और समय दे दूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ११५ और ११६ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ९३ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ९३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ९४ से १०९ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ९४ से १०९ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले सरकारी संशोधन रखूंगा ।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ ५६, उपखंड (१), पंक्ति ३६ में "Sections 107 and 109" (धारा १०७ और १०६) के स्थान पर "Sections 107, 108 and 109 (धारा १०७, १०८ और १०६) रखे जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ५६, उपखंड (१), पंक्ति ४० में, "refuse to register the transfer of" (के हस्तांतरण के पंजीयन से इनकार) शब्दों के बाद "or the transmission by operation of law of the right to" (या के अधिकार का विधि के प्रवर्तन द्वारा संप्रेषण) शब्द रखे जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ५६, उपखंड (२), पंक्ति ४४ में, "any such transfer" (ऐसा कोई हस्तान्तरण) शब्दों के बाद or transmission of right" (या अधिकार-संप्रेषण) शब्द रखे जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ५६, उपखंड २, पंक्ति ४५ में, "instrument of transfer" (हस्तान्तरण की लिखत) शब्दों के बाद "or the intimation of such transmission, as the case may be" (या ऐसे संप्रेषण की सूचना, जैसी स्थिति हो) शब्द रखे जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ५६, उपखंड २, पंक्ति ४७ में, "transferor" (हस्तांतरक) शब्द के बाद "or to the person giving intimation of such transmission, as the case may be" (या ऐसे संप्रेषण की सूचना देने वाले व्यक्ति को, जैसी स्थिति हो) शब्द रखे जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ६०, उपखंड ३, पंक्ति ५ में, " transferee " (हस्तांतरिती) शब्द के बाद "or the person who gave intimation of the transmission by operation of law, as the case may be (या वह व्यक्ति जिसने विधि-प्रवर्तन द्वारा संप्रेषण को सूचना दी हो, जैसी स्थिति हो) शब्द रखे जावें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

पृष्ठ ६० उपखंड ३, पंक्ति ८ और १० में, "Transfer" (हस्तांतरण) शब्द के बाद "or transmission" (या संप्रेषण) शब्द रखे जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ६०, उपखंड ४, पंक्ति १२ में, "by the transferor or transferee" (हस्तांतरक या हस्तांतरिती द्वारा) शब्द हटा दिये जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ६०, उपखंड ४, पंक्ति १५ में, transfer (हस्तांतरण) शब्द के बाद अल्प विराम (कोमा) हटा दिया जाये और or transmission (या संप्रेषण) शब्द रखे जायें

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ६०, उपखंड ५, पंक्ति २१ में, to the company (समवाय को) शब्दों के बाद and also to (और को भी) शब्द रखे जायें ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ६०, उपखंड (५), पंक्ति २१ और २२ में, "transferor and the transferee" (हस्तांतरक और हस्तांतरिती) शब्दों के बाद "or, as the case may require, to the person giving intimation of the transmission by operation of law and the previous owner, if any" (या, जैसा स्थिति द्वारा अपेक्षित हो, विधि, प्रवर्तन द्वारा संप्रेषण की सूचना देने वाले व्यक्ति या यदि कोई हो, तो पूर्व स्वामी को) शब्द रखे जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ६०, उपखंड (५), पंक्ति २४ में, "transfer" (हस्तांतरण) शब्द के बाद "or transmission" (या संप्रेशण) शब्द रखे जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ६०, नया उपखंड (८) उपखंड (७) के बाद, निम्नलिखित उपखंड जोड़ दिया जाये :—

"(8) In the case of a private company which is not a subsidiary of a public company, where the right to any shares or interest of a member in, or debentures of, the company, is transmitted by a sale thereof held by a Court or other public authority, the provisions of sub-sections (3) to (7) shall apply as if the company were a public company; provided that the Central Government may, in lieu of an order under sub-section (5), pass an order directing the company to register the transmission of the right unless any member or members of the company specified in the order acquire the right aforesaid within such time as may be allowed for the purpose by the order, on payment to the purchaser of the price paid by him therefor or such other sum as the Central Government may determine to be a reasonable compensation for he right in all the circumstances of the case."

(८) एक निजी समवाय के विषय में, जो एक साहयक या लोक-समवाय नहीं है, जब समवाय में किसी सदस्य के हित या किन्हीं अंशों या उसके ऋणपत्रों का अधिकार, किसी न्यायालय या किसी अन्य लोक-प्राधिकार द्वारा किये गये उसके विक्रय द्वारा संप्रेषित किया जाता है, तो उपखंड (३) से (७) के उपबन्ध उस रूप में लागू होंगे, जैसे समवाय के लोक-समवाय होने पर होते, परन्तु केन्द्रीय सरकार उपखंड (५) के अन्तर्गत आदेश के स्थान पर समवाय को अधिकार-संप्रेषण के पंजीयन का निदेश देने वाला आदेश पारित कर सकेगी, यदि आदेश में निर्दिष्ट समवाय का कोई सदस्य, या सदस्यगण पूर्वोक्त अधिकार को, आदेश के प्रयोजन से दिये गये समय में क्रेता को उसके द्वारा उसके लिये दिये गये मूल्य का या उस राशि का जिसे

[उपाध्यक्ष महोदय]

केन्द्रीय सरकार उस मामले की समग्र परिस्थितियों में अधिकार की उचित क्षतिपूर्ति निश्चित करे, भुगतान करके अर्जित न कर ले ।]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ११७, १८०, १८१, १८२ और १८४ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुये ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि अन्य संशोधनों पर आग्रह नहीं किया गया है ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ११०, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ११०, संशोधित रूप, में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड ११२ पर एक संशोधन है । किन्तु कोई भी सदस्य खड़ा नहीं हुआ है, अतः मैं समझूंगा कि इस पर आग्रह नहीं किया गया है । मैं खण्ड १११ से १३८ तक मतदान के लिये रखूंगा ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १११ से १३८ तक विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १११ से १३८ तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड १३९ को लेंगे ।

श्री तुलसीदास : मेरा संशोधन संख्या १८८ भी है ।

श्री एम० सी० शाह : इसे स्वीकार किया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ७१, पंक्ति ३० में "if so required" (यदि वैसा अपेक्षित हो) शब्द हटा दिये जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १३९, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १३९, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १४० से १४३ तक विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १४० से १४३ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ७३, पंक्ति १८ के बाद, निम्न कंडिका को इस खण्ड की उप-कंडिका के रूप में रखा जाये :

"Nothing contained in this section shall be deemed to affect the relative priorities as they existed immediately before the commencement of this Act, as between charges on the same property."

(इस धारा में निर्दिष्ट कोई बात इस अधिनियम के आरम्भ से तुरन्त पूर्व विद्यमान सापेक्ष पूर्ववर्तिताओं पर कोई भी प्रभाव डालती हुई नहीं समझी जायेगी जैसा कि एक ही सम्पत्ति के भारों के बीच होता है ।)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड १४४, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १४४, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

पैंतीसवां प्रतिवेदन

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लेंगे ।

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा २४ अगस्त, १९५५ को सभा के समक्ष उपस्थापित गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के पैंतीसवें प्रतिवेदन से सहमत है ।"

सभा से मेरी यह प्रार्थना है कि वह नियत समय के लिये इस पर चर्चा होने के प्रस्ताव को स्वीकार करे । चूंकि सरकारी कार्य में २० मिनट लगे हैं । अतः इस कार्य के लिये ग्रौर २० मिनट दिये जायें ताकि हम आज ५-२० म० प० तक इस पर चर्चा कर सकें ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी (नेल्लोर) : श्री ए० के० गोपालन का प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण है और इस के लिये दो घंटे का समय पर्याप्त नहीं होगा। वास्तव में, यदि सभा में असन्तोषजनक और अपर्याप्त चर्चा हुई तो दोनों सभाओं और अन्य जगहों में इस के सम्बन्ध में ग़लत धारणा बनेगी । अतः मैं निवेदन करता हूं कि इस के लिये कुल ४ घंटे दिये जायें ।

उपाध्यक्ष महोदय : सही है; किन्तु प्रक्रिया यह है कि प्रस्तावक प्रस्ताव रखता है और उस पर संशोधन प्रस्तुत किया जाता है । आज कोई भी संशोधन प्रस्तुत नहीं हुआ है, अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या सभा की यही इच्छा है कि संकल्प पर चर्चा के समय में वृद्धि की जाय ।

कई माननीय सदस्य : जी हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा के सभी दलों की यही राय है ?

श्री आल्तेकर : मैं जानना चाहता हूं कि किस संकल्प के लिये समय में वृद्धि की जा रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रथम संकल्प के लिये ।

श्री आल्तेकर : सभा ने पिछली बार इसे स्वीकार किया था ।

श्री के० के० वसु (डायमण्ड हार्बर) : श्रीमान्, यह नया प्रस्ताव है । इसीलिये श्री रेड्डी कहते हैं कि समय में और दो घंटे बढ़ा दिये जायें । मैं समझता हूं कि यदि और लोग सहमत हों तो ऐसा किया जा सकता है ।

श्री आल्तेकर : इसके लिये पहले ही समय नियत किया जा चुका है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : श्री आल्तेकर ठीक कह रहे हैं । सभा ने पहले ही इस प्रस्ताव को स्वीकार किया था । अब सभा को ही समय बढ़ाने का अधिकार है । समय बढ़ाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये । अध्यक्षपीठ या सभा को इस बात का अधिकार प्राप्त है ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : सभा को ही इसे बढ़ाने का अधिकार है । यों तो सभा समय में वृद्धि करना चाहती है ।

श्री ए० एम० थामस (एरणाकुलम) : चर्चा बढ़ जाने पर यदि आवश्यकता हुई तो ऐसा किया जा सकता है ।

श्री मुहीउद्दीन (हैदराबाद नगर): इसके महत्व को दृष्टि में रखते हुये मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि समय में वृद्धि की जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : तो सभा इस बात के पक्ष में है कि संशोधन को पटल पर रखने की पूर्वसूचना से सम्बद्ध नियम को निलम्बित किया जाय । नियम निलम्बित किया जाता है । अब श्री रेड्डी समय में दो घंटे की वृद्धि कराना चाहते हैं । हम इसका आधा समय अर्थात् और एक घंटा देंगे ।

श्री रघुबीर सहाय (ज़िला एटा—उत्तर-पूर्व व ज़िला बदायूं—पूर्व) : श्रीमान्, इसी के बाद मेरा संकल्प भी है ।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले संकल्प के बाद माननीय सदस्य का संकल्प आयेगा । इस संकल्प के लिये कुल तीन घंटे होंगे । उस रोज़ श्री गोपालन एक मिनट बोले थे, आज वह पूरे तीन घंटे बोलेंगे । माननीय प्रस्तावक को ३० मिनट मिलेंगे और प्रत्येक शेष सदस्य को २० मिनट । माननीय सदस्य को उत्तर देने का अधिकार होगा ।

अब प्रश्न यह है :

"कि यह सभा २४ अगस्त, १९५५ को सभा के समक्ष उपस्थित ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के पैंतीसवें प्रतिवेदन से सहमत है, परन्तु उसमें यह रूप भेद हो कि विदेशी व्यापार पर राज्य के एकाधिपत्य सम्बन्धी संकल्प पर चर्चा के लिये नियत समय में एक घंटा बड़ा दिया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

वैदेशिक व्यापार पर राज्य के एकाधिपत्य के बारे में संकल्प—जारी

श्री ए० के० गोपालन (कन्नानूर) : श्रीमान्, मेरा संकल्प है . . . . . .

श्री रघुवीर सहाय (ज़िला एटा—उत्तर-पूर्व व ज़िला बदायूं—पूर्व) : औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में । पिछली बार श्री गोपालन के संकल्प के लिये दो घण्टे का समय दिया गया था । वह उस दिन एक मिनट के लिये बोले थे, अतः अब वह एक घण्टा और ५९ मिनट तक बोलें । अगला संकल्प मेरे नाम का है—सामुदायिक परियोजनाओं के सम्बन्ध में । पिछली बैठक में इस के लिये दो घंटे और १५ मिनट नियत किये गये थे । मेरा विचार था कि श्री गोपालन के संकल्प को निपटान के बाद स्वभावतः मेरा संकल्प लिया जायगा । संयोगवश समवाय विधेयक पर और २० मिनट लगे हैं । मैं समझता हूं कि पहले का समय-नियतन ही अधिक अच्छा होगा और मेरी प्रार्थना है कि मुझे भी अवसर दिया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा माननीय सदस्य से सहमत नहीं, अतः मैं कुछ भी नहीं कर सकता । श्री गोपालन ।

श्री ए० के० गोपालन : मेरा प्रस्ताव है कि :

"इस सभा की यह राय है कि सरकार को द्वितीय पंच वर्षीय योजना को सफलता-पूर्वक कार्यान्वित करने के लिये जूट, खालें और चमड़े, नारियल, काली मिर्च, चाय, कपास, रबड़, मैंगनीज़, अभ्रक, कोयला तथा अन्य कच्ची धातुओं जैसी वस्तुओं के विदेशी व्यापार पर तुरन्त ही राज्य का एकाधिपत्य प्रवर्तित करना चाहिये ।"

१९५० में एक राज्य व्यापार समिति नियुक्त की गई थी जिसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, किन्तु उसमें आयोजन की दृष्टि से इस प्रश्न पर विचार नहीं किया गया था । आज समाजवादी ढांचे पर समाज की व्यवस्था करने के दृष्टिकोण से इस पर विचार होना चाहिये ।

अब हमारे सामने यह प्रश्न है कि क्या विदेशी व्यापार का वर्तमान रूप आयोजन से कोई मेल रखता है ? नहीं—कदापि नहीं । प्रधान मंत्री ने ठीक कहा था कि हमें विकास के हित में सामरिक महत्व की सभी वस्तुओं पर अधिकार करना चाहिये । वास्तव में हम ऐसा किये बिना सफल नहीं हो सकते ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुये]

विदेशी व्यापार का सामरिक महत्व है और इस पर आधिपत्य किये बिना हम अर्थ-व्यवस्था पर नियंत्रण नहीं कर सकते । जब तक राज्य विदेशी व्यापार (आयात और निर्यात) को नहीं हथियाता तब तक कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती ।

योजना बनाते समय हम उत्पादन और विकास का हिसाब जोड़ते हैं, अपने संसाधनों का हिसाब लगाते हैं और देखते हैं कि प्रति वर्ष कितना काम हो पाया है । किन्तु विदेशी व्यापार को पूर्णतः या अंशतः व्यक्तिगत (गैर-सरकारी) व्यापारियों के हाथों सौंप कर क्या होता है—यह आप सब समझ सकते हैं ।

इन गैर-सरकारी निर्यातक सार्थों की चालबाज़ियों से हमारी निर्यात-वस्तुओं के मूल्य हर समय घटते बढ़ते रहते हैं जिसके परिणामस्वरूप कभी ख़रीद बढ़ जाती है और कभी विक्रय बढ़ जाता है । अन्ततः यही होता है कि विदेशी व्यापार में नियोजित भारतीय वणिक पूजी सट्टे के स्तर पर उतर आती है ।

१९५१ में, कई विख्यात सार्थों ने कोरियाई युद्ध के बढ़ जाने की आशा से तिलहन, मूंगफली और अन्य निर्यात-वस्तुओं की बहुत बड़ी मात्रायें खरीदीं किन्तु १९५२ में, जब संधि की वार्तायें होने लगीं, उस सारे ज़ख़ीरे को बेचा । इस से बाज़ार में मन्दी आ गई । इसी प्रकार १९५३ में भी एक विख्यात यूरोपीय सार्थ ने काली मिर्च के बाज़ार में मन्दी पैदा की । ऐसी हरकतों से हमारी अर्थव्यवस्था पर एक ऐसा प्रभाव पड़ता है जिस से एक अव्यवस्था और अस्थिरता पैदा हो जाती है । इन से हमारे उत्पादन कार्यक्रम पर बुरा प्रभाव पड़ता है और आयोजन रद्द हो जाता है । ऐसी परिस्थितियों में उत्पादन और रोज़गार में विकास नहीं हो सकता ।

हम यह भी देखते हैं कि इन गैर-सरकारी व्यापार-सार्थों के कारण हमारे बाज़ारों में अनिश्चित रूप से तेज़ी और मन्दी आती रहती है जिस से भावों की स्थिति डांवाडोल रहती है । तो १९५२ और १९५४ में चाय के बाज़ारों में मन्दी और तेज़ी आ गई । १९५० में पटसन का भाव तेज़ था और १९५२ में वह इतना गिर गया कि बाज़ार की हालत डांवाडोल होने लगी । इस मन्दी और तेज़ी के कारण कभी कारखाने काम से भरे रहते हैं और कभी बन्द पड़े रहते हैं । व्यापार की इस मन्दी-तेज़ी या ज्वार-भाटे से हमारे उत्पादक कार्यक्रम प्रायः बिगड़ जाते हैं और अर्थव्यवस्था में एक धांधली पैदा हो जाती है । योजना वाले देशों में ऐसा नहीं होता । मैं इस बात से भी सहमत नहीं कि विदेशी बाज़ारों पर हमारा अधिकार नहीं हो सकता और स्वभावतः हमारी निर्यात-वस्तुओं को मन्दी या तेज़ी का सामना करना पड़ेगा ।

प्रथम, यदि व्यापार पर राज्य का आधिपत्य हो तो विदेशों में स्थित हमारे वाणिज्य-दूतावासों से हमारे उत्पादन के लिये बाज़ार की व्यवस्था हो सकती है ।

दूसरे, सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य अन्य देशों के साथ दीर्घकालीन वस्तु विनिमय व्यवस्था कर सकता है जब कि गैर-सरकारी व्यापार सार्थ ऐसा नहीं कर सकते । उदाहरणतः, १९५४ में तम्बाकू में मन्दी आई हुई थी । सरकार ने चीन के साथ एक व्यापार क़रार किया जिस के अनुसार चीन हमारा तम्बाकू ख़रीदने पर राज़ी हुआ । इस प्रकार मन्दी के कारण नुक़सान होने का ख़तरा हमारे देश पर से टला था । किन्तु हमारे तम्बाकू के व्यापारी इस बात का वादा नहीं कर सके कि वे इसी प्रकार और

[श्री ए० के० गोपालन]

इसी क़िस्म का तम्बाकू प्रति वर्ष उन्हें दे भी सकेंगे । इस सम्बन्ध में पहली बात यह है कि कम से कम प्रमुख वस्तुओं का आयात निर्यात को सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिये जिससे कि निर्यात के मूल्यों के उतार चढ़ाव पर नियंत्रण किया जा सके, अन्य देशों के साथ दीर्घकालीन व्यवस्थायें की जा सकें और हमारी अर्थव्यवस्था में स्थायित्व उत्पन्न किया जा सके । हमारे तम्बाकू के व्यापारी इस बात का वचन देने में असमर्थ थे कि वे हर साल एक ही प्रकार के तम्बाकू का संभरण कर सकेंगे । व्यापारी वर्ग सदा भाव बढ़ जाने की राह देखता रहता है । इसलिये वे या तो स्वयं अपने देश का उत्पादन बढ़ाते हैं या ऐसे अन्य देशों के साथ समझौता करते हैं, जहां से उन को यह वस्तुयें मिल सकती हैं । सरकारी व्यापार और व्यक्तिगत व्यापार में अन्तर यह है कि सरकार देश के दीर्घकालीन हितों का ध्यान रखेगी और व्यक्तिगत व्यापारी केवल अपने लाभ का ध्यान रखेंगे ।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने कम विकसित देशों के सम्बन्ध में अनेक समितियां नियुक्त की थीं । इन में से प्रत्येक समिति का यह मत था कि निर्यात मूल्यों के उतार चढ़ाव पर नियंत्रण रखने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु क़रार किये जाने आवश्यक थे । परन्तु अभी तक कोई क़रार नहीं किये गये हैं । प्रमुख पूंजीवादी देश होने के नाते संयुक्त राज्य कुछ क़रार करने को उत्सुक था । परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु सम्मेलन में यह स्पष्ट हो गया कि बिना किसी दीर्घकालीन क़रार के आयात निर्यात व्यापार सफल नहीं हो सकता है । और यह क़रार सरकारी स्तर पर व्यापार किये बिना नहीं हो सकता है । अतः जब तक निर्यात और आयात व्यापार राज्य के हाथ में नहीं होगा इस प्रकार की व्यवस्था करना और मूल्यों के उतार चढ़ाव को रोकना कठिन है ।

दूसरी बात यह है कि हमारी योजना के वित्तीय साधनों में अभिवृद्धि करने के लिये भी यह आवश्यक है कि सरकार प्रमुख वस्तुओं का विदेशी व्यापार अपने हाथ में ले ।

राज्य द्वारा आयात निर्यात व्यापार किये जाने पर मूल्यों में होने वाले उतार चढ़ाव कम हो जायेंगे और कृषकों को लाभ होगा ।

डा० पी० जे० थामस के अनुसार गत वर्ष त्रावनकोर-कोचीन में काली मिर्च, काजू तथा अन्य वस्तुओं के मूल्यों में हुये उतार चढ़ाव के कारण ६० करोड़ रुपये की राष्ट्रीय आय की हानि हुई थी । किसानों की आय तथा देश की अर्थव्यवस्था पर इस का बढ़ा ख़राब प्रभाव पड़ता है । यदि राज्य आयात निर्यात को अपने हाथ में ले ले तो इसे भी रोका जा सकता है ।

आंग्ल-अमरीकी बाज़ारों पर निर्भरता हमारे विदेशी व्यापार का सब से बड़ा दोष है । यह सत्य है कि कुछ दिनों से हमने अपने व्यापार को अन्य देशों में फैलाने के प्रयत्न किये हैं परन्तु हमें इन प्रयत्नों में सफलता नहीं मिली है । हमारी सब से बड़ी भूल यह है कि हम अपना माल सब से पहले इंगलैंड और अमरीका को बेचने की चेष्टा करते हैं और बाद को अन्य देशों की बात सोचते हैं । यह इस कारण होता है कि विनिमय बैंकों से वित्त पोषित होने के कारण इंगलैंड के व्यापार साथों ने भारत में अपना आधिपत्य जमा लिया है । इसलिये हमारे व्यापारी सब से पहले ब्रिटेन और अमरीका में अपना माल बेचने की कोशिश करते हैं और जब वे समझ लेते हैं कि इंगलैंड और अमरीका में उनका माल नहीं खप सकता है तब वे अन्य बाज़ारों

की ओर ध्यान देते हैं । यह आयोजन के विरुद्ध है ।

इस के अतिरिक्त जिन को हम पुराने आयात व्यापारी कहते हैं वह वे लोग हैं जो १९४७ के पहले अनन्य रुप से ब्रिटेन के साथ व्यापार किया करते थे । अमरीका की अपेक्षा ब्रिटेन के निर्यात समवायों के साथ उनके सम्बन्ध अधिक सुदृढ़ हैं । इसलिये चाहे पूंजी वस्तुओं का व्यापार हो या उपभोक्ता वस्तुओं का हो अन्य देशों के लिये इस शृंखला में प्रवेश करना कठिन है । हमारे इन निजी व्यापारियों के कारण जिन देशों से साधारणतया हम आयात नहीं करते हैं उन के हाथ यदि हम अपना माल बेचना भी चाहें तो भी वे ख़रीद नहीं सकते हैं ।

अब लाभ को लीजिये । गैर-सरकारी तौर पर यह अनुमान किया गया है कि आयात निर्यात व्यापार से हमारे सार्थों को प्रति वर्ष १८५ करोड़ रुपये का लाभ होता है । संसद् के गवेषणा विभाग से हमने पता लगाने का प्रयत्न किया था कि आयात निर्यात व्यापार करने वाले प्रमुख समवाय कौन कौन से हैं कितने हैं और उन को कितना लाभ होता है, परन्तु हमें बताया गया कि इस जानकारी तक उन की पहुंच नहीं है और यदि वाणिज्य मंत्रालय चाहे तो यह आंकड़े दे सकता है । अतः हम यह सूचना ज्ञात करने में असमर्थ रहे हैं । फिर भी, अनुमान किया जाता है कि आयात और निर्यात दोनों में से प्रत्येक व्यापार लगभग ६०० करोड़ रुपये का होता है । यदि दस प्रतिशत लाभ का भी अनुमान किया जाये तो कुल लाभ लगभग १२० करोड़ रुपये होता है । जिन वस्तुओं का हम ने उल्लेख किया है उन से १०० करोड़ रुपये के लगभग लाभ होता है । पांच वर्ष में इस प्रकार हम ५०० करोड़ रुपये की आय प्राप्त कर सकते हैं । द्वितीय पंच वर्षीय योजना के संसाधनों में अभिवृद्धि करने के लिये आप गरीबी के उपभोग की वस्तुओं पर कर लगाना चाहते हैं, इस से अच्छा तो यह है कि यह तरीक़ा काम में लाया जाये । सरकार कम से कम कुछ वस्तुओं के व्यापार के सम्बन्ध में एकाधिकार प्राप्त करे ।

राज्य द्वारा व्यापार कोई कम्युनिस्ट देशों की ही विशेषता नहीं है । राज्य व्यापार सम्बन्धी समिति ने भी अपने प्रतिवेदन में कहा है कि इस प्रकार का व्यापार आज संसद् में सर्वत्र बढ़ रहा है । ब्रिटेन की यूनाइटेड किंगडम कमर्शियल कार्पोरेशन, आस्ट्रेलिया और कनाडा के स्वीट बोर्ड, अमरीका के कमोडिटी ट्रेडिंग कार्पोरेशन, तथा रिकन्स्ट्रक्शन फाइनैन्स कार्पोरेशन तथा आर्जेन्टाइन के आई० ए० पी० ए० इसी राज्य व्यापार प्रणाली के उदाहरण हैं । इसलिये हम यह भी नहीं कह सकते हैं कि ऐसा करने से अन्य देश हम से रुष्ट हो जायेंगे ।

अब मैं यह बताऊंगा कि किस प्रकार इन वस्तुओं का व्यापार मुख्यतया इंगलैंड और अमरीका के हाथ में रहा है । १९५४ में मैंगनीज़ का मूल्य एक दम से गिर कर १५० रुपये से ७० रुपये हो गया था । इस के परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश, बिहार और उडीसा की सैकड़ों खानों में काम बन्द हो गया और इसका कारण यह था कि हम इंगलैंड और अमरीका पर निर्भर थे कुल निर्यात का आधा भाग युद्ध की तैयारी करने के लिये केवल अमरीका क्रय करता था । इस उद्योग ने मनमाना लाभ कमाया, परन्तु अब अमरीका का इस्पात उद्योग ब्राज़ील के मैंगनीज़ निक्षेपों का विकास कर रहा है—और इसी से मूल्यों में गिरावट आई है । यदि सरकार पश्चिमी यूरोप के देशों से बातचीत करे तो शायद वह दीर्घकालीन क़रारों के आधार पर मैंगनीज़ को लेने पर राज़ी हो जायें ।

[श्री ए० के० गोपालन]

सारे संसार में अभ्रक का जितना उत्पादन होता है उसका ८० प्रतिशत भारत में होता है। अमरीका के बाज़ार हमारे उत्पादन का ८५ प्रतिशत अभ्रक क्रय करते हैं। हमारी असहाय अवस्था का लाभ उठाकर वे हमें अपनी इच्छानुसार मूल्य देते हैं क्योंकि इस का व्यापार व्यक्तिगत व्यापारियों के हाथ में है और उन की परस्पर प्रतियोगिता का वे मनमाना लाभ उठाते हैं। यदि इस में राज्य व्यापार चालू किया जाये तो सरकार को राजस्व की प्राप्ति के साथ साथ लाखों मज़दूरों को रोज़गार भी मिलेगा।

हमारे देश के तम्बाकू के व्यापार में भी विदेशी समवायों का आधिपत्य है। स्वयं उन्हीं के प्रतिवेदनों के अनुसार उन का शुद्ध लाभ १९५० में ९० लाख रुपये, १९५१ में १६४ लाख रुपये, १९५२ में २३८ लाख रुपये, १९५३ में ५६ लाख रुपये तथा १९५४ में १५५ लाख रुपये था।

मूंगफली के निर्यात व्यापार के राष्ट्रीयकरण से न केवल राज्य को राजस्व की प्राप्ति होगी वरन् किसान की आय को भी गिरने से रोका जा सकेगा। लोकसभा में पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर के अनुसार जब कि जुलाई १९५५ में मूंगफली के तेल की खली का भाव यहां १६० और १६५ रुपये प्रति टन के बीच था उसी समय लंदन के बाज़ार का भाव ५०७ से लेकर ५२० रुपये प्रति टन था। इस से पता चलता है कि वोल्कर्ट ब्रादर्स और रैलीज़ जैसे विदेशी समवाय कैसे भारी भारी लाभ उठा रहे हैं।

यही हाल चपड़ा, लाख, पटसन तथा अन्य निर्यात वस्तुओं का है। मूल्यों के उतार चढ़ाव का यह हाल है कि १९५१ में काली मिर्च का न्यूनतम भाव ५०८ रुपये था जब कि १९५५ का अधिकतम भाव २०७ रुपये था। इसी प्रकार नारियल के तेल का वही २१ रुपये का भाव १९४१ में न्यूनतम था और १९५५ में अधिकतम है। मूल्यों में इतना उतार चढ़ाव होता रहता है।

इसलिये मैं सिफारिश करता हूं कि इस संकल्प को स्वीकार किया जाये। इस से हमारे देश की अर्थव्यवस्था स्थायी बनेगी और हम को अपने देश के विकास के लिये करोड़ों रुपये प्राप्त होंगे।

सभापति महोदय द्वारा संकल्प प्रस्तुत किया गया।

श्री रामचन्द्र रेड्डी (नेल्लोर), श्री वी० पी० नायर (चिरयिन्कील), श्री बोगावत (अहमदनगर—दक्षिण) तथा श्री शिवमूर्ति स्वामी (कुष्टगी) ने अपने अपने संशोधन प्रस्तुत किये।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन प्रस्तुत किये गये।

श्री रघुरामैया (तेनालि) : राज्य व्यापार के पक्ष में मैं भी हूं परन्तु इस का अर्थ यह नहीं है कि मैं श्री गोपालन के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। पंचवर्षीय योजना को हम सभी सफल बनाना चाहते हैं। परन्तु प्रश्न यह है कि उसके लिये रुपया कहां से आये और क्या जिस तरीक़े का सुझाव श्री ए० के० गोपालन ने दिया है वह ठीक है। व्यापार में हानि और लाभ दोनों ही होते हैं। इस में जोखिम उठाना पड़ता है, मूल्य घटते बढ़ते हैं। यदि हानि हुई तो सरकार क्या करेगी? लोक लेखा समिति तो सरकार के लत्ते ले डालगी। राज्य व्यापार कोई नई चीज़ नहीं है। १९५० में इस के लिये एक समिति नियुक्त की गई थी। उस राज्य व्यापार समिति ने जो सिफारिश की है उसके अनुसार इस राज्य व्यापार का क्षेत्र बहुत सीमित होना चाहिये। राजस्व एकत्रित

करने के लिये राज्य व्यापार का प्रयोग किया जाये ऐसा कोई सुझाव समिति ने नहीं दिया है ।

इंगलैंड की सरकार ने कच्ची रूई का व्यापार अपने हाथ में लिया था । अन्त में उसके सामने यह समस्या आई कि ग़लत दामों पर गलत स्टाक ख़रीद लिये गये थे । इसलिये उस को अपनी नीति बदलनी पड़ी ।

हमें भी अपने देश में खाद्यान्नों के राज्य व्यापार का कुछ अनुभव है । यह हम मानते हैं कि कम मूल्य पर लोगों को खाद्यान्न देना सरकार का कर्तव्य था और इसलिये इस में जो भी हानि हुई वह क्षम्य है । परन्तु तो भी बीस वर्ष से कम की अवधि में हमारी सरकार को इस व्यापार में २७७ करोड़ रुपये का घाटा हुआ है । क्या सरकार इतनी हानि उठा सकती है ? खाद्यान्नों की बात और थी क्योंकि दूसरी ओर हमारी जनता के सामने भुखमरी मुंह बनाये खड़ी थी । परन्तु क्या अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में हम यह जोखिम उठा सकते हैं ?

श्री ए० के० गोपालन ने बताया है कि किन्हीं वस्तुओं के व्यापार में भारी भारी लाभ उठाये जा रहे हैं । जब सरकार इस काम को अपने हाथ में लेगी तब क्या हम सरकार के इतना लाभ उठाने पर आपत्ति नहीं करेंगे । कंट्रोल के ज़माने में जूट के व्यापार में व्यापारियों को पांच प्रतिशत लाभ उठाने की अनुमति दी गई थी । उस समय कितने ही सदस्यों ने इस बात पर आपत्ति उठाई थी । वास्तव में हम स्वयं इस के पक्ष में नहीं हैं कि जब सरकार उपभोक्ता वस्तुओं का संभरण करे तो उन से लाभ भी कमाये ।

एक और प्रश्न यह है कि इस से बेकारी भी बढ़ जायेगी । व्यापारी वर्ग जिसकी संख्या लाखों में है एक दम बेकार हो जायेगा यदि सरकार इस काम को अपने हाथ में लेगी तो सरकार ज्यादा से ज्यादा सौ व्यक्तियों को सेवायुक्त करेगी जब कि अभी एक व्यक्तिगत व्यापारी समवाय पचास साठ हज़ार व्यक्तियों को सेवायुक्त किये हुये हैं । अतः ऐसा करने से बेकारी भी बहुत बढ़ जायेगी ।

बिना सोचे समझे राज्य हर वस्तु का व्यापार करने लगे मैं इसके पक्ष में नही हूं और न मैं इस के पक्ष में हूं कि उन देशों के साथ राज्य-व्यापार किया जाये जहां व्यापार की स्वतन्त्रता है और कोई एकाधिकार नहीं है । किसी वस्तु को सस्ते से सस्ते मूल्य पर खरीदने और अधिक से अधिक मूल्य पर बेचने का कार्य किसी सरकारी विभाग पर नहीं छोड़ा जा सकता है । मैं एक उदारहण जानता हूं जिस में कि एक अफ़सर ने यह न जानने के कारण कि जिस वस्तु का उसे सौदा करना है वह ११ रुपये प्रति एकाई मिल सकती है १७ रुपये ८ आने प्रति इकाई पर उसका सौदा पक्का कर लिया था । वास्तव में सरकार के पास न तो वैसा संगठन है और न वैसे कर्मचारी ही हैं जो व्यापार के काम को संभाल सकें ।

परन्तू अपने तम्बाकू के व्यापार के अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि राज्य व्यापार कहीं कहीं बहुत ही आवश्यक है । तीन वर्ष पहले की बात है जब कि तम्बाकू का निर्यात बाज़ार लगभग समाप्त हो गया था । वर्जीनिया तम्बाकू उगाने वाले आन्ध्र क्षेत्र में करोड़ों रुपये के स्टाक जमा हो गया थे । जनता बहुत परेशान थी । उस समय वाणिज्य मंत्रालय ने यह प्रश्न अपने हाथ में लिया और एक शिष्टमण्डल चीन को भेजा । मैं भी उस दल के साथ गया था । परन्तु वहां मुझे ज्ञात कर के आश्चर्य हुआ कि जब कि मैं वहां चार आने पौंड के दाम बता रहा था तो कुछ व्यापारी चीन की सरकार को तार भेज रहे थे कि वे दो से लेकर

[श्री रघुरामैया]

ढाई आने प्रति पौंड के मूल्य पर सौदा करने को तैयार थे । इस प्रकार की अंधाधुंध प्रतियोगिता से सारा व्यापार चौपट हो जाता है । आखरी सौदे में चीन की सरकार चार आने पौंड पर सौदा पक्का करने को तैयार हो रही थी कि यकायक चीन का एक प्रतिनिधि गुंतूर गया और उसने तीन आना एक पाई प्रति पौंड पर सौदा पक्का कर लिया । न केवल चीन में वरन् जापान और थाईलैण्ड में भी तम्बाकू के व्यापार पर राज्य का एकाधिकार है। इसी प्रकार कम्यूनिस्ट देशों में तथा अधिकांश पूर्व यूरोपीय देशों में तम्बाकू का व्यापार पूर्ण रूप से सरकार के हाथ में है ।

जहां तक तम्बाकू का सम्बन्ध है, कई देशों में इस पर सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी संगठनों को एकाधिकार प्राप्त है किन्तु यहां पर तम्बाकू का व्यापार दो तीन हज़ार लोगों के हाथों में हैं जो कि सदैव एक दूसरे का गला काटते रहते हैं । हमारे देश में भी अन्य देशों की भांति एक सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी निकाय होनी चाहिये जो कि तम्बाकू के व्यापार को सम्हाले । तम्बाकू का जो सौदा हुआ था इस के लिये भी मैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को बधाई देना चाहता हूं । यद्यपि मैं इस संकल्प का विरोधी हूं तथा मैं प्रत्येक वस्तु में राज्य व्यापार का पक्षपाती नहीं हूं, तथापि मेरा विचार यह है कि तम्बाकू के मामले में एक सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी निकाय होनी चाहिये । जिस प्रतिनिधिमंडल का मैं नेता था, वास्तव में उसकी सिफारिश भी यही थी कि ऐसे निकाय में तम्बाकू उत्पादकों का प्रतिनिधित्व भी होना चाहिये । मैं चाहता हूं कि सरकार इस बात पर ध्यान दे । यद्यपि मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं फिर भी मैं यह चाहता हूं कि सरकार इन बातों पर अवश्य ध्यान दे ।

श्री **जी० डी० सोमानी** (नागौर-पाली): मैं माननीय मित्र श्री गोपालन के संकल्प के सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाहता हूं । माननीय मित्र गोपालन का कहना है कि आज कल के प्रतियोगिता के काल में राज्य व्यापार से द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सहायता मिलेगी । मेरे विचार के अनुसार इसका फल उलटा होगा । सम्भव है कि इस से कई दिशाओं में गड़बड़ हो जाये ।

आज की परिस्थितियों में हम सब को ज्ञात है कि सार्वजनिक क्षेत्र कितना बढ़ रहा है और औद्योगिक विकास का महान् कार्य उस क्षेत्र के ज़िम्मे है—तीन इस्पात के बड़े बड़े कारखाने लगाये जाने हैं और हम जानते हैं कि अपेक्षित स्तर के प्रशासनिक तथा प्रविधिक कर्मचारियों का प्रायः अभाव है । इन परिस्थितियों में यह बात कहना कि राज्य व्यापार आरम्भ किया जाये, उचित नहीं है—इस से हमें बचना ही चाहिये ।

कलकत्ता नियोजक संस्था द्वारा तैयार की गई एक पुस्तिका मेरे पास है जिसमें उसने १९४३–४४ से १९५३–५४ तक के राज्य व्यापार का विश्लेषण किया है । उस संस्था ने राज्य व्यापार के ख़तरे बताये हैं और साथ ही आंकड़े भी दिये हैं । केवल ब्रह्मा के साथ हुये सौदे में ही ३० करोड़ का घाटा रहा । अन्त में यह बताया गया है कि १० वर्ष की अवधि में राज्य व्यापार से देश को २७७ करोड़ रुपये की हानि हुई है । राज्य व्यापार को उस समय अपनाया गया था जब कि देश में खाद्यान्नों की अत्यन्त कमी थी और व्यापार के विनियमित किये जाने की अधिकतम आवश्यकता थी ताकि देश को लाभ हो । उस विश्लेषण का निष्कर्ष यह है कि खाद्यान्नों में राज्य व्यापार के परिणाम

हतोत्साही रहे हैं। उपभोक्ता यह नहीं कह सकता कि उसे ठीक दाम पर अच्छे गेहूं मिलें और केन्द्रीय सरकार भी यह नहीं कह सकती कि विदेशों में ठीक दरों पर गेहूं मिला है और न ही राज्य सरकारें यह दावा कर सकती हैं कि उन्होंने समस्त खाद्यान्नों का समाहार किया ताकि अनावश्यक आयात न हो सके। इस सम्बन्ध में हमारा यह दुखद अनुभव है। ऐसी स्थिति में भला यह कैसे कहा जा सकता है कि राज्य व्यापार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सरकार का सहायक रहेगा। यह तो हमारा अनुभव रहा है उस समय का जब कि खाद्यान्नों की देश में बहुत ज्यादा कमी थी—किन्तु यदि अब प्रतियोगिता के समय में राज्य व्यापार की नीति हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिये अत्यन्त हानिकारक होगी। इसी प्रकार से हमें रूई के क्रय के बारे में भी यही अनुभव हुआ है। ऐसा व्यापार सीमित अवधि के लिये तो ठीक हो सकता है किन्तु दीर्घकालीन अवधि के लिये यह अनुचित है। देश के आयात तथा निर्यात व्यापार को सम्हालना किसी भी राजकीय संगठन के लिये सम्भव नहीं हो सकेगा। इस काम के लिये बड़े योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता है तथा इस काम को केवल वही कर सकते हैं जो इस व्यापार से पूर्णतया परिचित हैं। कीमतें बढ़ती घटती रहती हैं। यदि इस दिशा में भी सरकार ऐसे व्यक्तियों का स्थान ले जो कि इस कार्य को योग्यता से कर सकते हैं, तो देश को बहुत अधिक नुक़सान होगा। एक ओर तो सरकार के पास द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अभिपूर्ति के लिये उपयुक्त व्यक्ति नहीं हैं इसलिये यह कहना ठीक ही होगा कि राज्य व्यापार से और भी उलझनें उत्पन्न की जायें।

इस समय कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जिस से कि ग़ैर-सरकारी क्षेत्र में सरकार का अतिक्रमण न्याय्य सिद्ध किया जा सके। इसके परिणाम खराब ही निकलेंगे। मुझे एक और घटना याद आती है—एक बार सरकार ने जापान से कुछ कपड़ा खरीदा था और उसमें भी यही हालत हुई थी और वह समय वह था जब कि इन वस्तुओं की देश में अत्यधिक कमी थी। यदि हमारा पहला अनुभव यह रहा है तो यह बात कैसे हो सकती है कि अब राज्य व्यापार से हमें लाभ होगा। आजकल प्रतियोगिता के विकास का काल है—हमें व्यापारियों तथा प्रतियोगियों को पूरी पूरी सहायता देनी चाहिये—राज्य व्यापार की नीति ख़तरों तथा उलझनों से भरी हुई है।

श्री ए० एम० थामस: राज्य व्यापार के मामले पर १९४९ से बहुत पहले से, अर्थात् जब से इस प्रश्न पर विचार करने के लिये समिति बनाई गई थी, विचार होता आ रहा है। इस मामले पर प्रत्येक विषय में अलग अलग दृष्टिकोण से विचार करना आवश्यक है।

योजना के प्रारूप में यह लिखा है कि समाज के सामाजिक ढांचे के निर्माण के लिये यह आवश्यक है कि सार्वजनकि क्षेत्र को शीघ्रसे शीघ्र दृढ़ बनाया जाये। अर्थ-शास्त्रियों द्वारा दिया गया ज्ञापन भी इसी बात का समर्थन करता है। जहां तक मेरा सम्बन्ध है यह विषय मेरे लिये एक विशेष महत्व का है क्योंकि अगस्त, १३ के "हिन्दू" में मैं ने पढ़ा है कि त्रिवेन्द्रम में मुख्य मंत्री ने कहा है कि उन्होंने संघ सरकार को यह प्रस्थापना भेजी है कि त्रावनकोर-कोचीन में राज्य की कृषि तथा व्यापारिक महत्व की वस्तुओं के निर्यात के लिये एक राज्य व्यापार निगम स्थापित किया जाये—उन्होंने यह भी कहा है कि वह निगम मद्रास सरकार की सहायता से चलाया जायेगा और एक मूल्य स्थायीकरण विधि भी बनाई जायेगी। मैं माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री से इस

[श्री ए० एम० थामस]

सम्बन्ध में उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं ।

मैं यहां यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं श्री गोपालन के संकल्प का, जिस रूप में कि वह है, समर्थन नहीं कर सकता ।

हमारा देश एक लोकतन्त्रात्मक देश है और राज्य व्यापार के सम्बन्ध में तो किसी अधिकेन्द्रित राज्य में ही कहा जा सकता है । चीन में भी यह तरीक़ा अपनाया गया था । चीन के प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तुत १९५४ के प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि वहां के राज्य व्यापार के विभाग अभी ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं । जब चीन में हालत ऐसी है तो हमारे लोकतन्त्रात्मक देश में इस योजना से क्या परिणाम निकलेंगे यह हमें सोचना आवश्यक है ।

आज ही हमने वाणिज्य और उद्योग मंत्री से इसी सम्बन्ध में सुना कि उन्हें इस्पात संयंत्रों के लिये योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहे हैं इसलिये इस कार्य में भी योग्य व्यक्तियों के न मिलने का प्रश्न उत्पन्न हो सकता है । इसलिये हमें सोचना पड़ेगा कि हम अपनी नीति में इतना क्रान्तिकारी परिवर्तन करें अथवा न करें ।

श्री गोपालन द्वारा यह दलील दी गई है कि राज्य व्यापार से जो लाभ होगा उसे योजना की अभिपूर्ति में लगाया जा सकता है । यह ठीक है किन्तु जिन वस्तुओं का राज्य व्यापार श्री गोपालन चाहते हैं उनकी क़ीमतों में इतनी तेज़ी से कमी बेशी होती रहती है कि यह बात स्वयं ही इस राज्य व्यापार की प्रस्थापना के विरुद्ध जाती है । हम करदाताओं के धन से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं । जहां तक रुपये का सम्बन्ध है, अधिक लाभ उठाने वाले उद्योगपतियों से रुपया लेने के और भी तरीक़े हैं । निर्यात तथा आयात शुल्क आदि को बढ़ा कर राज्य को और भी लाभ हो सकता ह । इसलिय मेरा विचार है कि राज्य व्यापार को केवल योजना की अभिपूर्ति के लिये धन उपलब्ध कराने के आधार पर ही प्रारम्भ नहीं किया जा सकता है ।

मैं सभा से प्रार्थना करूंगा कि हमारे व्यापार के कुछ पहलुओं पर विचार किया जाये । पहले तो हमारा अधिक व्यापार ऐसे ही देशों से है जिनमें राज्य व्यापार नहीं है । श्री रघुरामैया ने जिस पुस्तिका की ओर निर्देश किया है उससे ज्ञात होता है कि रूस, चीन आदि देशों से हमारा व्यापार केवल ४·१ प्रतिशत है और राष्ट्रमंडलीय देशों तथा पाकिस्तान के साथ ७१·६ प्रतिशत है । क्या हम इस अनुपात में शीघ्र कोई परिवर्तन कर सकते हैं ? राज्य के इस क्षेत्र में आ जाने से विनिमय अर्जन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । यदि सरकार इस कार्य में हस्तक्षेप करे तो क्या इसका प्रभाव ठीक पड़ेगा—मेरे विचार में हमें इस समय ऐसे अनिश्चित कार्य को नहीं करना चाहिये । हमें इस सम्बन्ध में विदेशी ग्राहकों की मनः-स्थिति का भी ध्यान रखना है ।

दूसरी बात यह है कि जिन भी वस्तुओं का श्री गोपालन ने निर्देश किया है, उन में से किसी में भी हमारे देश का एकाधिकार नहीं है अर्थात् केवल हम ही उन वस्तुओं के एकमात्र उपत्पादक नहीं हैं । इस कारण से भी हमारे देश के लिये ऐसा करना उचित नहीं होगा ।

इस सम्बन्ध में, मैं कराधान जांच आयोग की सिफ़ारिशों के बारे में भी कहूंगा । हमें पता ही है कि कराधान जांच आयोग ने बड़े प्रगतिवादी दृष्टिकोण से काम किया है और अपने सामने समाज के समाजवादी ढांचे

के लक्ष्य को रखा है । उस ने राज्य व्यापार समिति का उल्लेख करने के बाद लिखा है कि राज्य व्यापार से अल्प-काल में कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकते हैं । इसके लिये उपयुक्त तथा विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता है । साथ ही राज्य व्यापार उस समय आरम्भ करना चाहिये जब कि क़ीमतें बढ़ रही हों—इस समय इसका क्षेत्र सीमित है ।

इसका दूसरा पहलू देश के आन्तरिक व्यापार से सम्बन्ध रखता है । खाद्य संकट के समय खाद्यान्नों आदि में राज्य व्यापार की व्यवस्था की गई थी उसे 'न लाभ न हानि' के आधार पर चलाया गया था । यह योजना थोड़े समय के लिये थी । अतः हमें प्रत्येक वस्तु को इसके गुणों अवगुणों के अनसार देखना है ।

माननीय मित्र ने जिन वस्तुओं का निर्देश किया है उनमें से पटसन ही को ले लिया जाये । आज इस वस्तु के सम्बन्ध में हमारी स्थिति ठीक नहीं है । अपने विदेशी व्यापार को बनाये रखने के लिये हमें इस पर से निर्यात शुल्क तक हटा लेना पड़ा है । ऐसी अवस्था में इस का व्यापार राज्य द्वारा किया जाना वांछनीय नहीं होगा ।

इसके बाद मैं माननीय मंत्री के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कई अन्य वस्तुओं में राज्य व्यापार की वांछनीयता पर विचार किया जा सकता है जैसे कि काजू, अदरक, काली मिर्च आदि । इन वस्तुओं में कतिपय लाभ है । इन वस्तुओं के व्यापार का केन्द्र कोचीन है । इनका विपणन भी आसान है क्योंकि इस विषय में केवल दो ही राज्य सम्बन्धित हैं । इसके साथ ही विख्यात व्यापार अभिकरण हैं जिन्हें बड़ी सरलता से राज्य अभिकरण बनाया जा सकता है । दूसरे पर्याप्त मात्रा तक इन वस्तुओं में हमारा एकाधिकार भी है । सरकार ने इन वस्तुओं के लिये एक निर्यात संवर्द्धन परिषद् बनाई है । सब से बड़ी विशेषता तो यह है कि ये वस्तुयें जल्दी खराब नहीं होती हैं । इसलिये राज्य व्यापार के प्रश्न पर चर्चा करते समय इन सब बातों पर विचार किया जा सकता है ।

जहां तक काजू का सम्बन्ध है उसमें तो राज्य व्यापार होना आवश्यक है क्योंकि हमारे पास वास्तव में उसका एकाधिकार है । इसका राजकीय स्तर पर निर्यात तथा आयात करना उचित होगा ।

श्री एल० एन० मिश्र (दरभंगा व भागलपुर) : पहले मैं श्री गोपालन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने संकल्प के द्वारा सभा को राज्य व्यापार के विषय पर चर्चा करने का अवसर दिया । संसद् को आज तक इस प्रश्न पर विचार करने का अवसर नहीं मिला था । प्रथम पंचवर्षीय योजना में राज्य व्यापार को उचित स्थान नहीं मिला था । दूसरी योजना में इसे स्थान मिल जाने की आशा है । प्रोफ़ेसर महलोनविस ने भी इस ओर निर्देश किया है । इसलिये मुझे आशा है कि इस प्रश्न पर समुचित विचार किया जायेगा ।

मैं सैद्धान्तिक व्यक्ति तो नहीं हूं—किन्य कुछ वस्तुओं का राज्य व्यापार लोगों को सुअवसर प्रदान कर सकता है, विशेषतया कृषकों में यह भावना बन सकती है कि उनके साथ न्याय हो रहा है ।

थोड़ी देर पहले श्री ए० एम० थामस पटसन के राज्य व्यापार का विरोध कर रहे थे । मैं तीन वर्ष से पटसन का राज्य व्यापार किये जाने की मांग करता आ रहा हूं । बाणिज्य और उद्योग मंत्री भी मझ से सहमत हैं किन्तु वह कहते हैं कि कर्मचारियों की

[श्री एल० एन० मिश्र]

कमी है । मैं स्वीकार करता हूं कि कर्मचारियों की कमी है । और मैं यह भी मानता हूं कि इस में कुछ जोखिम अवश्य है, परन्तु मेरा प्रश्न है कि अन्य सरकारी उपक्रमों की क्या अवस्था है । मैं ने अधिकांश की रिपोर्टें पढ़ी हैं और मैं कह सकता हूं कि रेलवे तथा संचार मंत्रालयों द्वारा चलाये जा रहे कुछ उपक्रमों के अतिरिक्त अन्य सभी उपक्रम राज्य को लाभ के बदले हानि दे रहे हैं । हमने विदेशी सार्थों से क़रार किये हैं और उन का परिपालन नहीं हो रहा है और इस प्रकार सार्वजनकि धन का नाश हो रहा है । क्या इन सब को बन्द कर दिया जाये ? क्या हम इन को बन्द करके सार्वजनकि क्षेत्र को संकुचित कर दें ? यदि हम समाज के समाजवादी गठन में विश्वास करते हैं तो हमें राज्य उपक्रमों को रखना ही नहीं पड़ेगा अपितु उनका क्षेत्र भी बढ़ाना पड़ेगा । हमारी सेवाओं में ऐसे व्यक्ति हैं जो व्यापारी वर्ग से योग्यता में किसी प्रकार भी हीन नहीं हैं । समुचित शक्तियां न होने के कारण उन में उपक्रम की कमी है, उन में आत्म विश्वास नहीं है, वह शीघ्र निर्णय करने में असमर्थ हैं । अतः उनको अधिकार दिये जाने चाहियें । मैं यह नहीं कहता कि सभी वस्तुओं के सम्बन्ध में राज्य उपक्रम चालू किये जायें, परन्तु कुछ के सम्बन्ध में अवश्य किये जाने चाहियें । पहले खाद्यान्न सरकारी उपक्रम के अन्तर्गत थे आज भी इस्पात ऐसी ही वस्तु है । उर्वरकों का उत्पादन राज्य उपक्रम के रूप में किया जा रहा है । अतः इस प्रश्न को स्थगित कर देने का क्या कारण है ?

मेरे मित्रों ने राज्य व्यापर समिति के प्रतिवेदन का निर्देश किया है । उक्त प्रतिवेदन बहुत ही अनुत्साहक है । मेरा निवेदन है कि सभा इस प्रश्न पर फिर से विचार करे ।

कोई ६ मास पूर्व माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने यह बताया था कि राज्य व्यापार के प्रश्न की जांच करने के लिये कोई सरकारी समिति नियुक्त की गई थी । मैं जानना चाहता हूं कि उसने क्या सिफ़ारिशें की हैं ।

जहां तक जूट का सम्बन्ध है कभी इस में तेज़ी आती है और कभी मन्दी आती है । यह तेज़ी और मन्दी विदेशी मांग पर निर्भर होती है । जूट के लिये निर्यातकों ने स्थिति से मनमाना लाभ उठाया है । इस के द्वारा अत्यधिक मूल्य लिये जाने के कारण ही हमें अपने विदेशी बाज़ारों से हाथ धोना पड़ा है । मंत्रालय ने लोगों को कुछ व्यापार मंडल भेजने को राज़ी किया, कुछ व्यापार मंडल गये और स्थिति में सुधार हुआ । यदि इसी स्थिति को बनाये रखना है तो हमको यह देखना होगा कि कहीं निर्यातक इस का अनुचित लाभ तो नहीं उठाते हैं । विदेशी ख़रीदार मूल्यों का स्थायीकरण चाहते हैं । हम स्थायीकरण तभी कर सकते हैं जब कि मूल्यों पर हमारा नियंत्रण हो । हम जानते हैं कि जूट उद्योग का ७५ प्रतिशत भाग कोई एक दर्जन प्रबन्ध अभिकरणों के हाथ में है । यही अभिकरण सीधा निर्यात व्यापार भी करते हैं, इन के अपने ख़रीद केन्द्र हैं । इस प्रकार इन का सम्पूर्ण उद्योग पर एकाधिकार सा है । सरकार का कोई हाथ नहीं है । कोरिया के युद्ध के समय जूट का राज्य व्यापार करने की बात उठी थी परन्तु बाद को उस विचार को छोड़ दिया गया था । यदि हम ने उस समय राज्य व्यापार में सम्मिलित कर लिया होता तो राजकोष को पर्याप्त लाभ हुआ होता । पर हमने ऐसा नहीं किया और इसका फल हम अब भुगत रहे हैं । आज चाय को राज्य व्यापार के अन्तर्गत लाने में क्या कठिनाई है ? यदि कुछ हानि

भी उठानी पड़े तो कोई चिन्ता की बात नहीं है। माननीय सदस्यों ने कलकत्ता नियोजक संस्था द्वारा प्रकाशित पुस्तिका "खाद्यान्नों में राज्य व्यापार" को पढ़ा होगा।; उस में दिखाया गया कि राज्य को खाद्यान्नों का सरकारी स्तर पर व्यापार करने में कितनी हानि उठानी पड़ी है। हानि हुई है, हम यह मानते हैं। पर यदि राज्य ने खाद्यान्नों के व्यापार को अपने हाथ में न लिया होता तो क्या स्थिति होती ? सारे देश में दुर्भिक्ष पड़ गया होता। व्यापारी जनता का खून चूस कर कोठे भर लेते। सरकार ने उस समय यह निर्णय कर के ठीक कार्य ही किया था। इसलिये हमें राज्य व्यापार की सम्भावनायों को छोड़ नहीं देना चाहिये।

श्री ए० एम० थामस ने त्रावनकोर-कोचीन या मद्रास राज्य के राज्य व्यापार निगम का निर्देश किया। मेरा विचार है कि केन्द्र में भी ऐसी एक संस्था होनी आवश्यक है। जहां तक कृषि उत्पादों का सम्बन्ध है किसानों को उनके वास्तविक भाग से वंचित किया जा रहा है। निर्मित वस्तुओं तथा कच्चे कृषि उत्पादों के मल्यों में कोई युक्त युक्त सम्बन्ध नहीं है। अतः यदि कोई राज्य व्यापार निगम बनाया गया तो वह निर्यात तथा आयात व्यापार के अतिरिक्त देश में होने वाले व्यापार की देखरेख भी कर सकता है। साथ ही राज्य व्यापार से देश के आर्थिक विकास के लिये और अधिक पूंजी विनियोजन प्राप्त हो सकता है।

प्रेस आयोग ने अखबारी काग़ज़ के लिये एक राज्य व्यापार निगम बनाये जाने की सिफ़ारिश की है। जूट की भांति हम अखबारी काग़ज़ में भी राज्य व्यापार प्रारम्भ कर सकते हैं। अमुख की कहानी हमें ज्ञात है ही कि उस उद्योग को कितनी हानि उठानी पड़ी है। यही हाल मेंगनीज़ का है, उसका विदेशी व्यापार हमारे हाथ से निकल गया है, परन्तु अब हम और अधिक इस्पात बनाने जा रहे हैं तो मेंगनीज़ की खपत बढ़ जायेगी। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इन वस्तुओं के सम्बन्ध में राज्य व्यापार प्रारम्भ करे। यदि कुछ हानि होगी तो हमें उसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये।

यदि सार्वजनकि क्षेत्र को बढ़ाना अपेक्षित है तो नियम बदलने होंगे और अधिकारियों को शीघ्र निर्णय करने के अधिकार देने होंगे। यदि ऐसा नहीं किया गया तो समाज के समाजवादी ढांचे की बात करना गाल बजाना मात्र होगा। इसलिये मैं राज्य व्यापार की नीति का समर्थन करता हूं।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : सभापति महोदय, मैं श्री ए० के० गोपालन के प्रस्ताव को तहेदिल से सपोर्ट करता हूं और साथ ही साथ मैं अपना अमेंडमेंट भी पेश करता हूं।

इस हाउस में दो तरह के खयालात ज़ाहिर किये गये हैं। चन्द एक मेम्बरान ने अपना यह खयाल ज़ाहिर किया है कि यह बिलकुल अपौरचून टाईम नहीं है और इससे ज्यादा देश को आमदनी होने वाली नहीं है और साथ ही उन्होंने यह भी हमको बताया है कि जिस तरह की मिशनरी स्प्रिट वाला परसनल हमारे पास होना चाहिये, आज हमारे पास नहीं है। मैं यह बता देना चाहता हूं कि मिशनरी स्प्रिट के आदमी यदि आप बी० ए०, एम० ए० वाले लोगों में या आई० सी० एस० अफ़सरों में देखना चाहें तो वहां आपको नहीं मिलेंगे। इसके लिये तो आपको बिज़नेस मार्केट में जाना पड़ेगा, जो छोटे छोटे व्यापार करने वाले हैं, उन में छानबीन करके अपने मतलब के आदमी निकालने होंगे और उनके सहयोग से अगर आप अपने यहां एक तरह की लिमिटेड कारपोरेशन क़ायम करेंगे, और जिस तरह ट्रेड मशीनरीज़ और बहुत से मुल्कों में क़ायम की गयी हैं, उस तरह पर अगर आप प्रोसीड करेंगे तो मैं समझता हूं कि हम अपने

[श्री शिवमूर्ति स्वामी]

मक़सद में कामयब हो सकेंगे । इस तरह अगर छोटे छोटे लोगों को चांस दिया जाय तो मैं नहीं समझता कि भारत में ऐसा पर्सनल नहीं है जो कि फ़ारेन ट्रेड में एक्सपर्ट हो कर मुल्क की खिदमत न करें ।

मेरा दूसरा सुझाव यह ह कि अगर हम अपन मुल्क को सोशलिस्टक पैटर्न बनाना चाहें या समाजवाद की तौर पर इस मुल्क की एकानामी को बढ़ाना चाहें तो कोई वजह नहीं है कि हम स्टेट ट्रेडिंग को हाथ में न लें । यहां पर स्टेट ट्रेडिंग की एक ग्लूमी पिक्चर दी गई है । लेकिन क्या मैं अपने दोस्तों से एक सवाल पूछ सकता हूं । लोग एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिये लाइसेन्स लेते हैं, वह लोग खुद व्यापार करते हों, यह बात दूसरी है, लेकिन क्या ऐसे ही लोग बाज़ारों में अपने लाइसेन्स को हज़ारों रुपये में नहीं बेचते ? जो बड़े बड़े मार्कट्स हैं, जैसे बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, ट्रावनकोर कोचीन वग़ैरह, वहां क्या लाइसेन्स हासिल करने के लिये हज़ारों लाखों रुपये नहीं दिये जाते हैं ? और उन एक्स्पोर्ट इम्पोर्ट लाइसेन्सों को हासिल करने के बाद क्या होता है ? न वह एक्स्पोर्ट करते हैं न इम्पोर्ट करते हैं, बल्कि सिर्फ लाइसेन्स दूसरों को दे दिये जाते हैं और बहुत रुपये पगड़ी के तौर पर कमाये जाते हैं । इस के बारे में मैं यह भी सुनता हूं, और यह ठीक है, कि यह कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजिनेस में नुक्सान ही होता है । कुछ इन्टर-नेशनल मार्कट्स ज़रूर होते हैं जिन में हमें नुक़सान होता है, लेकिन मैं इस खयाल का नहीं हूं कि स्टेट ऐसी चीज़ों का एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट लाइसेन्स इश्यू करना बन्द कर दे । वैसे यह चीज़ें खुली तौर पर ट्रेड करने के लिये इन्डिविजुअल्स को भी दी जा सकती हैं, लेकिन अगर कामर्स और इन्डस्ट्री मिनिस्ट्री पूरी तौर से स्टेट ट्रेडिंग करना चाहे तो उस को मार्केटिंग के लिये एक मशीनरी या ट्रेड कारपोरेशन ज़रूर बनाना पड़ेगा, नहीं तो कामर्स और इन्डस्ट्री मिनिस्ट्री सिर्फ़ एक कंट्रोलिंग आफ़िस हो कर रह जायेगी । और सारी मार्केट जो व्यापारी लोग हैं उन्हीं के हाथ में रह जायेगी ।

एक एन्क्वायरी कमिशन बनाया गया था उस ने कहा है कि हमें नानटैक्सेशन ढंग से बढ़ना चाहिये । अब टैक्स इतने बढ़ गये हैं कि छोटे छोटे आदमियों को व्यापार करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन बड़े बड़े आदमियों से हम को उस को लेना चाहिये । इस तरह से टैक्स ले कर हम बहुत कुछ बचा सकते हैं । आज हमारा पैसा जब इन्डिवि-जुअल्स के पास आ जाता है तो उस का उनके पास से निकाल लेना बहुत मुश्किल होता है । लेकिन स्टेट के पास आने के बाद उस को हम ठीक से खर्च कर के अपनी इन्डस्ट्रीज़ को बढ़ा सकते हैं । हम प्लेनिंग कर रहे हैं पहली पंच वर्षीय योजना खत्म हुई, दूसरी पंच वर्षीय योजना को अब हाथ में लेने जा रहे हैं, इस के बाद तीसरी पंच वर्षीय योजना होगी । दूसरी पंच वर्षीय योजना के अन्दर बड़ा अपार्चून टाइम होगा स्टेट ट्रेडिंग को बढ़ाने का । तीन साल हुये एक फिस्कल कमिशन बैठा था । जिस तरह की उस की स्कीम थी, उस के कंटेक्स्ट में हम आज प्लैनिंग की बात यहां बैठ कर सोच रहे हैं । उसी तरह एक स्टेट ट्रेडिंग कमेटी बनी, उस की रिपोर्ट आ गई, लिहाज़ा उस के कंटेक्स्ट में, आज कल के ज़माने के कंटेक्स्ट में, मैं ने यह ऐमेण्डमेंट दिया था कि एक कमेटी बैठाई जाय और वह कमेटी हमेशा स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन को हिदायत करती रहे कि कौन से माल को सरकार को अपनी मोनोपोली में हासिल करना चाहिये । मिसाल के लिये मैं टी की एग्जाम्पुल दूं । हमारे पास

टी का पूरा बाज़ार था, हम ने १९५४–५५ में १४७·०६ करोड़ रुपये की टी एक्सपोर्ट की, १९५४ म १०२ करोड़ रुपये की और १९५३ में ५१ करोड़ रुपये की एक्सपोर्ट की थी। इस तरह धीरे धीरे टी इन्डस्ट्री के अन्दर जो क्राइसिस थी उस को क़ाबू में किया और जैसा कि अभी मिश्र जी ने बताया, हमारे तमाम मुल्क में जूट और टी का ७० परसेन्ट एक्स्पोर्ट हम कर रहे हैं। इसी तरह से जो हमारे बड़े बड़े ट्रेड हैं.अगर उन को हम हाथ में ले कर स्टेट ट्रेडिंग के दायरे में लें आय तो कोई वजह नहीं है कि हमें नुक्सान हो। दूसरे इस तरह से हमारी इन्टरनेशनल मार्केट को जो नुक्सान पहुंचता है उस को भी रेगुलेट कर सकते हैं। लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ यह जान कर कि टामस साहब के यहां यानी ट्रावनकोर कोचीन में, जहां पर मैं गया भी था, पेपर इन्डस्ट्री वग़ैरह में चन्द लोगों को बड़ी तक़लीफ़ हुई थी। अब चन्द फार्म्स के हाथ में वह इन्डस्ट्री है और वह लाखों रुपये पैदा कर रहे हैं। जब वह किसानों या इन्डिविजुअल्स के हाथ में थी तो पैदा करने वालों को नुक़सान होता था। बात यह है इन्डिविजुअल व्यापारियों के हाथों में होने से रेट्स में फ्लक्चुएशन्स होते रहते हैं। फार्म्स के हाथों में आ जाने से यही नहीं कि फ्लक्चुएशन्स कम होते हैं बल्कि एक क़िस्म की आसानी और पैदा हो जाती है कि एक्सपोर्ट का एक अलग रेट रहता है और इनर ट्रैन्जैक्शन का रेट अलग रहता है। दोनों में काफी मार्जिन रहता है इस लिये ज्यादातर नुक़सान नहीं होता। लेकिन इस की वजह यही है कि यह इन्डस्ट्री इन्डिविजुअल्स के हाथ में बाक़ी नहीं रहती है। मैं जानता हूं कि आज हमारे नैशनल्स में सिन्सिअरिटी है, दूसरी बिजिनेस कम्यूनिटीज में भी बहुत काफ़ी सिन्सिअरिटी के लोग हैं। हम को उन सिन्सिअर लोगों का सहयोग लेना चाहिये। बाज ऐसे लोग भी होते हैं जो कि कभी अपने मुल्क की बात नहीं सोचते हैं अगर हम किसी फारेन कंट्री का एकानामिक ब्लाकेड करना चाहते हैं, जैसे कि गोवा के बारे में, तो ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो एकानामिक ब्लाकेड की परवाह न कर के छिपे तौर पर उन से व्यापार कर सकते ह। खुद मुझे मालूम है कि जब यहां एक्स्पोर्ट और इम्पोर्ट कंट्रोल थां उस वक्त भी लोग पेट्रोल और तेल का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट छिपा कर के सरकार को किस तरह से धोखा दे रहे थे। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि पालिसी के लिहाज़ से, पोलिटिकल रीजन्स के लिहाज़ से और मुनाफ़े के लिहाज़ से भी हमें ऐसे लोगों का सहयोग ज़रूरी लेना चाहिये जिन से हमारी छोटी छोटी इन्डस्ट्री को फायदा पहुंच सकता है। मुझे इस की खुशी है और मैं इस को यहां पर बतला देना चाहता हूं कि आज कल जो हमारी हैंडलूम इन्डस्ट्री की प्रोडक्ट्स हैं वह फारेन कंट्रीज को एक्सपोर्ट हो रही हैं, लेकिन इसलिये उस की तरक्क़ी नहीं हो रही है कि ऐसी कोई स्टेट मशीनरी नहीं है जो उस को जमा कर के दूसरे मुल्कों में, जहां पर उस की मार्केट है, बाज़ार है, वहां पर उस को भेजे। प्राइवेट लोगों के व्यापार करने से उस की तरक्क़ी नहीं हो सकती है। जब तक सरकार देश में इस तरह की मशीनरी नहीं बनाती है, उस वक्त तक इन छोटे व्यापारों की तरक्क़ी नहीं हो सकती है और न ही छोटे प्रोड्यूसर्स की ज्यादा कैपेसिटी ही बढ़ सकती है। इस लिये मैं बहुत नम्रता से प्रार्थना करता हूं कि आप स्टेट ट्रेडिंग को हाथ में लीजिये।

हमारे यहां १९५४–५५ में कुल १२१९ करोड़ रुपये की स्टेट ट्रेडिंग रक्खी गई थी; उस में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों ही हैं। हम को देश में एक्स्पोर्ट को अपने हाथ में लेना पड़ा था। लेकिन अगर हम इम्पोर्ट को अपने हाथ में नहीं लेते हैं और उस के लिये लाइसेन्सेज़ देते हैं तो वह बाहर के मुल्कों से सस्ता माल लेकर देश में महंगा बेचते

[श्री शिवमूर्ति स्वामी]

हैं, वह लोग कामन मैन, यानी पब्लिक के इन्टरेस्ट को नहीं देखते हैं और सोसायटी के एक्स्प्लायटेशन से अपने मुल्क को और अपने मुल्क के रहने वालों को नुक्सान पहुंचाते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। लेकिन किसी डिमाक्रेटिक सेट अप में यह शान की बात नहीं समझी जानी चाहिये। लिहाज़ा मैं यह कहना चाहता हूं कि एक्सपोर्ट के साथ साथ इम्पोर्ट को भी, जो जो माल जिन्दगी के लिये और नैशनल डैवेलपमेंट के लिये ज़रूरी हों जैसे मैशीनरी है यानी कैपिटल गुड्स, उन के इम्पोर्ट को भी अपने हाथ में लेना चाहिये। अगर आप कंज्यूमर्स गुड्स को इम्पोर्ट करेंगे तो लोकल इन्टरेस्ट में एक काइसिस पैदा हो सकती है। जब तक आप कंज्यूमर्स गुड्स का जो इम्पोर्ट हो रहा है उस को नहीं रोकते तब तक आप अपने पैर पर खड़े नहीं हो सकते हैं।

लिहाज़ा मैं इस समय सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आप भारतवर्ष को एक समाजवादी स्टेट बनाना चाहते हैं, देश में समाजवाद लाना चाहते हैं, या समाजवादी राज्य क़ायम कर के तरक्क़ी की तरफ़ ले जाना चाहते हैं तो कोई वजह नहीं है कि आप मेरे सुझाव पर विचार न करें। एक न एक दिन आप को ट्रेड को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। आप के पास न पर्सोनेल की कमी है और न नालेज की। आप को इस में कोई इन्फीरियारिटी काम्प्लेक्स नहीं फील करना चाहिये। हमेशा हिन्दुस्तान में ऐसे दिमाग रहे हैं, और आज भी हैं जो इस काम को कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है उन का सहयोग लेने की। आप में इस की ताक़त पैदा होनी चाहिये और वह ताक़त हमेशा बड़ती जानी चाहिये कि आप ऐसे आदमियों का सहयोग ले कर एक सहकारी भावना से एक स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन क़ायम कर सकें। अगर आप ऐसा करेंगे तो कोई वजह नहीं है कि आप इस काम में नाकामयाब रहें। पंचवर्षीय योजना को कामयाब बनाने के लिये और छोटी छोटी दस्तकारियों की मदद करने के लिये गवर्नमेंट को स्टेट ट्रेडिंग को अपने हाथ में लेना चाहिये।

इन अल्फ़ाज़ के साथ मैं इस रेजोल्यूशन की ताईद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हाउस मेरी इन व्यूज के साथ है।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : मुझे इस बात का अतीव हर्ष है कि श्री गोपालन ने इतना महत्वपूर्ण संकल्प प्रस्तुत किया है, परन्तु उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिये जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। प्रो० महालनोबीस का कथन है कि यदि सरकार विदेशी व्यापार का एकाधिकार अपने हाथ में ले तो इस से सरकार को बहुत ही लाभ होगा और वह धन द्वितीय पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के काम आ सकता है। परन्तु मैं इस कथन से सहमत नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि इस का परीक्षण इसी के लिये नियुक्त की गई एक समिति विशेष करे। 'सरकार द्वारा एकाधिकार' का समर्थन करने वाले व्यक्ति इस समस्या की गहनता पर विचार करें। यदि सरकार देश के निर्यात व्यापार पर एकाधिकार जमाना चाहती है तो उसे कई सौ करोड़ रुपया लगाना पड़ेगा। साधारणतया हम ऐसा देखते हैं कि सरकारी व्यवस्था ऐसी है कि सरकार जब भी कोई काम अपने हाथ में लेती है तो उसको उस काम गो चलाने के लिये दुगना, तिगुना धन लगाना पड़ता है और फिर भी अन्त में असफलता का ही मूंह देखना पड़ता है। उदाहरणार्थ सरकार को खाद्यान्नों के सम्बन्ध में २७७ करोड़ रुपये का घाटा उठाना पड़ा। कोई भी कार्य अपने हाथ में लेने से पूर्व कई बातों

का ध्यान रखना पड़ता है । व्यापार करने के कई ढंग होते हैं और सरकार उन में प्रवीण नहीं है साथ ही उसका व्यय भी बहुत अधिक हो जाता है । इस के लिये तो महान् अनुभव की आवश्यकता है ।

पंजाबराव समिति ने भी, जिसने अपना प्रतिवेदन १९५० में प्रस्तुत किया था, स्पष्टतया लिखा है कि वह इस बात का समर्थन नहीं करती कि सरकार देश के निर्यात पर अपना एकाधिकार जमा ले । और उसने सरकार को सचेत किया है कि वह देश की व्यापार प्रणाली में व्यर्थ में ही हस्ताक्षेप न करे । श्री गोपालन ने कहा है कि भारतीय बाज़ार और विदेशी बाज़ारों के भावों में महान् अन्तर है और उन्होंने इस के कुछ उदाहरण भी दिये । परन्तु हमारी सरकार इस के प्रति सचेत है और अधिक से अधिक निर्यात शुल्क लगाने का प्रयत्न करेगी जिससे कि मूल्यों का यह अन्तर कम हो सके । वास्तव में जब तक सरकार व्यापार के बारे में प्रशिक्षण नहीं देती है, तब तक बार बार ग़ल्तियां होती रहेंगी । कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये, नहीं तो व्यर्थ में ही धन का नाश होता रहेगा जैसा कि खाद्यान्नों के सम्बन्ध में हुआ था । श्री रघुरामैया का तो यह कथन है कि सरकार केवल तम्बाकू का ही एकाधिकार अपने हाथ में ले और श्री थामस का कथन है कि काली मिर्च और काजू का व्यापार राज्य द्वारा किया जाये, परन्तु हमें तो इस एकाधिकार की समस्या पर समग्र रूप से विचार करना है । युद्ध काल में सरकार ने अभ्रक के निर्यात को अपने हाथ में ले लिया था और युद्ध के उपरान्त ही यहां और विदेशी मंडियों में चढ़ गया था और इस के परिणामस्वरूप उत्पादकों तथा निर्यातकों को भारी हानि हुई थी ।

इसीलिये इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुये मेरा सुझाव यह है कि यह सारा मामला एक छोटी सी समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया जाये, जो कि देश तथा विदेशों की व्यापारिक परिस्थितियों पर अच्छी प्रकार से विचार कर के शीघ्र ही अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे । हम उसके निर्णय का स्वागत करेंगे । उक्त समिति व्यापार अवस्थाओं सरकार की क्षमता, आर्थिक तथा मशीन सम्बन्धी इत्यादि विषयों पर विचार करे । अन्यथा बिना सोच विचार किये ही यह कार्य प्रारम्भ कर देना आपत्तिजनक होगा ।

अपने संशोधन के समर्थन में मेरे ये ही कुछ एक सुझाव हैं और मुझे आशा है कि सरकार मेरे इन सुझावों को अस्वीकार नहीं करेगी ।

श्री वी० पी० नायर : इस संकल्प का विरोध करते हुये कुछ एक सदस्यों के भाषण सुनकर मुझे बड़ी हंसी आई । श्री रघुरामैया तम्बाकू के व्यापार पर सरकारी नियंत्रण चाहते हैं, क्योंकि आन्ध्र में तम्बाकू का व्यापार एक भारी समस्या है । श्री ए० एम० थामस मसालों के व्यापार पर सरकारी नियंत्रण चाहते हैं, क्योंकि त्रावनकोर-कोचीन राज्य को मसालों के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त है । श्री मिश्रा चाहते हैं कि पटसन और अभ्रक पर सरकारी नियंत्रण होना चाहिये, क्योंकि बिहार में पटसन और अबरक का व्यापार एक भारी समस्या बना हुआ है । इस प्रकार से ये सदस्य इस समस्या को खण्डित रूप में देखते हैं । परन्तु वास्तव में, हमें तो सारी समस्या को पूर्ण रूप में देखना है ।

फिर श्री रघुरामैया ने यह कहा कि क्योंकि बाज़ार-अस्थिर है, इसलिये इस सुझाव को कार्यान्वित करना सम्भव नहीं है । परन्तु वास्तव में उन्हें यह पता नहीं कि दीर्घ-

[श्री वी० पी० नायर]

कालीन क़रारों के द्वारा इस समस्या को हल किया जा सकता है । श्री ए० के० गोपालन के संकल्प पर समग्र रूप से देखा जाना चाहिये । उन्होंने यह कहा है कि हमें अन्य देशों के साथ दीर्घकालीन क़रार करने चाहियें । इसी से भाव स्थिर किये जा सकेंगे और उनमें कोई वैषम्य नहीं रहेगा ।

श्री सोमानी बड़े बलपूर्वक निजी क्षेत्र का समर्थन करते रहे हैं । उनका कहना है कि यदि सरकार ने निर्यात व्यापार को अपने हाथ में ले लिया तो उसके लिये अपेक्षित उपकरण कहां से आयेंगे । मेरा उन से कोई झगड़ा नहीं है । मेरा तो उन से केवल यही सीधा साधा एक प्रश्न है कि क्या सरकार रेलवे को व्यवस्थित ढंग से नहीं चला रही ? यदि चला रही है तो फिर निर्यात-व्यापार चलाने में सरकार सफल क्यों न होगी ?

यह बात सत्य है कि हमें कुछ एक सरकारी कार्यों में घाटे उठाने पड़े हैं । परन्तु इसका अर्थ यह तो नहीं कि सारा दोष ही सरकार का है । हमसे कई ग़लतियां हो गयी थीं, और उन्हीं के परिणामस्वरूप हमें क्षति उठानी पड़ी थी । परन्तु इसका यह आशय तो कदापि नहीं कि हमें ऐसे कार्य हाथ में लेने ही नहीं चाहियें ।

फिर ऐसा कहा गया है कि निपुण कर्मचारियों की कमी के कारण सरकार इस क्षेत्र को अपने हाथ में नहीं ले सकती । परन्तु वास्तव में ऐसा सोचना ठीक नहीं है । यह तो केवल एक काल्पनिक भय है । वैसे तो इस समस्या पर अच्छी प्रकार से सोच विचार करना चाहिये, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि इस कार्य को हाथ में लेना ही नहीं चाहिये इस समस्या पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार किया जाना चाहिये और इसे स्थगित नहीं कर देना चाहिये ।

मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया है जिसके द्वारा मैं यह चाहता हूं कि श्री गोपालन ने अपने संकल्प में जिन जिन वस्तुओं का उल्लेख किया है, उनके अतिरिक्त कुछ एक अन्य वस्तुओं पर भी सरकार का नियंत्रण हो मेरा सुझाव है कि सरकार काजू के व्यापार को अपने हाथ में ले । श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने भी इस बात की ओर बार बार निर्देश किया है कि इन वस्तुओं के व्यापार पर अवश्यमेव सरकारी नियंत्रण होना चाहिये । अतः मैं इस बात पर पुनः बल देता हूं कि काजू के व्यापार पर सरकार को अवश्य नियंत्रण रखना चाहिये । इसी प्रकार से नीम्बू-घास पर भी सरकारी नियंत्रण होना अत्यावश्यक है ।

'मसाला जांच समिति' ने अपने प्रतिवेदन में 'राज्य-व्यापार' का समर्थन तो नहीं किया, परन्तु यह अवश्य लिखा है कि सरकार कारखानेदारों को कच्चा माल प्राप्त करने में सहायता करे । परन्तु मैं इस से सहमत नहीं । मैं चाहता हूं कि प्रमुख प्रमुख सभी उद्योगों पर राज्य का नियंत्रण हो ।

अतः मेरी यह प्रार्थना है कि इस संकल्प पर अच्छी प्रकार से विचार किया जाये और इस संकल्प में दी गयी वस्तुओं के अतिरिक्त अदरक, काजू, नींबू-घास के तेल तथा अन्य वस्तुओं के व्यापार पर भी सरकारी नियंत्रण हो ।

श्री बोगावत : मुझे इस बात का अतीव हर्ष है कि आज विरोधी पक्ष के सदस्य भी सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं और उसमें अपना विश्वास प्रकट कर रहे हैं ।

यह बात सत्य है कि संकल्प में उल्लिखित सभी वस्तुओं के निर्यात-व्यापार को अपने हाथ में लेने में सरकार को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा,

क्योंकि सरकार के पास कार्यकुशल कर्मचारी नहीं हैं और इसी कारण से जब भी सरकार ने किसी व्यापार को अपने नियंत्रण में लिया है, उसे हानि उठानी पड़ी है। परन्तु इसका यह अर्थ तो कदापि नहीं है कि सरकार इस दिशा में प्रयत्न करना ही छोड़ दे। हमें इन वस्तुओं पर सरकारी नियंत्रण रखना ही होगा। हम जानते हैं कि कारखानेदार तथा व्यापारी लोग आयात निर्यात के लाइसैन्सों का अनुचित लाभ उठाते हैं। इसीलिये मैं ने उन सभी वस्तुओं के अतिरिक्त तिलहनों पर भी सरकारी नियंत्रण रखे जाने के लिये अपना संशोधन प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त चाय के व्यापार पर भी सरकारी नियंत्रण होना चाहिये।

इसी प्रकार से पटसन का व्यापार १२ बड़े बड़े प्रबन्ध-अभिकरणों के हाथों में है जोकि निर्धन और अनपढ़ किसानों की अज्ञानता का अनुचित लाभ उठाते हैं और उनका शोषण करते हैं। इसलिये किसानों की रक्षा करने और द्वितीय पंच वर्षीय योजना के लिये धन की व्यवस्था करने के हेतु अन्य वस्तुओं के साथ साथ पटसन के व्यापार पर भी सरकारी नियंत्रण होना आवश्यक है।

इनके अतिरिक्त लगभग २०,३४,५३,००० रुपये के मूल्य का पशुओं का चमड़ा भी बाहर भेजा जा रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि कच्ची खालों को बाहर भेजने की अपेक्षा अपने देश में ही चमड़ा उद्योग को प्रोत्साहन क्यों न दिया जाये? अतः मेरा निवेदन है कि देश को उन्नत करने के लिये और द्वितीय पंच वर्षीय योजना को सफल बनाने के लिये, सरकार उपर कथित वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं को सरकारी नियंत्रण में रखे और इस कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिये व्यवस्थित योजना बनाई जाये और कार्यकुशल कर्मचारी रखे जायें।

वाणिज्य मन्त्री (श्री करमरकर) खड़े हुये —

सभापति महोदय: केवल तीन मिनट शेष हैं।

श्री करमरकर : मैं केवल एक ही वाक्य कहूंगा। यह एक अत्यावश्यक विषय है और सभा के सम्मुख इसे उपयुक्त अवसर पर ही प्रस्तुत किया गया है।

सभापति महोदय: मंत्री महोदय अपने भाषण में २० या ३० मिनट लेंगे और फिर श्री गोपालन को चर्चा का उत्तर भी देना है। इसलिये में समझता हूं कि वादविवाद को जारी रखने से कोई लाभ नहीं होगा।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, ३० अगस्त, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।